कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 2 पृष्ठ : 52 दिसंबर 2019 मूल्य : ₹ 22

कृषि–आधारित उद्योग

प्रधानमंत्री ने 'प्रगति' के माध्यम से किया संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'प्रगति' (प्रो एक्टिव गर्वनेंस एंड टाइमली इम्पलिमेंटेशन) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में 'प्रो एक्टिव गर्वनेंस एंड टाइमली इम्पलिमेंटेशन'(प्रगति) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। 'प्रगति' की बैठक में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और 16 राज्यों की 61 करोड़ रुपये की लागत वाली 9 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की शिकायतों के साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया गया। 'प्रगति' की पिछली बैठकों में 17 क्षेत्रों (22 विषयों) से जुड़ी 12.15 लाख करोड़ लागत की कुल 265 परियोजनाओं से संबद्ध 47 कार्यक्रमों/योजनाओं और शिकायतों की समीक्षा की गई थी।

कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां

प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में 'प्रगति' के बारे में बताया गया, जिसने किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य खोजने में मदद की है। ई–भुगतान अब सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में दो एकीकृत ई–मंडियों के विकास की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि मांग एग्रीगेशन के ई–मॉडल के आधार पर सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के लिए एक नए स्टार्टअप मॉडल पर एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों को एक साथ आना होगा और सुचारू संचालन के लिए एक एकीकृत मंच का उपयोग करना होगा।

पराली जलाने के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों को उपकरणों के वितरण में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

आधारभूत संरचना संपर्क का विकास

प्रधानमंत्री ने कटरा–बनिहाल रेलवे लाइन सहित बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना को अगले साल तक पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उत्तर–पूर्व की कई परियोजनाओं जैसे आइज़ोल–तुईपांग राजमार्ग परियोजना को चौड़ा करने और अपग्रेड करने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली और मेरठ के बीच तेजी से और सुरक्षित संपर्क व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे को मई 2020 की संशोधित समय–सीमा में पूरा किया जाना चाहिए।

आकांक्षाओं की पूर्ति

बैठक में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री को 49 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बनाए गए डैशबोर्ड की जानकारी दी गई। इसके अनुसार पोषण की स्थिति के संकेतकों के बेहद धीमी गति से बढ़ने के बावजूद इसमें काफी प्रगति होने की बात कही गई। यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में खासी प्रगति देखने को मिली है।

प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र सेवा का काम बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पिछड़े जिलों को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए समय–सीमा तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि युवा अधिकारियों की नियुक्ति आकांक्षी जिलों में की जानी चाहिए। ❑

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 2 ★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण–पौष 1941 ★ दिसंबर 2019

लेख	लेखक	पृष्ठ
किसानों की आय बढ़ाने में सहायक कृषि उद्योग	जे. पी. मिश्रा	5
संभावनाओं से भरपूर कृषि-आधारित उद्योग	शिव कुमार और छत्रपाल सिंह	9
भारत में कृषि-आधारित उद्योगों का अवलोकन	डॉ. के.के. त्रिपाठी	13
कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन	सतीश सिंह	18
कृषि-आधारित उद्योग: चुनौतियां और समाधान	डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी	22
आर्थिक विकास में सहायक भारतीय कपड़ा उद्योग	सुधीर कुमार और डॉ. हरीश आनंद	29
कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	33
डेयरी उद्योग से आय सृजन और पोषण सुरक्षा	डॉ. जगदीप सक्सेना	38
बांस उद्योग : ग्रामीण आजीविका का स्रोत	एस.सी. लाहिड़ी	43
भारतीय संकृति में रचा-बसा चाय उद्योग	सन्नी कुमार	47

प्रधान संपादक: राजेंद्र चौधरी

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03

दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : helpdesk1.dpd@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ई–मेल करें, कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई–मेल पर लिखें या संपर्क करें– दूरभाष : 011-24367453 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली–110003

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079–26588669

संपादकीय

भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत में कृषि–आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि–आधारित उद्योग तुलनात्मक रूप से कम निवेश वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का साधन और रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं। ये उद्योग कृषि–आधारित कच्चे माल के प्रभावी और कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। विकास प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना समय की मांग है। कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक संस्कृति के साथ–साथ आधुनिकीकरण और नवाचार भी लाते हैं।

आज हमारे देश में कृषि–आधारित उद्योगों का जाल–सा बिछा हुआ है। कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, आसान ऋण, सस्ती व तेज़ इंटरनेट सेवा की व्यवस्था मज़बूत की जा रही है। साथ ही, क्वालिटी टेस्टिंग लैब और कोल्ड–स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ाने हेतु बुनियादी ढांचे पर भी काफी निवेश किया जा रहा है।

भारत सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों में कृषि–आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है जिनमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एग्रीबिजनेस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एस्पायर, आदि प्रमुख हैं। साथ ही, कृषि–आधारित उद्योगों हेतु नई–नई प्रौद्योगिकियां, तकनीक एवं उन्नत मशीनें विकसित की जा रही हैं। जिससे ग्रामीण युवाओं एवं किसानों को स्वरोजगार के साथ–साथ उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने में मदद मिल सके।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसके अंतर्गत खाद्य–प्रसंस्करण में वृद्धि के साथ–साथ उसका आधुनिकीकरण, प्रसंस्कृत खाद्य–पदार्थों का निर्यात बढ़ाना, डेयरी व मत्स्य आदि कृषि उत्पादों का मूल्य–संवर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।

एक तरफ 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की मिसाल बन गया है तो दूसरी तरफ, देशभर में कृषि–आधारित उद्यम/स्टार्टअप ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 'स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम' भी शुरु किया है। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा कृषि–आधारित उद्योगों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2015 में नवाचार, स्वरोजगार और कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'एस्पायर' योजना की शुरुआत की जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। देश के कई भागों में 'मेक इन इंडिया योजना' के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इस योजना से कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास होगा जिससे खेत का उत्पाद सीधे खुदरा बिक्री केंद्र तक पहुंच सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए 'एग्रीबिजनेस' कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं प्राप्त फसल उत्पादों का मूल्य–संवर्धन करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीकी और मेनेजमेंट तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ–साथ स्वयं का एग्रीबिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है।

संक्षेप में, कृषि–आधारित उद्योगों में रोज़गार पैदा करने तथा स्वरोजगार की जबर्दस्त संभावनाएं हैं। साथ ही, ये उद्योग विदेशी मुद्रा कमाने का भी अहम ज़रिया हैं। किंतु घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके मूल्य–संवर्धन के लिए सरकार को कई अन्य मोर्चों पर भी काम करना होगा। सरकार की इन उद्योगों को क्लस्टर या समूह के रूप में संगठित करने के साथ–साथ कौशल और तकनीकी विकास के लिए जरूरी पहल करनी होगी। साथ ही, मार्केटिंग इकाइयों का नवीनीकरण जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उद्योग अन्य देशों के निर्यातकों के अनुचित व्यापार नियमों के शिकार न बनें। चूंकि ज्यादातर कृषि–आधारित उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के हैं, और उनके पास सस्ते या सब्सिडी वाले आयात से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं है; ऐसे में सरकार की भूमिका काफी अहम हो जाती है। सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

किसानों की आय बढ़ाने में सहायक कृषि उद्योग

–जे. पी. मिश्रा

कृषि उद्योग के विकास में मदद करने वाली नीतियां, उच्च मूल्य वाली जिंसों एवं अन्य गैर–खाद्य कृषि उत्पादों की मांग आकर्षक मूल्यों पर तैयार करने में, दूरगामी भूमिका निभाएंगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमुख निर्यात उद्योग बनाने से कामगारों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि यह श्रम की गहनता वाला उद्योग है।

रोजगार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 68वें चरण में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 48.9 प्रतिशत कामगारों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। साथ ही, हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या (2011 की जनगणना) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसकी आय में वृद्धि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए मूल्य–आधारित वृद्धि की रणनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर–पद्धति पर कृषि का औद्योगीकरण ही इकलौता रास्ता है। इससे कृषि में आय का वह पक्ष भी दुरुस्त हो जाता है, जो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सभी कृषि नीतियों और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर पहुंच गया है। सौभाग्य से, हमारा देश भूख खत्म करने एवं सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के एजेंडा पर बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि 1950–51 से अभी तक विभिन्न खाद्य सामग्री में 2.78 से 47.57 गुना इज़ाफा हो चुका है। यह भारतीय कृषि की एक और विशेषता है क्योंकि जिंसों का बेचने योग्य अधिशेष (अतिरिक्त मात्रा) बढ़ता जा रहा है, जिस कारण कटाई के बाद उत्पादों के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण की मांग उठ रही है ताकि जिंसों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उपयुक्त समय एवं रूप में बाजार में उतारकर सबसे अच्छी व सही, मगर बढ़िया कीमत हासिल की जा सके। दिलचस्प है कि रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के मुकाबले अधिक मूल्य प्रदान करने वाली जिंसों के उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे संतोषजनक बात है, लेकिन इससे कृषि–आधारित उद्योगों के सामने उस अतिरिक्त उत्पादन के इस्तेमाल की चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसे ताजा या कच्चा नहीं खाया जा सकता। इसलिए अब हमें पुराना नज़रिया बदलना होगा, जिसमें कृषि और उद्योगों को उनकी प्रकृति तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के लिहाज से बिल्कुल अलग क्षेत्र माना जाता था और वह नजरिया इसलिए बदलना होगा क्योंकि अब कृषि के बजाय कृषि–आधारित उद्योगों में वृद्धि हो रही है। शायद इस पर बड़ी बहस की जरूरत है

तालिका 1: भारत में कृषि उत्पादन का बदलता परिदृश्य

समग्र	1950–51 में उत्पादन	2018–19 में उत्पादन (चौथे अग्रिम अनुमान)	गुणा वृद्धि (प्रतिशत में)
खाद्यान्न	50.83	2849.95	5.61
दलहन	8.41	23.40	2.78
तिलहन	5.16	32.26	6.25
कपास	0.52	4.88	9.38
गन्ना	57.05	400.15	7.01
बागवानी	96.56 (1991–92 का स्तर)	314.67 /	3.26
दूध	17.00	165.40	9.73
मछली	0.75	11.41	15.21
अंडा	1830	87050	47.57
मांस	1.9 (1998–99) अमसद्ध	7.37	3.88

क्योंकि उत्पादन तथा प्रसंस्करण के पहले चरण में फर्क करना आसान है मगर उसके बाद इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को कृषि का औद्योगीकरण और ऐसी संयुक्त प्रक्रिया मानना चाहिए, जिससे नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो रहा है। हालांकि उद्योग और कृषि–आधरित उद्योगों के बीच स्पष्ट अंतर करना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन अकाल जांच आयोग (भारत), 1944 द्वारा दी गई परिभाषा इस मामले में उपयुक्त है। आयोग ने कृषि–आधारित उद्योगों के बारे में कहा, "ऐसे उद्योग, जो खेतों को कृषि सामग्री प्रदान करने के साथ ही खेतों के उत्पादों का प्रबंधन भी कर रहे हैं, उन्हें कृषि–आधारित उद्योग कहा जा सकता है।" अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) में खाद्य, पेय एवं तंबाकू, वस्त्र, परिधान के विनिर्माण, चमड़ा उद्योग, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद, कागज एवं कागज उत्पादों के विनिर्माण, मुद्रण एवं प्रकाशन, रबर उत्पादों के विनिर्माण को कृषि–औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत रखा गया है।

आय एवं रोजगार सृजन

ऐसे वर्गीकरण से यह विश्वास जगता है कि देश के सुदूर क्षेत्रों में प्रमुख रोजगार–प्रदाता बन चुके कृषि एवं कृषि–आधारित उद्योगों (कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, चीनी एवं अन्य संबंधित गतिविधियां) को मौजूदा संदर्भ में और ग्रामीण भारत में आय के स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्राथमिकता तय करने में अहम भूमिका निभानी है क्योंकि कृषक परिवारों की कुल आय में खेती और पशुपालन का योगदान केवल 35 प्रतिशत रह गया है (तालिका–2), जबकि उनकी औसत मासिक आय में मजदूरी और सेवा का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

वर्ष 2014–15 की आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई के उच्च–स्तर, प्याज, टमाटर और आलू जैसी कुछ जिंसों की कीमतों में कुछ समय के लिए अचानक आने वाले तेज उछाल के खतरों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में गहरे परिवर्तन पर ज़ोर दिया गया क्योंकि इस तरह की महंगाई अब लंबे समय तक टिकी रहती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता भी आ रही है। समीक्षा में कम संसाधनों में अधिक फल प्राप्त करने के लिए कृषि के प्रति दृष्टिकोण में नया प्रतिमान जोड़ने की सिफारिश की गई थी। यदि कृषि–आधारित खाद्य एवं गैर–खाद्य गतिविधियों में अधिक अवसर मुहैया कराए जाएं तो ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सकती है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2016–17 दिखाता है कि औद्योगिक रोजगार में कृषि उद्योगों का लगभग 36 प्रतिशत योगदान है (तालिका–3)। इसके अलावा, कृषि उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला में अच्छी–खासी रोजगार सृजन क्षमता है। इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि इन कृषि व्यापारों को विकास एवं रोजगार की राष्ट्रीय रणनीति में प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए।

वर्ष 2016–17 के केंद्रीय बजट में कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को नए सिरे से दिशा देते हुए कृषि पर विशेष ज़ोर दिया गया था ताकि सिंचाई के लिए नया बुनियादी ढांचा बनाकर, मूल्यवर्धन कर तथा खेत से बाजारों तक संपर्क प्रदान कर किसानों की आय 2022 तक दुगुनी की जा सके।

कृषि खाद्य उद्योगों में उत्पादन गतिविधियों में, प्रत्यक्ष भारी रोजगार सृजन करने और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में परोक्ष रोजगार सृजन करने की क्षमता है। यह रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जहां उद्योगों को कच्चे माल विशेषकर जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के स्रोत के निकट लगाना होगा। ये उद्योग कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करने में और सह–उत्पादों का अधिक प्रभावी तौर पर इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने के कारण ग्रामीण आय में इज़ाफा हो सकता है और कृषि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने से उपभोक्ताओं की भलाई भी हो सकती है। हमारे देश में उपलब्ध प्रचुर संभावना का– (अ) उत्पादन के उचित–स्तर एवं प्रौद्योगिकी के चयन; (आ) मौजूदा इकाइयों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन; (इ) उत्पादों तथा देश–विदेश में मौजूद उपभोक्ताओं के बीच उचित कड़ी की स्थापना और (ई) उचित संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के ज़रिए पर्याप्त दोहन किया जा सकता है।

इस उद्योग की वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा इसका छोटा परिमाण या स्तर रहा है और इसी कारण अधिकतर भारतीय किसान उच्च–मूल्य वाली कृषि को भी नहीं चुन पाते। सड़क, बिजली और संचार जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश से कृषि व्यापार की लागत कम होगी और निजी क्षेत्र भी कृषि प्रसंस्करण, कोल्ड–स्टोरेज संयंत्रों, रेफ्रिजरेटेड आवागमन और रिटेल श्रृंखला में निवेश के लिए प्रोत्साहित होगा। ठेके पर खेती, उत्पादक संगठन और सहकारी संस्थाओं जैसी जिन व्यवस्थाओं से किसान आसानी से बाजार पहुंच सकते हैं, कीमत का जोखिम बंट जाता है और मार्केटिंग तथा लेन–देन की लागत कम हो जाती है, उच्च मूल्य वाली कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, जिसने 2012–13 में सभी पंजीकृत कारखानों से सृजित कुल रोजगार में 11.69 प्रतिशत योगदान किया। शहरी और ग्रामीण भारतीय परिवारों में सबसे अधिक खर्च भोजन पर ही होता है। शहरी परिवार द्वारा खपत पर होने वाले कुल खर्च में 39 प्रतिशत और ग्रामीण परिवार द्वारा खपत में 49 प्रतिशत हिस्सा भोजन का ही है। कृषि, पशु और वनोत्पादों का कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल कर, होने वाली तमाम गतिविधियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ही आती हैं। कृषि पर आधारित कुछ पारंपरिक उद्योग पहले से हैं, जैसे चावल और आटे की मिलें; चीनी, खांडसारी तथा गुड़ की इकाईयां; खाद्य तेल मिल तथा चाय, कॉफी एवं काजू जैसी फसलों के प्रसंस्करण की इकाईयां। कुछ आधुनिक खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग भी हैं जैसे डेयरी उत्पाद, कनफेक्शनरी, समुद्री उत्पाद, बागवानी उत्पाद एवं सब्जियां, मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद। साथ ही, कृषि अवशेषों और मुख्य कृषि–आधारित उद्योगों के सह–उत्पादों का प्रसंस्करण भी एक सीमा तक किया जाता है। इतनी अधिक गतिविधियों के कारण विभिन्न कृषि खाद्य उद्योगों की समस्याओं की प्रकृति भी बहुत अलग है। इसलिए विभिन्न कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को समेटने वाले प्रौद्योगिकी नीति ढांचे की कल्पना ही करना कठिन है। उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने और ग्रामीण जनसंख्या की आय बेहतर करने की क्षमता है। हालांकि प्रसंस्करण से कच्चे उत्पाद की बुनियादी विशेषताएं बदल जाना तय है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ी नीतियां भी प्रसंस्करण के उद्देश्य के आधार पर अलग–अलग गतिविधियों के लिए अलग–अलग हो सकती हैं। कुछ प्रसंस्करण जरूरी हो सकते हैं, जिन्हें खपत से पहले करना ही होता है। अनाज का क्षेत्र प्रसंस्करण की इसी श्रेणी में आता है। ऐसा प्रसंस्करण देश में पहले ही किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रवेश दो प्रकार से लाभकारी माना जा रहा है। पहले तो इससे प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी और वांछित उत्पाद अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे। दूसरी बात, इससे बड़ी संख्या में उपयोगी सह–उत्पाद उत्पन्न होंगे, जिनमें से कुछ का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता या उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने में समुचित उपयोग नहीं होता। हालांकि अधिकतर प्रौद्योगिकी देश में पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर अपनाया नहीं जा रहा क्योंकि अक्सर आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं होते या सह–उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं ही नहीं होती। चूंकि खाद्यान्न क्षेत्र में सह–उत्पादों के प्रसंस्करण से नई विनिर्माण गतिविधियां आरंभ होती हैं या मौजूदा गतिविधियों में विस्तार होता है। इसीलिए ऐसी गतिविधियां अतिरिक्त रोजगार सृजित करती हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में करीब 65 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिला है।

कृषि–आधारित खाद्य प्रसंस्करण की अगली श्रेणी कुछ खाद्य–उत्पादों की ढुलाई एवं मार्केटिंग सुगम बनाने के लिए प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग से संबंधित है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण इसी श्रेणी में आता है। इससे किसानों विशेषकर छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर कृषि मजदूरों की आय बढ़ जाएगी। इससे उपभोक्ता कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरी श्रेणी ऐसी प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंधित है, जो मौसमी खाद्य उत्पादों की स्टोरेज अवधि बढ़ाने में मदद करेगी। फल और सब्जियां इसी श्रेणी में आते हैं। फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण से कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करने में मदद मिलेगी तथा आय में मौसमी उतार–चढ़ाव दूर होने से किसानों को स्थिर आय भी मिलेगी।

एक ओर, इन बाधाओं से खड़ी हुई चुनौतियां और जटिलताएं तथा दूसरी ओर, लाभदेयता और ग्रामीण एवं लघु किसानों के विकास में योगदान समेत विभिन्न उद्देश्यों के साथ सतत वृद्धि की जरूरत भारत में कृषि व्यापार गतिविधियों के संगठन के लिए अनूठे तरीकों तथा संस्थागत मॉडलों की आवश्यकता पर जोर देती है। भाग्यवश व्यक्तिगत एवं सहकारी संस्थाओं जैसे कई मॉडल सामने आए हैं और अपना स्तर या परिमाण बढ़ाने के लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें उत्पादन, खरीद, गुणवत्ता एवं क्षमता में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को सार्थक रूप से सीखना और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में निवेश करने की क्षमता रखना शामिल है। साथ ही, अधिक पूंजी की आवश्यकता भी पूरी की जा रही है।

भारत की खाद्य प्रसंस्करण नीति

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2018 में भारत की खाद्य प्रसंस्करण नीति पेश की। अन्य बातों के साथ इस नीति में राज्यों तथा दुनिया की सबसे अच्छी पद्धतियां और तरीके भी शामिल हैं। सरकार ने भारत को दुनिया का खाद्य कारखाना और वैश्विक खाद्य बाजार बनाने पर जोर दिया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के

तालिका–2 : मासिक पारिवारिक आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान (प्रतिशत में)

आय का स्रोत	औसत मासिक आय में योगदान		
	कृषक परिवार	गैर–कृषक परिवार	सभी परिवार
खेती	35	–	19
पशुपालन	8	–	4
अन्य कार्य	6	12	8
सरकारी/निजी नौकरी	34	54	43
दिहाड़ी मजदूरी	16	32	24
अन्य स्रोत	1	2	2

स्रोतः नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेश सर्वेक्षण, 2016–17

लिए अपार अवसर खुल गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय कोल्डचेन ग्रिड बनाकर कटाई के बाद बर्बादी एकदम खत्म कर देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा हुई है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरी गंभीरता के साथ अमल में लाया जाना चाहिए ताकि कृषि–खाद्य उद्योग की समुचित वृद्धि सुनिश्चित हो और ग्रामीण रोजगार के पर्याप्त मौके भी सृजित हो सकें। मल्टी–ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति जैसे सुधारों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह, पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट और सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क में कमी जैसे आकर्षक प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे कोल्डचेन, बूचड़खाने और फूड पार्क आदि पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके पीछे खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि और भी तेज करने तथा किसानों को मिलने वाला प्रतिफल बढ़ाने के लिए उन्हें मूल्य श्रृंखला से जोड़ने का विचार है। राज्यों को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी, जहां एक ही बिंदु पर अनापत्ति (सिंगल विंडो क्लियरेंस) और अन्य सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त हो सकें तथा कच्चे उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य–वस्तुओं का प्रदर्शन भी हो सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को समझने और निपटाने में जुटा हुआ है ताकि निवेशकों को मदद मिल सके और उनका निवेशकों पर भरोसा बढ़ाया जा सके जिससे विदेशी निवेशकों की सक्रियता भी बढ़ेगी।

तालिका–3 : भारत में कृषि उद्योग क्षेत्र की विशेषताएं

(वर्ष 2016–17 में)

विशेषता	कारखानों की संख्या	उससे जुड़े कुल व्यक्ति (प्रतिशत)
सभी उद्योग	234865 (100.00)	100.00
कृषि–आधारित उद्योग	96685 (41.16)	34.73
कृषि–आधारित खाद्य उद्योग	40178 (17.10)	11.36
कृषि–आधारित गैर खाद्य उद्योग	56507 (24.06)	23.37
गैर–कृषि उद्योग	138180 (59.84)	65.27
कोष्ठक में दिए आंकड़े प्रतिशत में उद्योग क्षेत्र का योगदान बताते हैं।		

स्रोतः उद्योगों की वार्षिक समीक्षा 2016–17

निष्कर्ष

उच्च मूल्य वाली जिंसों में बेहद प्रभावशाली वृद्धि और हाल के वर्षों में बढ़ती आय को देखते हुए कृषि उद्योग और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी करने पर दिए जा रहे जोर को देखते हुए इसमें और भी बढ़ोतरी की प्रचुर संभावना है। यह स्वागत योग्य कदम होगा, लेकिन इसके लिए कृषि–आधारित खाद्य एवं गैर–अखाद्य उद्योगों तथा कोल्डचेन प्रबंधन में शामिल अन्य हितधारकों से जीवंत एवं मजबूत प्रतिक्रिया भी मिलनी चाहिए। आसानी से खराब नहीं होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड–स्टोरेज एवं गुणवत्तापूर्ण स्टोरेज की मांग भी बढ़ेगी। हालिया अध्ययनों में 32.8 लाख टन क्षमता की कमी बताई गई है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में कोल्ड–स्टोरेज सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है ताकि किसानों के पास उत्पादों का भंडारण करने और बाजार में प्रचुरता होने पर उत्पाद रोकने तथा कमी होने पर उन्हें बाजार में उतारने की सुविधा हो।

इन सबसे भी अधिक कृषि उद्योग के विकास में मदद करने वाली नीतियां, उच्च मूल्य वाली जिंसों एवं अन्य गैर–खाद्य कृषि उत्पादों की मांग आकर्षक मूल्यों पर तैयार करने में दूरगामी भूमिका निभाएंगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमुख निर्यात उद्योग बनाने से कामगारों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि यह श्रम की गहनता वाला उद्योग है। कॉरपोरेट क्षेत्र घरेलू और वैश्विक बाजारों में उभरते अवसरों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कृषि व्यापार में निवेश करने को उत्सुक दिख रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को स्वस्थ कारोबारी माहौल प्रदान करने वाले सुधारों के लिए यह एकदम उपयुक्त समय है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक (योजना क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग) हैं; इससे पहले नीति आयोग में कृषि सलाहकार रह चुके हैं।)

ई–मेल : mishrajaip@gmail.com

संभावनाओं से भरपूर कृषि-आधारित उद्योग

–शिव कुमार और छत्रपाल सिंह

कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साथ–साथ औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मददगार हैं। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण और इससे मिलते–जुलते अन्य उद्योगों में निर्यात की जबर्दस्त संभावना है। ये उद्योग सहकारिता प्रणाली से संचालित होते हैं। लिहाज़ा, विकास की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाती है।

कृषि क्षेत्र में सुस्ती और उतार–चढ़ाव जैसी स्थिति है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर के आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं। अगर इस चुनौती से नहीं निपटा गया, तो कृषि पर निर्भर देश की बड़ी आबादी के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विनिर्माण क्षेत्र काफी हद तक कृषि क्षेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। खाद्य विनिर्माण से जुड़े कई क्षेत्र और कृषि से संबंधित कारोबार कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर बाजार में बिकने लायक और उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। साथ ही, इन उत्पादों को तैयार करने वाली इकाइयों को लाभ और अतिरिक्त आय भी होती है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो कहा जा सकता है कि कृषि–आधारित उद्योगों का महत्व बढ़ाने में कई पहलुओं की भूमिका रही। उदाहरण के तौर पर इन उद्योगों को लगाना अपेक्षाकृत आसान है और ग्रामीण इलाकों में कम निवेश से इन उद्योगों के जरिए आय हासिल की जा सकती है। साथ ही, ऐसे उद्योगों में कच्चे माल के अधिकतम उपयोग की गुंजाइश होती है। कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मददगार हैं। खाद्य प्रसंस्करण और इससे मिलते–जुलते अन्य उद्योगों में निर्यात की जबर्दस्त संभावना है। ये उद्योग सहकारिता प्रणाली से संचालित होते हैं। लिहाज़ा, विकास की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो पाती है।

कृषि और कृषि–आधारित उद्योगों के बीच संबंध

देश की तकरीबन दो–तिहाई आबादी कृषि और कृषि–आधारित उद्योगों पर निर्भर है। भारत में कृषि क्षेत्र में विरोधाभासी स्थितियां नजर आती हैं। इस क्षेत्र की वृद्धि दर में सुस्ती है और उत्पादन में स्थिरता जैसी स्थिति है, जबकि बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराने में कृषि–आधारित उद्योगों की अहम भूमिका हो सकती है। भारतीय कृषि प्रणाली में कृषि वानिकी को किसानों की आय बढ़ाने का महज पूरक जरिया माना जाता है। कृषि वानिकी का मतलब खेती के तहत पेड़–पौधे और बाग–बगीचे लगाकर आय हासिल करना है। खेती की इस प्रणाली से कृषि का व्यावसायीकरण होता है और इसमें विविधता के लिए गुंजाइश बनती है। इस प्रणाली से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ती है, बल्कि खाद्य पदार्थों का भंडार भी बढ़ता है। औद्योगिक विकास के संदर्भ में दुनियाभर में यह एक

स्थापित तथ्य है कि जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, कृषि क्षेत्र में कृषि–आधारित उद्योगों की भूमिका भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि खाद्य पदार्थ न सिर्फ उत्पाद हैं, बल्कि इसमें प्रसंस्कृत उत्पादों का व्यापक दायरा है। इस लिहाज से देखा जाए तो विकासशील देशों में तो कृषि–आधारित उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का अहम हिस्सा हैं।

संभावनाएं

कृषि क्षेत्र में गिरावट और उतार–चढ़ाव जैसी स्थिति के कारण इस क्षेत्र में बढ़ोतरी के आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं। अगर इस चुनौती से नहीं निपटा गया, तो कृषि पर निर्भर देश की बड़ी आबादी के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे। खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसका कृषि के साथ काफी जुड़ाव है। खाद्य विनिर्माण से जुड़े कई क्षेत्र और कृषि से संबंधित कारोबार कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि–आधारित विभिन्न उद्योगों में से खाद्य विनिर्माण के क्षेत्र में ज्यादा सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के विकास और कृषि उत्पादन के व्यावसायीकरण और विविधीकरण में खाद्य विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने वाले लागत कम करने के लिए अक्सर वैसी जगह पर उद्योग लगाते हैं, जहां से कच्चे माल की उपलब्धता बिल्कुल नज़दीक हो। अतः नीतियों में अहम बदलाव के तहत कृषि–प्रसंस्करण के व्यावसायीकरण और विविधीकरण के जरिए कृषि विकास को रफ्तार देने की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था में अब तक इन उद्योगों, खासतौर पर खाद्य–विनिर्माण क्षेत्र की पूरी संभावनाओं का दोहन नहीं हो पाया है। आय में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ते शहरीकरण, मध्य वर्ग के लोगों की आय में तेजी से वृद्धि और कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, एकल परिवार के बढ़ते प्रचलन, साक्षरता में बढ़ोतरी और पश्चिमी खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन के कारण प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और कृषि–आधारित अन्य उद्योगों की मांग बढ़ रही है। खाने–पीने के बाजार में पिछले तीन दशकों से प्रसंस्कृत खाद्य–पदार्थों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आय में वृद्धि के साथ–साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ रही है और किसी भी अन्य खाद्य के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी की संभावना सबसे ज्यादा है। वर्ष 2020 तक खाद्य क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य–पदार्थों और पेय पदार्थों की हिस्सेदारी बढ़कर 15 फीसदी तक पहुंच जाने की संभावना है। इन चीजों की बढ़ती मांग, माल ढुलाई, रसद, संचार, तकनीकी नवाचार में बेहतरी व कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के अनुकूल आर्थिक नीतियों के कारण प्रसंस्करण उद्योग में विकास की जबर्दस्त संभावनाएं दिख रही हैं। इससे जुड़ा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार काफी बड़ा है। अगर आधुनिक तकनीक और ज़ोरदार मार्केटिंग (विपणन) के साथ बड़े पैमाने पर इस उद्योग से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तभी घरेलू और निर्यात संबंधी बाजार की संभावनाओं का पूरा–पूरा दोहन किया जा सकेगा। कृषि उद्योग के विकास से खेती और इससे संबंधित उद्योग–कारोबार को ज्यादा आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, उत्पादन और मार्केटिंग, दोनों स्तरों पर रोज़गार के बड़े मौके उपलब्ध कराए जा सकेंगे। भारत में खाद्य–प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोज़गार पैदा करने की अच्छी संभावना है। कृषि उत्पादों के व्यापक विकास से भारत की सामाजिक व भौतिक, दोनों तरह की आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

एग्रीबिजनेस

एग्रीबिजनेस यानी कृषि–कारोबार का मतलब खेत से लेकर संयंत्र तक की व्यावसायिक गतिविधियों से है। कृषि–कारोबार पूरी दुनिया में रोजगार और आय पैदा करने का प्रमुख माध्यम है। कृषि–कारोबार में वैसा कच्चा माल शामिल है, जो आमतौर पर जल्द खराब हो जाता है और आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता। इस क्षेत्र में उपभोक्ता सुरक्षा, उत्पाद की गुणवत्ता और पर्यावरण संबंधी संरक्षण को लेकर सख्त नियम हैं। उत्पादन और वितरण के पारंपरिक तरीकों की जगह अब कृषि–कारोबार से जुड़ी फर्मों, किसानों, खुदरा व्यापारियों और अन्य की बेहतर और समन्वित आपूर्ति श्रृंखला देखने को मिल रही है।

किसान उत्पादक संगठनः संसाधनों और सेवाओं की कमी का सामना करने वाले छोटे और असंगठित किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों के हित में सामूहिक कार्रवाई की जरूरत थी। इसके तहत ठेके पर खेती, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), संयुक्त दायित्व समूह आदि नए तरह के संस्थान अस्तित्व में आए। एफपीओ हर स्तर पर संपर्क सूत्र मुहैया कराते हुए छोटे किसानों और बाहरी दुनिया के बीच एक कड़ी बनकर उभरे हैं। इसके जरिए किसानों को न सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए मंच मिल रहा है, बल्कि उन्हें बाजार की उपलब्धता, अपनी शर्तों पर समझौता करने की ताकत और बेहतर कीमतें प्राप्त करने जैसी सहूलियतें भी प्राप्त हो रही हैं। एफपीओ का ढांचा और संगठन अलग–अलग देशों में अलग–अलग होता है। यह किसी देश की वैधानिक और नीतिगत संरचना पर निर्भर करता है।

सफलता की कुछ कहानियां

पुणे जिले के जुन्नर और अंबेगांव ताल्लुके में एफपीओ– यहां 25 जुलाई, 2014 को कृषिजीवन एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका मकसद कृषि क्षेत्र में मौजूद बेहतर से बेहतर जानकारी के जरिए किसानों की क्षमता को मजबूत बनाना था, ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करना, अच्छी खेती के लिए सूचनाएं और सेवाएं मुहैया कराना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, उत्पादक समूहों को बाजार में मौजूद अवसरों

के साथ जोड़ने समेत बेहतर कीमत वाले बाजार उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य है। एफपीओ ने इस क्षेत्र के 1,500 संगठित किसानों के साथ काम किया। एफपीओ ने उत्पाद की खरीदारी और बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, इसने प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस हासिल किया, जिसके तहत इस संस्था से जुड़े किसानों का टमाटर सीधे तौर पर खरीदा जा सकता था। साथ ही व्यापारियों, निर्यातकों और प्रसंस्करण उद्योगों से भी एफपीओ जुड़ा। इसके तहत उत्पादों की खरीदारी संग्रह केंद्रों, भंडारण वाली जगहों से की जाती है, जहां सभी सुविधाएं पहले से मौजूद होती हैं। एफपीओ ने किसानों से खरीदारी के लिए माल ढोने वाले वाहनों का भी इंतजाम किया और खुदरा कारोबारियों व उपभोक्ताओं को उत्पाद का वितरण किया। किसानों की इस सामूहिक कार्रवाई से उन्हें (किसानों को) बाजार संबंधी सिरदर्दी से छुटकारा मिल गया। साथ ही, किसानों का परिचालन संबंधी खर्च काफी हद तक कम हुआ और उन्हें अपने उत्पाद की गुणवत्ता के मुताबिक अच्छी कीमत मिलने लगी। इसके अलावा, एफपीओ के कारण अपनी खेती को लेकर (आजीविका के लिए स्थायी पेशे के तौर पर) किसानों का नज़रिया भी बदला। एफपीओ ने आधुनिक और उच्च तकनीक को अपनाने के बाद टमाटर की फसल के बेहतर प्रबंधन का लक्ष्य हासिल किया और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की। साथ ही, संबंधित क्षेत्र में वैश्विक जीएपी सिस्टम भी पेश किया।

हरियाणा में कई किसानों ने मशरूम की खेती शुरू की है और वे धान की फसल के अवशेषों को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मशरूम की खेती ने पुआल की मांग बढ़ा दी है। अनुमानों के मुताबिक, एक हेक्टेयर धान की खेती में 2.5 टन पुआल का उत्पादन होता है। यह पुआल अब मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए बेशकीमती हो चुका है। मशरूम के लिए जैविक खाद के रूप में पुआल का इस्तेमाल करने की वजह आर्थिक है।

पुआल से आय

अक्टूबर महीने के आखिर से नवंबर के पहले एक–दो हफ्ते तक दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा खेतों में धान की कटाई के बाद खेत में बचा अवशेष पराली जलाने के कारण दिल्ली–एनसीआर में दिनभर धुंध छाई रहती है और प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। यह समस्या मुख्य रूप से दो वजहों से पैदा हुई है। पहली, फसलों को काटने के लिए उपलब्ध उच्च तकनीक वाली मशीन के कारण, जिसमें फसल की ठूंठ खेत में ही छूट जाती है। दरअसल, मशीन से धान की कटाई मजदूरों से कटाई के मुकाबले सस्ती पड़ती है। दूसरी वजह, धान की कटाई और नई फसल की बुआई के बीच का अंतराल काफी कम होना है। दरअसल, मजदूरों से धान की कटाई कराने पर गेहूं की फसल की बुआई में देरी हो जाती है। किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए खेत साफ करना होता है और इसका सबसे सस्ता तरीका अवशेष को जला देना है। हरियाणा में कई किसानों ने मशरूम की खेती शुरू की है और वे धान की फसल के अवशेषों को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मशरूम की खेती ने पुआल की मांग बढ़ा दी है। अनुमानों के मुताबिक, एक हेक्टेयर धान की खेती में 2.5 टन पुआल का उत्पादन होता है। यह पुआल अब मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए बेशकीमती हो चुका है। मशरूम के लिए जैविक खाद के रूप में पुआल का इस्तेमाल करने की वजह आर्थिक है। दरअसल, किसान पहले मशरूम के लिए जैविक खाद बनाने में गेहूं की फसल के अवशेष का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि, यह किसानों को काफी महंगा पड़ रहा था। धान की पुआल की कीमत गेहूं की फसल के अवशेष के मुकाबले 9 गुना कम है। 0.12 हेक्टेयर ज़मीन पर मशरूम उगाने के लिए पांच टन धान के पुआल की जरूरत होती है। गेहूं की फसल का अवशेष (भूसा–भूसी) महंगा है, क्योंकि इसकी मांग ईंट–भट्ठे पर ईंधन के तौर पर भी है। लोग इसे पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें धान के पुआल के मुकाबले ज्यादा पोषणकारी तत्व होते हैं। इसके अलावा, धान की पुआल का इस्तेमाल थर्मल पॉवर प्लांट, बायोमास प्रसंस्करण, कार्डबोर्ड निर्माण आदि में भी होता है। सही नीतियां बनाकर और संस्थान एवं तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से पराली जलाने से बचा जा सकता है और यह स्थायी समाधान की तरह होगा।

सोयाबीन प्रोटीन, संभावनाओं वाला कारोबार

पूर्वी एशियाई और दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों में सोयाबीन की मांग पूरी करने के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। दरअसल, इन देशों को छोटे जहाजों में कम मात्रा में सोयाबीन की जरूरत होती है और पश्चिमी देशों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत उनकी ऐसी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर किसानों को सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी मिले, तो वे इस फसल का रकबा बढ़ा सकते हैं। यह सब कुछ सोयाबीन तेल के निर्यात में बढ़ोतरी, खाद्य तेल के आयात में कमी व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। सोयाबीन देश में उपलब्ध प्रोटीन के अन्य साधनों जैसा ही बेहतर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ है। यह प्रोटीन का बेहद सस्ता साधन है। इसके अलावा, प्रसंस्करण आदि के बाद भारतीय सोयाबीन प्रोटीन अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। सस्ते प्रोटीन की प्रचुरता, कुपोषण से लड़ने और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने का अहम साधन हो सकती है। सोयाबीन के प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले संयंत्र को लगाने के बाद यह संभव हो सकता है। सोयाबीन प्रोटीन के निर्यात को बढ़ावा देने और इसका आयात समाप्त करने के लिए भारत सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है।

भारत में पोस्ता दाना का कारोबार

पोस्ता दाना का व्यवसाय पूरी दुनिया में दवाएं तैयार करने

में इसके इस्तेमाल के चलते काफी आकर्षक है। हालांकि, इसका पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार भी होता है। भारत में पोस्ता दाना का व्यवसाय नियम–कानून के स्तर पर काफी हद तक नियंत्रित है। पोस्ता दाना के निर्यातक देशों को केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड द्वारा इसके आयात की अनुमति देने के फैसले को लेकर काफी विवाद चल रहा है। ज़ाहिर तौर पर किसान ऐसे फैसले को लेकर काफी चिंतित हैं। किसानों को डर है कि उन्हें अपने पास मौजूद स्टॉक की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। भारत में पोस्ता दाना की खेती का नियमन केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड पोस्ता दाना उगाने के लिए 25,000–30,000 किसानों को लाइसेंस जारी करता है। पोस्ता दाना से प्रसंस्कृत लेटेक्स पर सरकार का मालिकाना हक होता है और सरकार से किसानों को 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति किलो तक लेटेक्स की कीमत मिलती है। पोस्ता दाना को खुले बाजार में बेचा जा सकता है और इससे दस लाख रुपये प्रति क्विंटल तक कीमत वसूली जा सकती है। लेटेक्स का प्रसंस्करण सिर्फ सरकारी क्षेत्र में होता है। लेटेक्स का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। खाद्य और दवा कंपनियां पोस्ता दाना तेल तैयार करने के लिए भी पोस्ता दाना का इस्तेमाल करती हैं। कभी–कभी समाचार–माध्यमों में यह खबर आती है कि भारतीय आयातकों के समूह ने निर्यातकों को अग्रिम भुगतान कर केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में जारी आयात परमिट को दरकिनार कर दिया। उन्होंने केंद्रीय नारकोटिक्स बोर्ड की आयात संबंधी अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पहले ऐसा किया।

भारत सरकार द्वारा पोस्ता दाना की उपलब्धता सीमित किए जाने के कारण कई वास्तविक खरीदारों को इससे वंचित होना पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के पालन के लिए सरकार पोस्ता दाना का आयात कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने पोस्ता दाना को 'आयात के लिए मुक्त' कमोडिटी की श्रेणी में रखा है। साथ ही, सरकार ने भारत में पोस्ता दाना और अन्य मादक द्रव्यों का मुक्त आयात रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि, सरकार की नीतियों से पोस्ता दाना उत्पादक किसानों को भी दिक्कत हो सकती है। पिछले कुछ साल में पोस्ता दाना का उत्पादन 10.14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा है। पोस्ता दाना की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर इसकी खेती की अनुमति देनी चाहिए। किसानों के लिए पोस्ता दाना की खेती से आय बढ़ाना मुमकिन होगा। हालांकि, अनुमति देने से पहले जरूरी नियमन और सख्ती का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

कृषि–कारोबार आधारित विनिर्माण गतिविधियों के लिए खास रणनीति तैयार करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में सफल और मुनाफे वाला व्यवसाय स्थापित करने के लिए काफी गुंजाइश है। साथ ही, ऐसे कारोबार के लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी की भी जरूरत होती है।

बहु–उद्देशीय कोल्डचेन शुरू करें– जल्द खराब होने वाली चीजें, मसलन मांस, मछली, फल और सब्जियां, दूध आदि के लिए कोल्ड–स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस सुविधा की मदद से इन उत्पादों को ज्यादा टिकाऊ बनाया जा सकता है। भंडारण और वितरण गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि–आधारित खाद्य शृंखलाएं कारोबार के विस्तार के लिए बड़ा अवसर मुहैया कराती हैं।

(लेखक शिव कुमार प्रमुख वैज्ञानिक और छत्रपाल सिंह आईसीएआर–राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति शोध संस्थान में शोध सहायक हैं।)

ई–मेल : shivkumardull@gmail.com
cpsinghsawad@gmail.com

भारत में कृषि-आधारित उद्योगों का अवलोकन

–डॉ. के.के. त्रिपाठी

कृषि–आधारित उद्योग देश के भीतर और बाहर प्रतिस्पर्धी लाभ की धारणा के अनुरूप हैं। वे अधिशेष ग्रामीण श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी/प्रच्छन्न रोजगार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहां वास्तविक चुनौती यह है कि सरकार अपनी योजनाबद्ध और नीतिगत हस्तक्षेप को कितने प्रभावी ढंग से लागू करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सामाजिक–आर्थिक संरचना, कृषि उत्पादन प्रणाली और बुनियादी कृषि विनिर्माण विशेषताओं की पहचान को कम किए बिना एक सर्वांगीण औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों ने हमेशा न केवल उत्पाद और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से, बल्कि प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से कृषि उत्पादों में प्रणालीगत मूल्य–संवर्धन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की वकालत की है। भारत की विशाल जनसंख्या अभी भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। भारतीय किसान काफी हद तक असंगठित हैं। वे अपने विपणन योग्य अधिशेष के निपटान के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत संपत्ति की कमी के कारण उन्हें बिचौलियों/कमीशन एजेंटों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्राथमिक कृषि उत्पादन से कम आय और प्रसंस्करण तथा कृषि–मूल्य श्रृंखला में निवेश की कमी के कारण कृषि के मुनाफे में तेज़ी से कमी आई है एवं कृषि कार्य अब गंभीर दबाव में आ गया है।

ग्रामीण और शहरी भारत में औद्योगिक परिदृश्य

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (तालिका–1) के वार्षिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट की गई संगठित विनिर्माण इकाइयों के औद्योगिक आंकड़े बताते हैं कि 2017–18 में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कारखानों की संख्या कम थी। हालांकि, उनके कुल उत्पादन और क्षेत्र में शुद्ध वर्धित मूल्य के संबंध में समानता थी। इससे पता चलता है कि अधिक ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण अधिशेष श्रम को न केवल रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी परंतु, कुल औद्योगिक उत्पादन और मूल्यवर्धन में भी बड़े पैमाने पर योगदान देंगी।

कृषि–आधारित उद्योग– परिभाषा और प्रकार

ग्रामीण क्षेत्रों और उनके आसपास कृषि–आधारित उद्योगों का विकास कृषि को स्वीकार्य और आकर्षक बनाने तथा स्थिरता प्रदान करने की क्षमता रखता है। "कृषि उद्योग" एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न औद्योगिक, प्रसंस्करण और विनिर्माण गतिविधियों का समावेश कृषि पर आधारित कच्चे माल पर होता है और उन गतिविधियों और सेवाओं को भी समाहित करता है जो इनपुट के रूप में कृषि से प्राप्त होती हैं। कृषि और उद्योग किसी भी विकासशील राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में उनकी परस्पर निर्भरता

और आपसी संबंधों के कारण एक–दूसरे के पूरक हैं। कृषि उद्योग को इनपुट प्रदान करती है और औद्योगिक उत्पादन का उपयोग कृषि में इसके उत्पादन और उत्पादकता आधार का विस्तार करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, कृषि उद्योग न केवल कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करने वाली गतिविधियों को शामिल करता है, बल्कि उन्हें भी शामिल करता है जो आधुनिक कृषि व्यवसाय के लिए इनपुट भी प्रदान करते हैं।

इनपुट–आउटपुट अनुबंधन और कृषि व उद्योग एक–दूसरे पर आधारित होने के कारण कृषि उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं– (क) प्रसंस्करण उद्योग या कृषि–आधारित उद्योग और (ख) इनपुट आपूर्ति उद्योग या कृषि उद्योग। इस प्रकार, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिए तैयार और विनिर्माण आदानों के माध्यम से कृषि का समर्थन करने वाली एजेंसियों को 'कृषि उद्योग' कहा जाता है, जबकि कृषि–आधारित उद्योग प्रक्रिया और मूल्य ऐसे कृषि संसाधनों को जोड़ते हैं जिनमें ज़मीन और पेड़–पौधे, फल और सब्जियों इत्यादि के साथ–साथ उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों में उपयोगी पशुधन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण ढांचे के अनुसार, कृषि–आधारित उद्योग में खाद्य और पेय, कपड़ा, जूते और परिधान, चमड़ा, रबर, कागज और लकड़ी, तम्बाकू उत्पाद के विनिर्माण/प्रसंस्करण शामिल हैं।

कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा क्यों?

भारत में विश्व की 10 वीं सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि, 20 कृषि जलवायु क्षेत्र और 15 प्रमुख जलवायु हैं। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 में देश में कुल कृषकों की संख्या 12.73 करोड़ से घटकर 11.88 करोड़ कृषक रह गई है। इसका कारण कृषि प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से मूल्य–संवर्धन, अपव्यय में कमी और वृद्धिशील आय पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना भारतीय कृषि का अत्यधिक उत्पादोन्मुखीकरण होना हो सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट–हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी वर्ष 2015 की रिपोर्ट में "भारत में वस्तुओं और प्रमुख फसलों की कटाई और कटाई–उपरांत होने वाली मात्रात्मक हानियों का आंकलन" शीर्षक से रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिंसों की कटाई और कटाई के बाद का नुकसान अनाज के लिए 4.65–5.99 प्रतिशत, दालों के लिए 6.36–8.41 प्रतिशत, तिलहन के लिए 3.08–9.96 प्रतिशत, फलों के लिए 6.7–15.88 प्रतिशत और सब्जियों के लिए 4.58–12.44 प्रतिशत होते हैं। मात्रात्मक नुकसान का कुल अनुमानित आर्थिक मूल्य 2014 की औसत वार्षिक कीमतों पर 9651 करोड़ रुपये पाया गया। इस प्रकार, नुकसान को काफी हद तक कम करने, आधुनिक कृषि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के संवर्धन और उसे अपनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में कृषि उद्योगों की स्थापना करना समय की मांग है।

कृषि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का यही सही अवसर है क्योंकि शायद ही 2 से 3 प्रतिशत कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण किया जाता है। भारतीय कृषि में मौजूदा मूल्यों में आ रही कमी के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करना आवश्यक है ताकि उपयुक्त बुनियादी ढांचे का विकास हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में तथा आसपास के आधुनिक कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए निजी–सार्वजनिक भागीदारी को आकर्षित किया जा सके।

कृषि–आधारित उद्योगों की विशेषताएं

भारत में कृषि आधारित उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है– (1) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी संयंत्रों, चावल मिलों, दाल मिलों आदि को शामिल करने वाली कृषि–प्रसंस्करण इकाईयां; (2) चीनी, डेयरी, बेकरी, साल्वेंट निष्कर्षण, कपड़ा इकाईयों आदि को शामिल करने वाली कृषि निर्माण इकाईयां; (3) कृषि, कृषि औज़ार, बीज उद्योग, सिंचाई उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक आदि के मशीनीकरण को शामिल करने वाली कृषि–इनपुट निर्माण इकाईयां। तालिका–2 में उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा से, भारत के कृषि–आधारित उद्योगों की जटिल और विविधतापूर्ण प्रकृति को दर्शाया गया है।

ग्रामीण और कृषि–आधारित उद्योग उत्पादन, वितरण, विनिर्माण और विपणन चरणों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं। तालिका–3 चुनिंदा कृषि उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करती है। वर्ष 2017–18 में कृषि–आधारित उद्योगों का 45.3 प्रतिशत कुल शुद्ध मूल्य संवर्धन के लिए केवल 24.1 प्रतिशत साझा किया गया, भले ही कुल श्रमिकों का 44.2 प्रतिशत इस क्षेत्र में लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि कृषि–आधारित औद्योगिक

तालिका–1 : भारत में उद्योगों का ग्रामीण–शहरी विभाजन (2017–18)

(मूल्य आंकड़े लाख रुपये में)

क्षेत्र	कारखाने	कर्मचारी	लगे हुए कुल व्यक्ति	कुल उत्पादन	शुद्ध वर्धित मूल्य
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण	98,177	55,55,120	69,82,408	40,34,65,937	6,20,03,250
शहरी	1,39,507	66,69,282	86,32,189	40,47,01,178	6,18,09,605
कुल से ग्रामीण का प्रतिशत	41	45	45	50	50
कुल	2,37,684	1,22,24,402	1,56,14,598	80,81,67,115	12,38,12,856

स्रोतः उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, 2017–18 (अनंतिम)

तालिका–2 : चयनित कृषि–आधारित उद्योग और तैयार आउटपुट की श्रेणी

क्र.सं.	श्रेणी	तैयार उत्पाद
1	अनाज	गेहूं का आटा; बिस्कुट विनिर्माण; मिष्ठान और बेकरी; (फूला हुआ और परतदार); चावल, चावल की भूसी और चावल की भूसी का तेल; मकई के भुने हुए फूल; डिब्बाबंद बेबी कॉर्न; स्टार्च सामग्री आदि।
2	दलहन	चने का आटा (बेसन); नमकीन (खाने के लिए तैयार नमकीन); पापड़; पूरी या भाजित दाल आदि।
3	तिलहन	खाद्य तेल; पशुओं का चारा; प्रसंस्कृत बीज (तिल) आदि।
4	फल और सब्जियां	जमे हुए फल और सब्जियां; चिप्स और वैफ़र (स्नैक्स खाने के लिए तैयार); फ्रेंच फ्राइज़ (रेडी टू ईट स्नैक्स); निर्जलित सब्जियां; केचप, प्यूरी और सांद्रता; रस; अचार आदि।
5	मसाला	चटनी और पाउडर; ओलियोरसिन, सुगंधित अर्क आदि।
6	डेयरी	स्किम्ड मिल्क पाउडर, घी, दही, आदि।
7	फूलों की खेती	ताज़ा और सूखे फूल आदि।
8	मत्स्य उद्योग	मछली प्रसंस्करण, मछली का भोजन, मछली/झींगा अचार आदि।
9	पशुधन और कुक्कुट	प्रसंस्कृत पोल्ट्री उत्पाद, मांस ग्रेवी एकाग्रता, मटन और मेमना प्रसंस्करण आदि।
10	औषधीय जड़ी–बूटी	औषधीय उत्पाद
11	कपास और जूट	फाइबर प्रसंस्करण
12	गन्ना	गुड़, मिष्ठान और बेकरी उत्पाद
13	वृक्षारोपण फसल	चाय पाउडर, कॉफी पाउडर आदि।
14	अन्य	शहद, मशरूम आदि।

परिदृश्य ने स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडी–उन्मुख केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से किए गए प्रयासों के लाभों को पूरी तरह से भुनाया नहीं है। वर्ष 2017–18 में कुल 1.07 लाख कृषि–आधारित इकाईयां थीं। कृषि उद्योगों की कुल संख्या में खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के निर्माता कंपनियों का 38 प्रतिशत हिस्सा है और कुल शुद्ध मूल्य में 36.8 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि–आधारित उद्योगों में आसन्न मुद्दों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से हल करने से कृषि–आधारित उद्योगों को अधिक दृश्यमान और पारिश्रमिक बनाने की एक बड़ी क्षमता है।

चुनिंदा सरकारी पहल की समीक्षा

(अ) खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मूल्यवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करता है। इसने हाल ही में नई केंद्रीय क्षेत्र योजना–प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत अपनी योजनाओं को 2016–20 की अवधि के लिए रुपये 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ पुनः संरचित किया है। योजना में निम्नलिखित घटक संस्थापित किए गए है– (अ) मेगा फूड पार्क (ब) एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धित आधारभूत ढांचा (स) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन आधारभूत ढांचा (द) मानव संसाधन विकास तथा संस्थाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) में तीन नई योजनाएं शामिल हैं; कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए आधारभूत संरचना, विनिर्माण और विपणन सुविधाओं का निर्माण तथा खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण इकाइयों की स्थापना में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ मज़बूत आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक जैसे एकीकृत कोल्डचेन और मूल्यवर्धन आधारभूत ढांचा एवं विनिर्माण और विपणन सुविधाओं का निर्माण, कृषि उत्पादन की कटाई और फसल के बाद के नुकसान को कम करने और ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में पारिश्रमिक आय और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

(ब) कपड़ा उद्योगः कपड़ा उद्योग को अत्यधिक रोजगार प्रदान करने वाला माना जाता है। यह 4.5 करोड़ लोगों को सीधे और अन्य 6 करोड़ लोगों को संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी भी शामिल है। भारतीय कपास कपड़ा उद्योग काफी हद तक असंगठित है और उच्च–उत्पादन तथा श्रम लागत से ग्रस्त है। उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं– पुरानी होती मशीनरी, कच्चे माल की गुणवत्ता और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्यवर्धित कपास उत्पादों के लिए समुचित–स्तर का अभाव। वस्त्र उद्योग को विश्व–स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई योजनाबद्ध पहल की हैं जैसे कि– एकीकृत टेक्सटाइल पार्क हेतु योजना एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना, समूहबद्ध कार्ययोजना, सामान्य सुविधा केंद्र तथा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, पॉवरलूम क्षेत्र के विकास के लिए योजना (पॉवर–टेक्स), समर्थ– कपड़ा

उद्योग क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना, व्यापक हथकरघा समूह विकास योजना, राज्य और केंद्र की कर और लेवी छूट आदि।

(स) जूट उद्योगः भारत में जूट उद्योग की स्थापित क्षमता 16.5 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 11.5 लाख मीट्रिक टन जूट का उत्पादन होता है। ऐसा अतिरिक्त क्षमता विपणन और श्रम संबंधी मुद्दों के कारण है। सरकार ने जूट मिलों की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक और उपकरणों को लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड योजनाबद्ध हस्तक्षेप एवं अन्य बातों के साथ–साथ, जूट मिलों को उनके मुद्दों और चुनौतियों को हल करने के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

(द) खादी और ग्रामोद्योगः देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न फसल–उपरांत कृषि और खाद्य–आधारित सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देता है जैसे दालों और अनाज, फलों और सब्जियों, ग्रामीण तेल उद्योग, ब्रेड बेकिंग आदि का प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश करता है, जिसमें अन्य बातों का समावेश है (i) कृषि–आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (ii): वन–आधारित उद्योग (iii) हस्तनिर्मित कागज और (iv) फाइबर/कपड़ा उद्योग।

(इ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालनः रोजगार और आय–सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। जैसेकि इस उप–क्षेत्र में कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डेयरी गतिविधियों में डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में सहायक डेयरी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठनों का एकीकरण, एकीकृत विकास व प्रबंधन तथा मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन आधारभूत संरचना विकास निधि का समावेश।

कृषि–आधारित उद्योगः मुद्दों और समस्याओं की समीक्षा

कृषि–आधारित औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में समान आय और रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी उच्च–क्षमता के बावजूद अविकसित रह गया है। उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा इंगित करती है कि भारत में कृषि–आधारित इकाइयों के प्रलंबित मुद्दों का समाधान किया जाना है जैसेकि, वित्त, औद्योगिक नीति, अनुसंधान और विकास, बुनियादी सुविधाएं विपणन, उत्पादन और मानव संसाधन संबंधी चिंताएं। तालिका–4 भारत में कृषि–आधारित उद्योगों के समक्ष समस्याओं एवं संबद्ध प्रमुख मुद्दों को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

भारतीय योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने हमेशा ग्रामीण और कृषि औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया है। कृषि उद्योगों

तालिका–3 : 2017–18 में चुनिंदा कृषि–आधारित उद्योगों के प्रमुख लक्षण

क्र. स.	उद्योग का वर्ग	कारखाना (संख्या में तथा प्रतिशत में)	लगे हुए कुल व्यक्ति (संख्या में तथा प्रतिशत में)	शुद्ध वर्धित मूल्य (लाख में तथा प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1	खाद्य उत्पाद	37,833 (15.9)	17,72,399 (11.4)	93,71,285 (7.6)
2	कपड़ा	17,957 (7.6)	16,78,561 (10.7)	5669257 (4.6)
3	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	14,193 (6.0)	7,12,872 (4.6)	43,23,694 (3.5)
4	परिधान	10,498 (4.4)	11,89,520 (7.6)	32,38,377 (2.6)
5	कागज और कागज उत्पाद	7,109 (3.0)	2,84,057 (1.8)	17,41,060 (1.4)
6	तम्बाकू उत्पाद	3,591 (1.5)	4,61,335 (3.0)	16,39,755 (1.3)
7	पेय उत्पाद	2,329 (1.0)	1,61,065 (1.0)	16,27,362 (1.3)
8	चमड़ा और संबंधित उत्पाद	4,617 (1.9)	3,87,134 (2.5)	10,91,491 (0.9)
9	कॉटन ओटाई, सफाई, बीज प्रसंस्करण आदि।	3,316 (1.4)	79,471 (0.5)	4,18,527 (0.3)
10	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	4,565 (1.9)	98,653 (0.6)	3,68,650 (0.3)
11	फर्नीचर का निर्माण	1,755 (0.7)	81,465 (0.5)	3,56,103 (0.3)
12	कुल कृषि आधारित उद्योग	1,07,763 (45.3)	69,06,532 (44.2)	2,98,45,561 (24.1)
13	अन्य	1,29,921 (54.7)	87,08,066 (55.8)	9,39,67,295 (75.9)
	अखिल भारतीय	2,37,684 (100.0)	1,56,14,598 (100.0)	12,38,12,856 (100.0)

तालिका–4 : भारत में कृषि–आधारित उद्योगों के मुद्दे और सम्मुख समस्याओं के प्रकार

क्र.सं	मुद्दे		समस्याओं के प्रकार
1.	कृषि–आधारित इकाइयों के लिए वित्त	•	वित्त की कमी/अपर्याप्तता/बैंक से वित्त की अनुपलब्धता
		•	अनुचित परियोजना मूल्यांकन
		•	बैंक वित्तपोषण की अनिच्छा
		•	बैंक वित्त प्राप्त करने में देरी
		•	उच्च ब्याज दरों और परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण लागत में वृद्धि ।
2	औद्योगिक नीति, अनुसंधान और विकास	•	इकाई–स्तर पर औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में कमी
		•	सख्त विनियामक प्रावधान, पर्यावरण, कर, श्रम नीति/अधिनियम/नियम
		•	औद्योगिक अनुसंधान और विकास का अभाव
		•	सही परामर्श की अनुपलब्धता
		•	गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मान्यता–प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशाला का अभाव
3	आधारभूत ढांचा	•	गोदाम की कमी, कोल्डचेन की सुविधाएं
		•	महंगी परिवहन सहायता
		•	क्षेत्रगत नुकसान
		•	अपव्यय प्रबंधन
		•	गोदाम, कोल्डचेन , सुविधाओं से दूरी
4	विपणन	•	अनुचित बाजार अनुसंधान के साथ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच की कमी
		•	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा
		•	सरकारी आर्थिक सहायता और अन्य सहायता पर निर्भरता
		•	प्रसंस्कृत उत्पादों की असंगत गुणवत्ता
		•	कमजोर और अस्तित्वहीन बाजार विकास
5	उत्पादन	•	विनिर्माण और विपणन सुविधाओं के निर्माण के मुद्दे
		•	मशीनरी की समस्याएं – अनुचित और अप्रचलित प्रसंस्करण और सहायक उपकरण
		•	क्षमता का आंकलन
		•	शॉर्टेज या असंगत कच्चे माल की आपूर्ति
		•	फसलों का मौसम–आधारित होना
6	मानव संसाधन	•	ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी
		•	अकुशल श्रम
		•	कौशल विकास के उन्नयन में कम निवेश

के निहित लाभ स्थानीय कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बड़े पैमाने पर निवेश को जुटाना, रोजगार अवसरों का सृजन, संकटपूर्ण ग्रामीण–शहरी प्रवास की रोकथाम, क्षेत्रों में असमानता में कमी लाना है। इन उद्योगों में गांवों में प्रचार/लाभदायक व्यवसाय, गतिविधि विविधीकरण के लिए एक विस्तृत, विश्वसनीय और टिकाऊ मॉडल पेश करने की क्षमता है। यह उद्योग मुद्दों तथा चुनौतियों से परे नहीं हैं। सरकार विभिन्न केंद्रीय योजनाओं मेक–इन–इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे नवीन प्रयासों के द्वारा अत्याधुनिक कृषि औद्योगिक आधारभूत संरचना सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

कृषि–आधारित उद्योग देश के भीतर और बाहर प्रतिस्पर्धी लाभ की धारणा के अनुरूप हैं। वे अधिशेष ग्रामीण श्रम को रोजगार प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी/प्रच्छन्न रोजगार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहां वास्तविक चुनौती यह है कि सरकार अपने योजनाबद्ध और नीतिगत हस्तक्षेप को कितने प्रभावी ढंग से लागू करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सामाजिक–आर्थिक संरचना, कृषि उत्पादन प्रणाली और बुनियादी कृषि विनिर्माण विशेषताओं की पहचान को कम किए बिना एक सर्वांगीण औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(लेखक वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, (वैमनीकॉम) पुणे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक हैं। तथा लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
ई–मेल : tripathy123@rediffmail.com

कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन

—सतीश सिंह

सही समय पर वित्तीय सहायता मिलने पर ही किसान फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं और जब कृषि–आधारित उद्योगों को कच्चा माल समय पर और सस्ती दर पर मिलेगा तभी उनका समुचित विकास हो सकेगा और यह सब बिना वित्तीय सहायता के मुमकिन नहीं है। लिहाजा, यह जरूरी है कि किसानों और कृषि–आधारित उद्योगों को तमाम वित्तीय संस्थान वक्त पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते रहे।

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, संरक्षण और तैयार उत्पाद कृषि–आधारित उद्योगों के मुख्य आधार हैं। मौजूदा समय में सिर्फ कृषि कार्यों से विकास की रफ्तार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। छोटे किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना, प्रसंस्करण, किसानों व उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि जरूरी हैं। कृषि–आधारित उद्योगों की वजह से कृषि उत्पादों की मांग बाजार में बनी रहती है। इसके बिना कृषि फसलों के अपेक्षित खरीददार नहीं मिल सकते हैं। कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेल, बागान उद्योग आदि खेती–किसानी से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं। नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों जैसे, जैव–प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक उत्पादों आदि से भी आज कृषि–आधारित उद्योगों का दायरा व्यापक हो रहा है।

कृषि–आधारित उद्योगों में कपड़ा, चीनी, कागज, वनस्पति तेल आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कपड़ा उद्योग के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। जूट उद्योग के लिए पटसन का इस्तेमाल किया जाता है। जूट, पटसन के रेशे से बनाया जाता है। चीनी उद्योग में कच्चे माल के तौर पर गन्ने का प्रयोग किया जाता है। कागज का निर्माण बांस, घास, गेहूं, धान की भूसी आदि से किया जाता है। खाद्य तेल का निर्माण तिलहन फसलों जैसे, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी आदि से किया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे अनेक उद्योग हैं, जिनमें कच्चे माल के तौर पर फसलों या पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ा उद्योग संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसके तहत सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र, सिंथेटिक फाइबर और जूट वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र का निर्माण कपास से किया जाता है। ऊनी वस्त्र का निर्माण भेड़ों के बालों से किया जाता है। रेशम के कपड़े का निर्माण शहतूत के पेड़ पर पलने वाले सिल्क वर्म से किया जाता है। उन्नीसवीं सदी के अंत में सिंथेटिक फाइबर का निर्माण शुरू हुआ था, जिसका निर्माण लकड़ी की लुगदी से किया जाता है। इसे रेयान या कृत्रिम रेशम कहा जाता है।

कृषि–आधारित उद्योगों का वर्गीकरण : मोटे तौर पर कृषि–आधारित उद्योगों को खाद्य और गैर–खाद्य उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार खाद्य और पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद, कागज और लकड़ी के उत्पाद, जूते और परिधान, चमड़े के उत्पाद, रबर के उत्पाद आदि कृषि–आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।

औद्योगिक विकास में कृषि–आधारित उद्योगों की भागीदारी : उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कारखानों में से 46 प्रतिशत कृषि–आधारित कारखाने हैं, जिनमें से लगभग 22 प्रतिशत विनिर्माण उद्योग से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में वे लगभग 43 प्रतिशत रोजगार सृजित करने का काम कर रहे हैं। कृषि–आधारित उद्योग में एक लाख रुपये निवेश करने पर औसतन 14 लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि दूसरे उद्योगों में इतनी राशि के निवेश पर 3 प्रतिशत रोजगार सृजित होता है। फिर भी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी एक महत्वपूर्ण घटक है और देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र पर बड़ी आबादी का बोझ : आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी देश की 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में आय के अवसर अभी भी कम हैं। गैर–कृषि क्षेत्रों जैसे, कारोबार, प्रसंस्करण, विनिर्माण, वाणिज्यिक व सेवा गतिविधियों से ग्रामीण लगभग 30 से 45 प्रतिशत आय अर्जित कर रहे हैं।

गरीबी उन्मूलन में सहायक : कृषि–आधारित उद्योग गरीबी उन्मूलन में सहायक हैं। ये किसानों को पूंजी और रोजगार के अवसर जैसे, बीज, उपकरण, प्रशिक्षण, बाजार के बारे में सूचनाएं आदि मुहैया कराते हैं जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा, कृषि उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों की हैंडलिंग में आसानी, प्रसंस्करण, विपणन, वितरण आदि में मदद मिलती है। कृषि–आधारित उद्योगों की मदद से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, कृषिगत आय में वृद्धि, खेती–किसानी में निरंतरता, किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतरी, खाद्य सुरक्षा, नवाचार आदि को भी बढ़ाया जा सकता है।

पारंपरिक उद्योगों के विकास पर ध्यान : राज्य पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों विशेषकर खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। देश में कृषि–आधारित उद्योगों को दो अलग–अलग चरणों में प्रोत्साहन मिला है। एक, 70 के दशक में, जब "राज्य कृषि उद्योग निगम" की स्थापना विविध कृषि से जुड़े संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए की गई और दूसरा, 80 के दशक के दौरान, जब खाद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर दिया गया।

रोजगार सृजन का स्रोत : हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कोई भी ग्रामीण आबादी के विकास को अनदेखा नहीं कर सकता है, लेकिन सब्सिडी की संस्कृति से भी किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। यह सोचना कि किसानों को दूसरे उद्योगों में रोजगार मिल जाएगा,गलत संकल्पना है। किसानों के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना आसान नहीं है। भाषा से जुड़ी समस्या इस राह में सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि, इस समस्या का समाधान कृषि–आधारित उद्योगों के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि इनका विकास गांव–कस्बे के निकट होता है। दरअसल, कृषि–आधारित उद्योग अमूमन वैसे स्थानों पर फूलते–फलते हैं, जहां कच्चे माल या कृषि उत्पाद आसानी से मिले।

विकास के लिए मंत्रालय : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया गया है। यह मंत्रालय स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन (एसआईडीओ), खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, कॉयर बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी) आदि की मदद से भी कृषि–आधारित उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करने में महती भूमिका निभाता है।

सरकारी पहल : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारत में खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए कई योजनाएं, जैसे, ढांचागत विकास के लिए योजनाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं, कृषि उद्योगों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की योजनाएं, अनुसंधान और विकास के लिए योजनाएं, मानव संसाधन के विकास के लिए योजनाएं, नोडल एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाएं, पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं आदि शुरू की गई हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसे राज्य नोडल एजेंसियों की जगह नोडल बैंकों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ताकि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की मदद से विविध योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। इस तरह के एकीकृत दृष्टिकोण से कौशल विकास को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है।

पारंपरिक उद्योगों के विकास के लिए बजट में प्रावधान: वर्ष 2019 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 'स्फूर्ति' योजना का आगाज़ किया। इस योजना की मदद से खादी उद्योग, शहद उद्योग, बांस उद्योग के विकास को सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना के तहत उन्नत उपकरणों की व्यवस्था, सामान्य सुविधा केंद्रों का विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन और विपणन सहायता भी मुहैया करायी जा रही है। इस योजना से कुल 34,791 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 143.15 करोड़ रुपये इस मद में खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा, ज़मीनी–स्तर पर आर्थिक विकास आदि को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्ष 2019 के बजट में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वित्त वर्ष 2019–20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी, ताकि कृषि–ग्रामीण उद्योगों में 75,000 उद्यमियों को प्रशिक्षित करके उन्हें और भी कुशल बनाया जा सके। इस आलोक में वित्त वर्ष 2019–20 में 100 नए क्लस्टर बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे 50 हजार हस्तशिल्पियों को रोजगार मिल सकेगा।

क्रेडिट–लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम : क्रेडिट–लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के माध्यम से खादी, ग्रामोद्योग, कॉयर और अन्य कृषि उद्योग इकाइयों सहित छोटे उद्योगों की प्रौद्योगिकी का भी उन्नयन किया जा रहा है। इसके तहत 15 प्रतिशत अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी, जो 15 लाख रुपये तक सीमित है, दी जाती है, ताकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एमएसएमई इकाइयों और छोटे उद्यमों में लगे संयंत्र और मशीनरी को उन्नत बनाया जा सके। वित्त वर्ष 2000–01 से अब तक कुल 62,827 एमएसएमई इकाइयों ने इस योजना का लाभ उठाया है और उन्हें सब्सिडी के रूप में 3888.13 करोड़ रुपये मिले हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की मदद से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से कृषि उद्योगों के साथ–साथ दूसरे क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जा रही है। इस योजना को राष्ट्रीय–स्तर पर केवीआईसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। अब तक इस योजना के तहत कुल 5.45 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 12,074.04 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है। 31 मार्च, 2019 तक 45.22 लाख किसान एवं मजदूर इस योजना की मदद से स्वरोजगार शुरू करने में सफल रहे हैं। इस योजना की मदद से लगभग 17.44 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों को भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना : हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का आगाज़ किया गया है। इस योजना के तहत कृषि–समुद्री उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2016 से वर्ष 2020 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसकी मदद से ढांचागत सुविधा के विकास के साथ–साथ खेतों से कृषि उत्पादों को खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाना है। इससे न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपव्यय में कमी आएगी, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि आदि भी संभव हो सकेगी।

कृषि–आधारित उद्योगों को मदद करने वाली एजेंसियां: भारत सरकार के अलावा, लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), नेशनल बैंक फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) आदि कृषि

उद्योगों को बढ़ावा देनी वाली प्रमुख एजेंसियां हैं। वर्ष 2014 में कृषि उद्योगों और प्रसंस्करण गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य खाद्य–प्रसंस्करण इकाइयों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, प्रसंस्करण इकाइयों एवं मानव संसाधन की कुशलता में वृद्धि करना आदि भी है। इसके तहत 30 सितंबर, 2019 तक, 549 करोड़ रुपये का मियादी ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 349 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के बीच वितरित भी कर दी गई है। सिडबी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) को औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर देने, खरीद–बिक्री और विपणन आदि कार्यों में मदद कर रहा है। यह राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एसएसआईडीसी) को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है, ताकि उसे कच्चा माल हासिल करने और अंतिम उत्पादों के विपणन में परेशानी नहीं हो।

कागज, कपड़ा एवं अन्य कृषि–आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता : भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, नाबार्ड, 59 मिनट के ऋण पोर्टल, एवं बैंक की अन्य ऋण योजनाओं के माध्यम से कागज एवं कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चूंकि, कागज एवं कपड़ा उद्योग सूक्षम, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के अंतर्गत आता है, इसलिए मुद्रा ऋण एवं 59 मिनट में ऋण योजनाओं के द्वारा हाथ से कागज़ बनाने वाले उद्यमियों एवं कपड़ा कारोबारियों को ऋण की सुविधा दी जा रही है। कागज और कपड़े की बड़ी मिलों के लिए कार्यशील पूंजी एवं मियादी ऋण दिए जाते हैं। बड़ी मिलों को उनकी जरूरत के अनुसार कॉर्पोरेटस ऋण भी दिए जाते हैं।

चीनी उद्योग को वित्तीय सहायता : शूगर डेवलपमेंट फंड एक्ट, 1982 में एक कोष बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसे शूगर डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। इस फंड का स्रोत चीनी उपकर अधिनियम, 1982 है, जिसके तहत उत्पाद शुल्क वसूल किए जाते हैं। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि नियम, 1983 में चीनी मिलों को ऋण एवं अनुदान देने का प्रावधान है। शूगर डेवलपमेंट फंड से चीनी मिलों को ऋण दिए जाते हैं। चीनी मिल के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए इस फंड से ऋण दिया जाता है। किसी भी चीनी मिल के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए भी इस फंड से ऋण दिया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए भी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चीनी विकास निधि नियम, 1983 में ऋण का स्वरूप, ऋण की राशि, ब्याज की दर आदि की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम और अन्य निर्णयों के तहत गठित स्थाई समितियों के द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश दिए जाते हैं।

चीनी मिलों को सॉफ्ट ऋण : सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा चीनी सीज़न 2018–19 के लिए किसानों के गन्ने की कीमत चुकाने के लिए चीनी मिलों को सॉफ्ट ऋण दिया गया है, जिसमें नाबार्ड नोडल एजेंसी है, जिसका काम ब्याज सब्सिडी का प्रबंधन करना है। चीनी मिलों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इथेनॉल उत्पादित करने के लिए 15,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण चीनी मिलों को देने की सिफारिश की है। इसमें 3,355 करोड़ रुपये की राशि ब्याज सबवेंशन के रूप में चीनी मिलों को दी जाएगी। देश में 400 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादित करने की क्षमता है। गन्ने से निकाले गए इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के उपयोग से कच्चे तेल के आयात पर से देश की निर्भरता कम होगी। सॉफ्ट ऋण एक वर्ष के लिए 7 से 10 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है।

नाबार्ड, बैंक और नाफेड के जरिए वित्तीय सहायता

नाबार्ड : भारत में सभी प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय संगठन सभी स्तरों पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। ऋण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई है। यह संस्थान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। कारोबारियों को खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय स्थापित करने के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके लिए एक कोष की स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई में कच्चा माल निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके लिए नाबार्ड फसल–कटाई के बाद की प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके तहत फसलों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग व पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग आदि के लिए किसानों एवं कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फूड प्रोसेसिंग के लिए नाबार्ड सीधे ऋण देता है और अन्य उधारदाताओं के साथ मिलकर कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत बड़े कारोबारियों को कार्यशील और मियादी ऋण उपलब्ध कराता है।

बैंक : कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कृषि ऋण के अलावा कृषि–आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि कृषि–आधारित उद्योगों में फसलों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फसलों का पर्याप्त उत्पादन होने से कच्चा माल कृषि–आधारित उद्योगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकता है। आमतौर पर किसान दिन–प्रतिदिन के कृषि कार्यों का संचालन, कृषि मशीनरी जैसे, सिंचाई के लिए पाइपलाइन, मोटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का उपयोग, भूमि सुधार, अनाजों का भंडारण व विपणन, पशु एवं मछली पालन आदि कार्यों के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। ऋण के साथ–साथ सरकार किसानों को अनुदान एवं सब्सिडी भी देती है।

देश में सहकारी समितियां, क्षेत्रीय, ग्रामीण एवं राष्ट्रीयकृत

बैंक कृषि ऋण वितरण में अग्रणी हैं। इसके अलावा, कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें कृषि एक प्रमुख क्षेत्र है, के विकास के लिए निवेश की जरूरत है, जो कृषि ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। कृषि ऋण के तहत फसल ऋण या केसीसी, कृषि गोल्ड कार्ड, ट्रैक्टर ऋण, कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे, डेयरी, पॉल्ट्री व फिशरीज़ ऋण, भूमि खरीदने के लिए ऋण आदि किसानों के बीच वितरित किए जा रहे हैं।

फसलों के उत्पादन के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक अनाजों के भंडारण पर ऋण मुहैया करते हैं, ताकि किसानों को फसल मजबूरन औने–पौने दामों पर नहीं बेचनी पड़े। यह ऋण वैसे उधारकर्ताओं को दिया जाता है, जिन्होंने ऋण चुकौती में कोई चूक नहीं की है। किसान आमतौर पर अनाजों को अपने घर या फार्म हाउस, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर आदि में भंडारित करते हैं। यह ऋण 50 लाख रुपये तक दिए जाते हैं, जिसमें 60 से 80 प्रतिशत का मार्जिन ऋण सीमा के अनुसार होता है।

वर्तमान में 21 कर्ज़दाता 59 मिनट में ऋण पोर्टल के जरिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से 30,000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। फिलहाल, एमएसएमई का क्रेडिट साइज़ लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का है। देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई यूनिट कार्य कर रही हैं, जिनमें 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान करीब 30 प्रतिशत है। कृषि–आधारित एमएसएमई उद्योगों को मज़बूत करके देश में रोजगार सृजन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, विनिर्माण में तेजी आदि को संभव बनाया जा सकता है।

नाफेडः भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) भारत की बहु–राज्य सहकारी सोसायटीज़ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को की गई थी। नाफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के विपणन के लिए की गई है। नाफेड की त्रि–स्तरीय संरचना है। पहले स्थान पर प्राथमिक सहकारी विपणन समिति, दूसरे स्थान पर राज्य–स्तर की विपणन समिति और तीसरे या शीर्ष स्थान पर उपभोक्ता संघ हैं। नाफेड समितियों के माध्यम से मंडियों में किसानों से अनाज खरीदता है, ताकि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले। फसलों का ज्यादा उत्पादन होने पर अनाजों का भाव कम हो जाता है, तब नाफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मदद से किसानों को नुकसान होने से बचाता है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के विपणन, संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, भंडारण, कृषि यंत्रों व उपकरणों का वितरण, अंतर्राज्यीय या राज्यांतर्गत कारोबार आदि के संबंध में सहायता और तकनीकी परामर्श देना है। दरअसल, किसानों को केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से उनकी मुश्किलों का समाधान नहीं हो सकता है। उनकी बेहतरी के लिए जरूरी है कि किसान जो फसल उत्पादित कर रहे हैं, उसे सही समय पर मंडी पहुंचाया जाए। साथ ही, उनकी फसल को उचित कीमत पर बिकवाने का भी प्रबंध किया जाए।

निष्कर्ष : कृषि–आधारित उद्योगों के विकास के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है, इसका दोहन करने में मौसम की अनिश्चितता सबसे बड़ी बाधा है। भारत में फसलों, फलों और सब्जियों का उत्पादन मौसमी होता है और ऊंचाई, नदी से दूरी, समुद्र से दूरी या निकटता आदि के कारण मौसम में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, जो हमेशा अनुकूल नहीं होते।

फरवरी 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 58 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि का जीडीपी में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान है। खेती–किसानी से न सिर्फ देश की लगभग 130 करोड़ आबादी का पेट भरा जाता है, वरन इसके माध्यम से देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी की जाती है।

सरकारी वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं मिल पाने के कारण किसान अक्सर महाजन से कर्ज लेते हैं, जो कालांतर में उन्हें कर्ज़ में डूबो सकता है जिससे किसानों को सही समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। इस आलोक में बैंक, नाबार्ड, नाफेड सहित कई दूसरे वित्तीय संस्थान किसानों और कृषि–आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।

विविध उत्पादों के बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के लिए आधारभूत संरचना, जैसे, बाजार, सड़क, बिजली एवं पानी की उपलब्धता, संचार व परिवहन की सुविधा आदि का उपलब्ध होना जरूरी है, लेकिन देश में अभी भी इन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

सीमित प्रसंस्करण संयंत्र से या आधारभूत संरचना की कमी होने से बड़े पैमाने पर कृषि–आधारित उद्योगों से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। देश में कच्चे माल के उत्पादन की लागत अधिक है, जिससे कृषि–आधारित उद्योगों के उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। सीमित सरकारी समर्थन, उपयुक्त तकनीकों का अभाव, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा नहीं होने आदि से भी कृषि–आधारित उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है।

कहा जा सकता है कि सही समय पर वित्तीय सहायता मिलने पर ही किसान फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं और जब कृषि–आधारित उद्योगों को कच्चा माल समय पर और सस्ती दर पर मिलेगा तभी उनका समुचित विकास हो सकेगा और यह सब बिना वित्तीय सहायता के मुमकिन नहीं है। लिहाजा, यह जरूरी है कि किसानों और कृषि–आधारित उद्योगों को तमाम वित्तीय संस्थान वक्त पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते रहें।

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका "आर्थिक दर्पण" के संपादक हैं।)

ई–मेल **satish5249@gmail.com**

कृषि-आधारित उद्योग: चुनौतियां और समाधान

–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

कृषि–आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी अहम हैं। चूंकि ज्यादातर कृषि–आधारित उद्योग लघु, छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं, और मुमकिन है कि उनके पास सस्ते या सब्सिडी वाले आयात से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं हो। ऐसे में सरकार की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अन्य देशों के निर्यातकों की अनुचित व्यापार गतिविधियों के कारण सरकार को कृषि–आधारित उद्योगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की जरूरत है।

कृषि–आधारित उद्योग, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और सहायक क्षेत्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता का बेहतर उदाहरण हैं। जाहिर तौर पर यह निर्भरता दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है। यह बात साबित हो चुकी है कि भारत में कृषि–आधारित उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में काफी मददगार हैं। हालांकि, अन्य देशों से खराब गुणवत्ता वाले आयात के कारण अक्सर इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इन उद्योगों को अलग–अलग देशों के व्यापार प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है। इस लेख में व्यापार संबंधी उन दिक्कतों के बारे में बताया गया है, जिनका सामना इन उद्योगों को करना पड़ता है।

कृषि–आधारित उद्योग

जैसाकि नाम से ही पता चलता है, कृषि–आधारित उद्योग को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल मिलता है। इस तरह के उद्योगों का दायरा कई क्षेत्रों में फैला है– मसलन खाद्य प्रसंस्करण, रबर के उत्पाद, जूट, कपास, वस्त्र, तंबाकू, लकड़ी आदि। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उद्योग संबंधी आंकड़ों के अनुसार, ऐसे उद्योगों से जुड़ी कई इकाईयां हैं और इनमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। (सारणी–1) मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 43.6 प्रतिशत फैक्ट्रियां कृषि–आधारित उद्योगों से संबंधित हैं। तकरीबन इसी अनुपात में (42.7 प्रतिशत) लोग कृषि–आधारित उद्योगों से जुड़े हैं। जैसाकि सारणी–1 से स्पष्ट है, न तो स्थाई पूंजी और न ही आमदनी के मामले में इन उद्योगों की बड़ी हिस्सेदारी है। इन उद्योगों में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां खाद्य उत्पादों, वस्त्र और रबड़ उत्पादों से जुड़ी हैं। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो खाद्य उत्पाद, वस्त्र और परिधान जैसे क्षेत्रों की कंपनियां इसमें अग्रणी हैं।

डी.जी.सी.आई.एंड.एस. के आंकड़ों की माने, तो देश के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम–स्तर के उद्योगों की हिस्सेदारी तकरीबन 20 फीसदी है और पिछले 4 साल में निर्यात 5,600 करोड़ डॉलर से 5,900 करोड़ डॉलर के बीच रहा है (सारणी–2)। इनमें वस्त्र, रेडीमेड कपड़े आदि के निर्यात की हिस्सेदारी ज्यादा है।

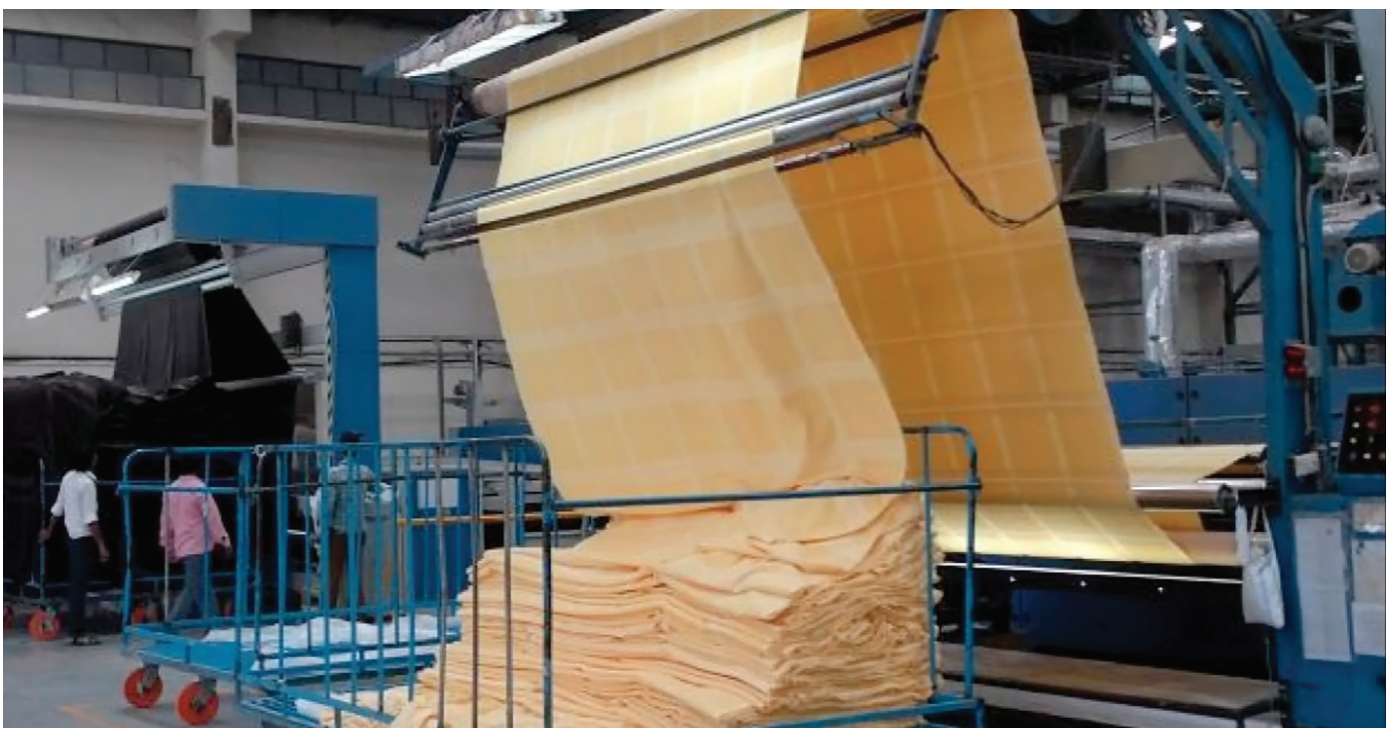

सरकारी हस्तक्षेप

कृषि–आधारित उद्योगों में रोजगार पैदा करने की जबर्दस्त संभावनाएं हैं। साथ ही, ये उद्योग विदेशी मुद्रा की कमाई का भी अहम जरिया हैं। जाहिर तौर पर इन उद्योगों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन उद्योगों को अवसर प्रदान करने की खातिर कभी–कभी सरकार के लिए हस्तक्षेप या पहल करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर इन उद्योगों को क्लस्टर या समूह के रूप में संगठित करना; कौशल और तकनीकी विकास के लिए जरूरी पहल; वित्तीय मदद की सुविधा; बाजार की चुनौतियों से निपटना; मार्केटिंग इकाइयों का नवीनीकरण; कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन, प्रदर्शनी आयोजित करना; अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा, सरकार का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर भी है कि ऐसे उद्योग अन्य देशों के निर्यातकों के अनुचित व्यापार नियमों के शिकार न बनें।

अनुचित व्यापार नियम

अन्य देशों के निर्यातकों की तरफ से अपनाए गए अनुचित व्यापार नियमों के कारण कृषि–आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इस तरह का प्रचलन दो स्वरूपों में देखने को मिलता है:

1. **डंपिंग**– ऐसा देखा गया है कि अन्य देशों के निर्यातक अक्सर काफी सस्ती दरों पर भारतीय बाजार में अपना उत्पाद भेज देते हैं। निर्यातक अपने घरेलू बाजार में जिस दर पर उत्पाद बेचते हैं, उससे काफी कम में वे भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में माल उतार देते हैं।
2. **सब्सिडी**– भारत जिन देशों से आयात करता है, उन देशों की सरकारें अपने निर्यातकों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मुहैया कराती हैं।

दोनों स्थितियों में कंपनी की प्रतिस्पर्धी क्षमता चौपट हो जाती है और कुल मिलाकर घरेलू बाजार नुकसान में रहता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ऐसे मामलों को एक समझौते के तहत अनुचित व्यापार नियमों की श्रेणी में रखता है। विश्व व्यापार संगठन से जुड़े जो देश इस तरह की गतिविधियों से परेशान हैं, वे डंपिंग और सब्सिडी से नुकसान की स्थिति में क्रमशः एंटी–डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) और काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लगा सकते हैं। इन शुल्कों से आयात महंगा हो जाता है और घरेलू उद्योगों को काफी हद तक बराबरी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है।

अन्य देशों के निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण भारत में बड़ी संख्या में कृषि–आधारित उद्योगों को नुकसान पहुंचा है। इन उद्योगों को बाजार हिस्सेदारी में कमी, बिना बिके हुए माल में बढ़ोतरी, मुनाफे में कमी, नुकसान में बढ़ोतरी, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, विनिर्माण इकाइयों की तालाबंदी के रूप में कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। एक और दिक्कत यह है कि सस्ते आयात की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब होता है, लिहाज़ा इससे पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं।

सारणी–1: एएसआई 2017–18(पी) में प्रमुख औद्योगिक समूह से जुड़ी मुख्य जानकारी

(आंकड़े लाख रुपये में)

विवरण	फैक्ट्रियां	स्थायी पूंजी	काम करने वाले कुल लोग	कुल मेहनताना
1	2	3	4	5
खाद्य उत्पाद	37,833	2,11,19,573	17,72,399	34,21,585
टेक्सटाइल	17,957	1,66,68,852	16,78,561	31,31,708
रबड़ उत्पाद*	14,193	95,92,433	7,12,872	18,01,918
परिधान	10,498	28,57,883	11,89,520	20,99,762
कागज और इससे बने उत्पाद	7,109	58,59,566	2,84,057	6,81,274
तंबाकू उत्पाद	3,591	6,08,951	4,61,335	2,94,121
चमड़ा और इससे बने उत्पाद	4,617	11,23,972	3,87,134	6,84,473
कपास से रुई तैयार करना,; बीज प्रसंस्करण	3,316	4,73,207	79,471	1,16,224
लकड़ी और इससे जुड़े उत्पाद, (फर्नीचर को छोड़कर)	4,565	6,88,936	98,653	1,63,465
उप–योग	**1,03,679 (43.6%)**	**5,89,93,373 (17.9%)**	**66,64,002 (42.7%)**	**1,23,94,530 (29.6%)**
संपूर्ण भारत का आंकड़ा	**2,37,684**	**32,93,41,000**	**1,56,14,598**	**4,18,35,726**

स्रोतः उद्योगों का वार्षिक सर्वे, 2017–18, , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
*प्लास्टिक उत्पाद समेत

व्यापार संबंधी नियमन

भारत का कस्टम टैरिफ कानून, 1975 और संबद्ध एंटी–डंपिंग नियम व सीवीडी नियम, 1995 घरेलू विनिर्माताओं को अन्य देशों के निर्यातकों के अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए कानूनी कवच मुहैया कराते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग से जुड़ी संस्था डीजीटीआर अर्ध–न्यायिक इकाई है। जब जांच में पता चलता है कि अन्य देशों के निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तो यह संस्था नियमों को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुझाव देती है। डीजीटीआर की सिफारिश पर भारत सरकार का राजस्व विभाग ड्यूटी में बढ़ोतरी करता है।

सारणी–3 में बताया गया है कि भारत ने कृषि–आधारित घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए 1995 के बाद से अनुचित व्यापार नियमों के खिलाफ क्या–क्या उपाय किए हैं। 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा एंटी–डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाई गई। अगर हम कृषि–आधारित उद्योगों की बात करें, तो इसी अवधि में कोई काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीडीडी) नहीं लगाई गई। दरअसल, भारत ने इन उपायों का नियंत्रित इस्तेमाल किया है। विश्व व्यापार संगठन के रिकॉर्ड के मुताबिक, 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच भारत ने सिर्फ दो बार काउंटरवेलिंग ड्यूटी के विकल्प का इस्तेमाल किया। हालांकि, दोनों में से कोई भी कदम कृषि–आधारित उद्योग से संबंधित नहीं थे।

विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक, भारत ने 1995 से अब तक कृषि–आधारित उद्योग समेत अन्य उद्योगों के मामले में जिन देशों पर सबसे ज्यादा एंटी–डंपिंग ड्यूटी लगाई है, उनमें चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया, ताइवान, थाइलैंड और अमेरिका शामिल हैं। पिछले कुछ साल में भारत ने जूट जैसे कृषि उत्पादों पर बांग्लादेश और नेपाल के निर्यातकों के खिलाफ जांच शुरू की है। कुछ कृषि उत्पादों के मामले में चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और थाइलैंड के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है।

भारत सरकार कृषि–आधारित उद्योगों की सुरक्षा के लिए व्यापार नियमन से जुड़े किस तरह के उपाय करती है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए यहां जूट उद्योग का उदाहरण पेश किया जा रहा है। डीजीटीआर की वेबसाइट के मुताबिक, 2017 में डीजीटीआर की सिफारिश पर (एंटी–डंपिंग के तत्कालीन महानिदेशक), राजस्व विभाग ने बांग्लादेश से आने वाले जूट उत्पादों पर एंटी–डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। हालांकि, 2018 में डीजीटीआर को एक और याचिका मिली, जिसमें कहा गया कि निर्यातक एंटी–डंपिंग ड्यूटी को नजरअंदाज कर बांग्लादेश से कुछ उत्पादों का निर्यात भारत में कर रहे हैं। मामले की जांच करने पर डीजीटीआर ने पाया कि संबंधित जूट उत्पाद पर एंटी–डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के बाद उसका आयात बढ़ गया। इसके अलावा, यह भी देखने को मिला कि संबंधित उत्पाद– जूट की बोरियों को जूट के थैले में बदलने में एंटी–डंपिंग नियमों के हिसाब से तय गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन नहीं किया गया। डीजीटीआर का कहना था कि भारत में निर्यातकों द्वारा जूट की बोरियों को बेचने की कीमत और उन्हें घरेलू बाजार में मिलने वाले मूल्य का अंतर ही डंपिंग मार्जिन है। यह पाया गया कि बांग्लादेश के निर्यातकों के कारण भारतीय जूट निर्माताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा, डीजीटीआर ने मार्च 2019 में जूट की बोरियों और जूट के थैलों पर मौजूदा एंटी–डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की।

ये मामले इस बात की जानकारी देते हैं कि कृषि–आधारित उद्योग वैसे मामलों में अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए डीजीटीआर का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जहां दूसरे देशों के निर्यात के कारण उन्हें नुकसान हुआ हो या किसी तरह के नियमन के अभाव में इस तरह की आशंका हो। आमतौर पर किसी घरेलू उद्योग द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद डीजीटीआर की तरफ से अनुचित व्यापार नियमों के खिलाफ जांच शुरू की जाती है। हालांकि, डीजीटीआर की तरफ से खुद भी संज्ञान लिया जा सकता है।

सारणी–2: कृषि–आधारित एमएसएमई का निर्यात

(आंकड़े मिलियन डॉलर में)

उप–क्षेत्र	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
वेजिटेबल ऑयल और संबंधित अन्य उत्पाद	973	877	893	1,264
तैयार खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, तंबाकू और संबंधित उत्पाद	5,918	5,837	6,010	6,205
रबड़ और इससे जुड़े सामान*	7,808	7,619	7,787	9,311
चमड़ा, यात्रा संबंधी सामान, हैंडबैग और इससे मिलते–जुलते आइटम आदि	3,872	3,442	3,244	3,312
लकड़ी और इससे बना सामान, लकड़ी का चारकोल, कॉर्क और इससे संबंधित सामान आदि	353	456	415	428
फाइबर से जुड़ी सामग्री, रद्दी कागज या पेपरबोर्ड, कागज व पेपरबोर्ड व इससे संबंधित सामान आदि	1,430	1,447	1,464	1,702
टेक्सटाइल और टेक्सटाइल–आधारित उत्पाद	37,654	36,728	36,477	36,738
उप–योग	**58,009**	**56,405**	**56,290**	**58,959**
भारत का कुल निर्यात	**3,10,338**	**2,62,291**	**2,75,852**	**3,03,376**
भारत के कुल निर्यात में कृषि–आधारित एमएसएमई निर्यात का अनुपात (प्रतिशत में)	18.7	21.5	20.4	19.4

स्रोतः 1. डी.जी.सी.ई.एंड.एस; 2. लघु, छोटे और मध्यम उद्योग मंत्रालय
*प्लास्टिक उत्पाद समेत

सारणी–3: 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच भारत की ओर से दर्ज एडीडी के मामले

उप–क्षेत्र	एडीडी के आंकड़े
रबड़ और इससे जुड़े सामान*	96
टेक्सटाइल और इससे जुड़े सामान	74
लकड़ी और इससे बने सामान, लकड़ी का चारकोल, कॉर्क और इससे संबंधित सामान आदि	14
फाइबर से जुड़ी सामग्री, रद्दी कागज या पेपरबोर्ड, कागज व पेपरबोर्ड व इससे संबंधित सामान आदि	12
उप–योग	196
भारत के कुल एडीडी मामले	693
भारत की ओर से दर्ज एडीडी के मामलों में कृषि–आधारित उद्योगों से जुड़े एडीडी का अनुपात (प्रतिशत में)	28.3

स्रोतः विश्व व्यापार संगठन
*प्लास्टिक उत्पाद समेत

घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए एंटी–डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के अलावा एक और विकल्प है। अगर बड़े पैमाने पर किसी कमोडिटी के आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, तो सरकार इस विकल्प को आजमा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रभावित देश 'सुरक्षा ड्यूटी' लगा सकते हैं। डीजीटीआर की वेबसाइट पर बताया गया है कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के मुताबिक, मलेशिया से भारत में पाम ऑयल के निर्यात की अधिकता की स्थिति में द्विपक्षीय जांच शुरू करने की बात है। अन्य देशों द्वारा अनुचित व्यापार नियमों के मामले में भारतीय निर्यातकों के खिलाफ जांच शुरू किए जाने की स्थिति में उन्हें (भारतीय निर्यातकों) भी अपना पक्ष पेश करने में मदद की जरूरत हो सकती है। ऐसे मामलों में भी डीजीटीआर अपनी भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

कृषि–आधारित उद्योग, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी अहम हैं। चूंकि ज्यादातर कृषि–आधारित उद्योग लघु, छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं, और मुमकिन है कि उनके पास सस्ते या सब्सिडी वाले आयात से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं हो। ऐसे में सरकार की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अन्य देशों के निर्यातकों की अनुचित व्यापार गतिविधियों के कारण सरकार को कृषि–आधारित उद्योगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की जरूरत है। घरेलू उद्योग की मदद के लिए डीजीटीआर ने 23 सितंबर, 2019 को सहायता केंद्र स्थापित किया है। अन्य देशों के निर्यातकों के अनुचित व्यापार नियमों से सुरक्षा के लिए कृषि–आधारित उद्योगों के बीच जागरूकता फैलाना एक कारगर कदम है।

(लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा की 1999 बैच की अधिकारी हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
ई–मेल : igtripathy@gmail.com

इंडिया स्किल्स 2020 प्रतियोगिता

इंडिया स्किल्स 2020 प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से देश में प्रतिभाओं को खोजना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

इंडिया स्किल्स 2020 कुशल और प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं को 50 से अधिक कौशल में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रतियोगिताओं के क्षेत्रीय चरण चार ज़ोनों में आयोजित किए जाएंगे, जिसका समापन दिल्ली में राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिता में होगा। इंडिया स्किल्स के विजेताओं को 2021 में चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।

इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पते पर www.worldskillsindia.co.in ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रतियोगिता 1 जनवरी, 1999 को या उसके बाद जन्में युवाओं के लिए है। जिला, राज्य और क्षेत्रीय–स्तर पर आयोजित कौशल प्रतियोगिताओं के बाद 2020 में इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्यों द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसमें भागीदार होगा। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिताओं के साथ, एम्बीलिम्पिक्स ओलंपिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी अनूठी प्रतिभाएं दिखाने का अवसर देने के लिए तैयार किया गया है।

इंडिया स्किल्स 2018 के 22 विजेताओं और उनके विशेषज्ञों ने रूस के कज़ान में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स इंटनेशनल 2019 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने इस प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत, दो कांस्य और 15 पदक जीते थे। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल 2019 में भाग लेने वाले 63 देशों में से भारत 13वें स्थान पर रहा।

इंडिया स्किल्स 2020 के लिए आवेदन करने की शर्तें

1. इस प्रतियोगिता में 1 जनवरी, 1999 और उसके बाद जन्में उम्मीदवार मेकोट्रॉनिक्स, विनिर्माण टीम चुनौती, वैमानिकी इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और जल प्रौद्योगिकी, आईटी नेटवर्क केबलिंग जैसे कौशलों से जुड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
2. मोबाइल रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, लैंडस्केप बागवानी, कंक्रीट निर्माण कार्य और मेक्ट्रोनिक्स टीम कौशल प्रतियोगिताएं हैं जहां प्रतियोगिता के लिए 2 व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता होगी।

मिशन इंद्रधनुष 2.0 : सभी के लिए टीकाकरण की प्रतिबद्धता

भारत सरकार देश में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' और 'आरोग्य' के उच्चतम मानदंडों को प्राप्त करने के प्रति समर्पित है। टीकाकरण कार्यक्रम सभी को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के दायरे में लाने की हमारी वचनबद्धता का महत्वपूर्ण घटक है। टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम और देश के हर एक बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के भारत के प्रयासों का अभिन्न अंग है। बीते वर्षों में किए गए प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए हैं जिससे सबके लिए गुणवत्तायुक्त, समतामूलक और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम करने के बारे में भारत का विश्वास दृढ़ हुआ है।

1978 में भारत सरकार ने 'विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम' शुरू किया जिसे बाद में 1985 में यूनिवर्सल यानी सर्वजनीन टीकाकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में रोकथाम की जा सकने वाली बीमारियों के टीके लगाकर रुग्णता और मृत्यु से उनका बचाव करना था। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें हर साल करीब 2.65 करोड़ शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को शामिल किया जाता है। लगातार प्रगति के बावजूद सामान्य टीकाकरण में बड़ी धीमी गति से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015–16 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4) के अनुसार पूर्ण टीकाकरण का दायरा करीब 62 प्रतिशत है। टीकाकरण के दायरे को बढ़ने से रोकने वाले घटकों में तीव्र शहरीकरण, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने वालों की बड़ी संख्या और ऐसे लोग शामिल हैं जिन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा, इसमें समाज की मुख्यधारा से अलग–थलग पड़े वे लोग भी शामिल हैं जिनको कार्यक्रम के बारे में ठीक से जानकारी न होने और अनभिज्ञ होने से टीकाकरण पूरा नहीं हो पाता।

भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से लागू करके टीकों से रोकी जा सकने वाली जानलेवा बीमारियों की रोकथाम में शानदार कामयाबी हासिल की है। इन बीमारियों में चेचक, पोलियो और जच्चा–बच्चा को होने वाले टिटेनस शामिल हैं। देश की लगातार बढ़ती विशाल जनसंख्या, साफ–सफाई और आरोग्य सुविधाओं के अभाव तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र जैसी लगातार उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की वजह से बीमारियों के प्रकोप की रोकथाम और टीकों तक पहुंच बढ़ाने का कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए कारगर तरीका इस्तेमाल किया है जिसके तहत सामुदायिक सहयोग हासिल करने, अन्य मंत्रालयों और सहयोगी एजेंसियों की मदद लेने, संगठित निगरानी प्रणाली कायम करने और जन–आंदोलन प्रबंधन रणनीतियां अपनाकर टीकाकरण से छूट गए प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बचपन में टीकाकरण का दायरा सीमित होने की वजह से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में 'मिशन इंद्रधनुष' (एम.आई.) शुरू किया जिसका उद्देश्य नाजुक, सुविधाओं की कमी वाले, प्रतिरोध करने वाले और दुर्गम क्षेत्रों की आबादी तक पहुंच बढ़ाना था। इसके तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण अभियानों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया जो इससे छूट गए थे। मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के पूरा होने के बाद पूर्ण टीकाकरण के तहत 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अक्तूबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष (आई.एम.आई.) का शुभारंभ किया जो टीकाकरण की दिशा में प्रगति को तेज करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। इसका उद्देश्य लगातार टीकाकरण के निम्न–स्तर वाले जिलों तथा शहरी इलाकों में पूर्ण टीकाकरण की दिशा में 90 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना था। सघन मिशन इंद्रधनुष का आधार मिशन इंद्रधनुष ही था जिसमें स्वास्थ्य से इतर क्षेत्र को भी अभियान में शामिल करके अत्यधिक जोखिम वाली जनसंख्या तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त रणनीतियां अपनाई गई थीं। यह सामान्य टीकाकरण आंदोलन को एक जन–अभियान में बदलने की कोशिश थी। इसका उद्देश्य टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने और इसमें आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए जन–समुदायों का सहयोग हासिल करना था।

राष्ट्रीय–स्तर पर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से इतर 12 अन्य मंत्रालयों के बीच तालमेल में मंत्रिमंडल सचिवालय ने सहयोग दिया। जिलों में जिला मजिस्ट्रेट जिला कार्यबलों के जरिए तालमेल के लिए आगे आए। उप–जिलों में स्वास्थ्य के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और अन्य विभागों के बीच सीधा संवाद कायम किया गया।

'सघन मिशन इंद्रधनुष' से भारत के 190 चुने हुए जिलों में पूरी तरह से टीकाकृत बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। इस अभियान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी संक्रमण के सबसे अधिक खतरे वाले बच्चों का टीकाकरण करने के कार्य में कारगर हो सकता है। लेकिन इस तरीके को और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कई व्यवस्थित और व्यावहारिक बदलाव, खासतौर पर संचार नीति के संबंध में आवश्यक हैं। कार्यक्रम में सभी चरणों में कुल मिलाकर

3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया जिससे देश की हजारों गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में जबर्दस्त बदलाव आया।

अब सरकार दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच 'सघन मिशन इंद्रधनुष' शुरू करने की तैयारियां कर रही है ताकि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा सके जिसमें पिछले चरणों से सूझ–बूझ के साथ सीखे गए सभी सबक शामिल हों और जिसमें देशभर में 90 प्रतिशत के राष्ट्रीय टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को तेज किया गया हो। यह कार्यक्रम 27 राज्यों के 271 जिलों और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के ऐसे 652 जिलों में लागू किया जाएगा जो दुर्गम हैं और जहां जनजातीय लोगों की अधिकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय, जैसे कई मंत्रालय इस अभियान को जबर्दस्त सफलता की ओर ले जाने के लिए सहयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के दूरदराज इलाकों में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भी टीकाकरण के फायदों से वंचित न रहने पाए।

विशेषताएं

- टीकाकरण अभियान चार चरणों में 7 कार्य–दिवसों में आयोजित किया जाएगा और इसमें आर.आई.डेज, रविवार और अवकाश के दिन शामिल नहीं हैं।
- लचीली समय–सारिणी के साथ बढ़ाया गया टीकाकरण सत्र, सचल सत्र और अन्य विभागों का सहयोग।
- पिछले अभियान से छूटे हुए लोगों, शामिल न हो सके और प्रतिरोध करने वाले परिवारों तथा दुर्गम इलाकों के लोगों पर और अधिक जोर।
- शहरी, कम सुविधा वाली जनसंख्या और जनजातीय इलाकों पर विशेष जोर।
- अंतर–मंत्रालय और अंतर–विभाग समन्वय।
- पैरवी के जरिए और अधिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय वचनबद्धता।
- सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत टीके लगाने के चार चरण होंगे। ये चुने हुए जिलों और शहरी इलाकों में दिसंबर 2019 और मार्च 2020 तक चलाए जाएंगे।

प्रस्तावित चार चरणों के पूरा हो जाने के बाद राज्यों से 'सघन मिशन इंद्रधनुष' से प्राप्त उपलब्धियों को चिरस्थायी बनाए रखने के उपाय करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके लिए सामान्य टीकाकरण कार्यक्रमों के दौरान सघन मिशन इंद्रधनुष सत्र को शामिल करने को कहा जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष के चिरस्थायित्व का आकलन सर्वेक्षण के जरिए किया जाएगा।

पहचान किए गए लाभार्थियों को एकजुट करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ सघन सहयोग किया जा रहा है और वे सब जन–समुदाय, सिविल सोसाइटी और नौजवानों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, एन.जी.ओ., सी.एस.ओ., एन.एस.एस., राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), नेहरू युवा केंद्र, एम.एस.डब्ल्यू. को भी प्रेरकों के रूप में अभियान में शामिल करने की योजना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.), यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.पी.ई. ग्लोबल, रोटरी इंटरनेशनल जैसी विकास में सहयोगी एजेंसियां भी सरकार तथा तकनीकी सहायता यूनिट का सहयोग करेंगी और इनकी स्थापना चुने हुए राज्यों में कार्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी।

सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के शुभारंभ से भारत के सामने पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में और कमी लाकर 2030 तक रोकथाम की जा सकने वाली मौतों से बचाकर चिरस्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर है। पिछली सफलताओं को आधार बनाकर, चुनौतियों से सबक लेकर और विभिन्न सहभागी समूहों के प्रयासों को समेकित करके भारत बीमारियों से मुक्त देश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस यात्रा में टीके सचमुच बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे वर्तमान की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भविष्य के निर्माण में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं।

किसानों के कल्याण और देश की प्रगति में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 4 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि पुनर्गठित एएसआरबी पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया के जरिए सक्षम एवं योग्य कृषि वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि देश के लिए विशेष अहमियत रखती है और सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादन, किसानों की आमदनी और कृषि निर्यात में बढ़ोतरी सुनिश्चित कर कृषि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेहनती किसानों, उनके समुचित प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता, बेहतर उपकरण, उर्वरकों के उचित उपयोग के लिए किसानों की जागरूकता इत्यादि अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, इन सभी के साथ–साथ इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बहुमूल्य योगदान भी अत्यंत जरूरी है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एएसआरबी को उचित समय पर पर्याप्त संख्या में सक्षम एवं योग्य कृषि वैज्ञानिकों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ताकि उनकी समुचित भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके।

श्री तोमर ने कहा कि सरकार एएसआरबी के विशेष महत्व से अवगत है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगस्त 2018 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के जरिए इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप अद्यतन भर्ती नियमों और वैज्ञानिकों की सुव्यवस्थित चयन प्रक्रिया के साथ इसका पुनर्गठन किया गया, ताकि देश भर के विभिन्न संस्थानों में वैज्ञानिकों की निर्बाध भर्ती सुनिश्चित की जा सके। एएसआरबी की शुरुआत से लेकर अब तक के 45 वर्षों में इसकी भर्ती प्रक्रिया में कई बार संशोधन किए गए हैं। वैज्ञानिकों की भर्ती में तेजी लाई गई तथा प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि सरकार कृषि अनुसंधान को कितना महत्व देती है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने अधिकारियों से आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसी आवश्यकताओं के उपयोग को न टालने को कहा। इससे बेहतर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, जिससे अनुसंधान और बेहतर हो पाएगा तथा कृषि क्षेत्र की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे भारत एक समृद्ध एवं मजबूत राष्ट्र बन पाएगा।

इस अवसर पर आईसीएआर के महानिदेशक और डीएआरई के सचिव श्री त्रिलोचन महापात्र ने एएसआरबी के प्रयासों की सराहना की, जिसने आईसीएआर तथा अन्य संस्थानों के लिए अब तक 6000 से भी अधिक वैज्ञानिकों की भर्ती की है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि पिछले दो वर्षों से जारी विचार–विमर्श के बाद भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से योग्य अभ्यर्थियों के चयन में तेजी आएगी तथा कृषि वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं रहेगी। ❑

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 04 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में। इस अवसर पर सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक (आईसीएआर) डॉ. त्रिलोचन महापात्र भी उपस्थित।

आर्थिक विकास में सहायक भारतीय कपड़ा उद्योग

–सुधीर कुमार और डॉ. हरीश आनंद

कपड़ा और वस्त्र उद्योग में बढ़ोतरी की जबर्दस्त संभावनाएं हैं और 2024–25 तक भारत में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य में यह क्षेत्र अहम योगदान कर सकता है। हालांकि, इस उद्योग की घरेलू मांग भले ही तेज हो सकती है, लेकिन निर्यात में स्थिरता चिंता का विषय है। निर्यात मोर्चे पर प्रदर्शन इस उद्योग के विकास के लिए बेहद अहम है। कपड़ा उद्योग की कुल मांग में निर्यात का हिस्सा तकरीबन एक चौथाई है। इस लेख में मौजूदा आर्थिक दौर और व्यापार के अंतरराष्ट्रीय माहौल में इस उद्योग में बढ़ोतरी की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का जायज़ा लिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा और वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। साथ ही, कुल निर्यात से होने वाली कुल आय में इस उद्योग की हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत, जबकि जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 2 प्रतिशत है। एक तरफ जहां इस उद्योग से कपास की खेती करने वाले किसान जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यह विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का अहम प्रदाता है। इस मूल्य श्रृंखला के तहत कताई, बुनाई और परिधान तैयार करने का काम होता है।

राष्ट्रीय घरेलू सर्वे 2017 के अनुमानों के मुताबिक, इस उद्योग का बाजार 163.70 अरब डॉलर का है। यह सर्वे कपड़ा उद्योग से जुड़े बाजार का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। मूल्य के लिहाज से देखें, तो पिछले 5 साल में देश में कपड़ों की मांग में 7.7 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ोतरी हुई है। साल 2017 में इस उद्योग में घरेलू, गैर–घरेलू और निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 89.88 अरब डॉलर (55 प्रतिशत), 39.66 डॉलर (24.4 प्रतिशत) और तकरीबन 40 अरब डॉलर (20.7 प्रतिशत) थी।

कपड़ा और वस्त्र उद्योग में बढ़ोतरी की जबर्दस्त संभावनाएं हैं और 2024–25 तक भारत में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य में यह क्षेत्र अहम योगदान कर सकता है।

आर्थिक विकास में कपड़ा व वस्त्र उद्योग की भूमिका

अर्थशास्त्र की किताबों और दस्तावेजों में भी आर्थिक विकास में कपड़ा उद्योग के योगदान की बात कही गई है। आर्थिक विकास के शुरुआती चरण में कपड़ा उद्योग ने अतिरिक्त श्रम को खेती से हटाकर औद्योगिक गतिविधियों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलाव की इस प्रक्रिया में कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से निर्यात संबंधी मांग से संचालित होता है, क्योंकि घरेलू मांग आमतौर पर सीमित रहती है।

कई देशों में कपड़ा उद्योग विकास की प्रक्रिया तेज करने में काफी अहम रहा है और इसके जरिए औद्योगिक कार्यबल का बड़ा समूह तैयार किया जाना संभव हुआ है। कपड़ा उद्योग की इस

विशेषता की मुख्य वजह इस क्षेत्र में अच्छा मेहनताना मिलना है। इस उद्योग से जुड़े फंड का अहम हिस्सा इससे जुड़े कार्यबल के हाथों में पहुंचता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी तैयार होती है। ज़ाहिर तौर पर इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं।

अर्थव्यवस्थाओं में विकास को रफ्तार देने का अहम हथियार

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ाने में निर्यात की भूमिका और दक्षिण कोरिया, हांगकांग, चीन और वियतनाम जैसे देशों की जीडीपी विकास दर, प्रति व्यक्ति आय एवं इन सबका कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात से संबंध सामान्य तौर पर निर्यात एवं विशेष रूप से कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात द्वारा सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। चीन और कोरिया, दोनों देशों ने निर्यात को बढ़ावा देकर ऊंची आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल किया। साल 2000 से 2010 के दौरान चीन के निर्यात में 20 प्रतिशत सीएजीआर की बढ़ोतरी हुई, और इसी दौरान चीन के जीडीपी की वृद्धि दर 11 प्रतिशत सीएजीआर रही। साल 1980 से 1990 के दौरान दक्षिण कोरिया के निर्यात में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि इसी दौरान जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही। इन देशों में संबंधित अवधि के दौरान कपड़ा उद्योग और जीडीपी वृद्धि दर में रिकॉर्ड–स्तर पर तेजी रही। साल 2000 से 2010 के दौरान चीन के कपड़ा निर्यात की वृद्धि दर 15 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत दर्ज की गई। इसी तरह, 1980 से 1990 के दौरान कोरिया के कपड़ा निर्यात में 10 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ोतरी हुई और इस दौरान कोरिया ने सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर (10 प्रतिशत सीएजीआर) का आंकड़ा हासिल किया।

तुलनात्मक लाभ पर आधारित कपड़ा उद्योग

कपड़ा उद्योग बुनियादी तौर पर लागत संबंधी तुलनात्मक फायदों के आधार पर चलता है। दरअसल, यह उद्योग वैश्विक–स्तर पर विनिर्माण के अपने ठिकाने बदलता रहता है। इसकी मुख्य वजह प्रतिस्पर्धा है। दक्षिण कोरिया ने 1980 से 1990 के दौरान निर्यात में जबर्दस्त तेजी का लक्ष्य हासिल किया और उसकी प्रति व्यक्ति आय 1,709 डॉलर से बढ़कर 6,500 हो गई। आगामी वर्षों में यानी जब 1990 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 6,500 डॉलर से बढ़कर साल 2000 में 11,854 डॉलर हो गई, तो इसी दौरान इस देश के कपड़ा और वस्त्र निर्यात में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1990 से 2000 के दशक के दौरान वस्त्र निर्यात घटने लगा, जबकि 8 प्रतिशत सीएजीआर की दर से कपड़े के निर्यात में तेजी का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह, साल 2000 से 2010 के दौरान चीन में 15 प्रतिशत सीएजीआर की दर से कपड़ा निर्यात में बढ़ोतरी हुई और इसी अवधि में कपड़ा व वस्त्र दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा 20 प्रतिशत सीएजीआर रहा। इसके बाद वियतनाम जैसे प्रति व्यक्ति कम आय वाले देश से प्रतिस्पर्धा के कारण चीन के कपड़ा और वस्त्र निर्यात की वृद्धि दर में सुस्ती आने लगी। कपड़े के निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है, जहां की प्रति व्यक्ति आय भी काफी कम है। दरअसल, जिन देशों में मजदूरी सस्ती है, कपड़े के विश्व व्यापार में उनकी अहम हिस्सेदारी है। लिहाजा, अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि किसी भी देश में कपड़ा और वस्त्र उद्योग में तब तक तेजी बनी रहती है, जब तक वहां की प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित स्तर पर नहीं बढ़ती। प्रति व्यक्ति आय के इस स्तर तक पहुंच जाने के बाद यह उद्योग ऊंची लागत (मजूदरी) वाली जगह को छोड़ देता है। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए, तो भारत में 15–20 साल तक कपड़ा और वस्त्र उद्योग में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। वर्ष 2018–19 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय 1,26,406 रुपये (1800 डॉलर) थी।

कपड़ा और वस्त्र उद्योग के विस्तार की संभावनाएं

भारत, कपड़ा और वस्त्र से जुड़े विश्व व्यापार का फायदा उठाने के लिए तैयार है। कपड़ा उद्योग का ठिकाना बदलने का लाभ भी भारत को मिलेगा, खासतौर पर चीन में मौजूद कपड़ा उद्योग द्वारा अब अपना ठिकाना इस देश के बाहर ढूंढने की संभावना है। चीन की प्रति व्यक्ति आय में हो रही बढ़ोतरी (2018 में 9,771 डॉलर) के कारण ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। जापान, कोरिया और हांगकांग के विकास के अनुभव से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के कारण 120–140 अरब डॉलर का कपड़ा और वस्त्र उद्योग चीन के बाहर भारत समेत उसके अन्य प्रतिस्पर्धी देशों में पहुंच सकता है।

उद्योग के विकास की संभावनाओं के आकलन का एक और तरीका फाइबर की खपत से इसे जोड़कर देखना है। साल 1990–2017, 2000–2010 और 2010–2017 के दौरान भारत में फाइबर की खपत की वृद्धि दर तकरीबन 5 प्रतिशत सीएजीआर रही। साल 1990–2017 के दौरान इसी मद में चीन की खपत से जुड़ी वृद्धि दर तकरीबन 7–8 प्रतिशत सीएजीआर देखने को मिली। जिस तरह से भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में अगले 12–15 साल में कपड़ों के फाइबर की खपत 7 प्रतिशत सीएजीआर के साथ मौजूदा 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 3.2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कपड़ा और वस्त्र के वैश्विक व्यापार में साल 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में कपड़ा उद्योग का बाजार साल 2030–32 तक 350 डॉलर तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 120–130 अरब डॉलर है। साथ ही, यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 90 लाख से लेकर 1.1 करोड़ रोजगार पैदा करने में सक्षम होगा।

विस्तार की संभावनाओं को सच करने के लिए उपाय

कपड़ा और वस्त्र उद्योग से जुड़ी ज्यादातर इकाइयां छोटे और मध्यम श्रेणी वाले उद्यम हैं। वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत कपड़ा और परिधान उद्योग को मदद देता है:

मसलन, तकनीकी बेहतरी, आधारभूत संरचना, शोध और विकास और क्षमता निर्माण के लिए। यहां संक्षेप में इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही हैः

- **तकनीकी सुधार फंड योजना (टीयूएफ)–** भारत सरकार ने 1999 में सब्सिडी स्कीम शुरू की थी, जिसका मकसद कपड़ा उद्योग में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश की राह आसान करना था। यह योजना अभी संशोधित टीयूएफ के नाम से चल रही है। इसे जनवरी 2016 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत पिछले 18–20 साल में 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुछ क्षेत्रों में इसके काफी बेहतर परिणाम भी दिख रहे हैं, खासतौर पर कताई, बुनाई और परिधान तैयार करने में ऐसा देखा जा सकता है। हालांकि, बुनाई और कपड़ा तैयार करने के मामले में तकनीक के मोर्चे पर अभी भी काफी दिक्कतें हैं।
- **कपड़ा क्षेत्रः** वर्ष 2017 में चीन में ऊंची उत्पादकता वाले करघों की संख्या 8.35 लाख थी, जबकि भारत में ऐसी मशीनों की संख्या सिर्फ 72,000 थी। यह वैश्विक–स्तर के मुकाबले भारत के कपड़ा उद्योग मूल्य शृंखला में कमजोरियों को दिखाता है।
- **आधारभूत संरचना और रसदः** साल 2005 में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य कपड़ा मूल्य शृंखला के विभिन्न उप–क्षेत्रों में मौजूद बिखराव की समस्या को दूर करना था। साथ ही, इसके एजेंडा में अच्छी आधारभूत संरचना की कमी से निपटना भी शामिल था। कपड़ा उद्योग के लिए ये सारी चीजें चिंता का विषय हैं।
- **कपास क्षेत्रः** कपास तकनीक मिशन (टीएमसी) ने साल 2012 तक भारतीय कपास में बेकार सामग्री का लक्ष्य हासिल किया। मिशन शुरू होने से पहले बेकार सामग्री का स्तर 4–8 प्रतिशत था, जो इस अभियान के बाद घटकर 1.5–3 प्रतिशत हो गया। इसके तहत कपास के रेशों के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएंः** कपड़ा उद्योग से जुड़ी चुनौतियों में पानी की उपलब्धता, तरल और ठोस कचरे का निपटान आदि शामिल हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है, ताकि सतत विकास की चिंताओं को दूर किया जा सके।
- तकनीकी कपड़े में विकास की जबर्दस्त संभावनाओं पर काम करना होगा।
- कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- भारत में कपड़ा मशीनरी क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार की कमी।

नीतियों का महत्व

कपड़ा और परिधान उद्योग रोज़गार पैदा करने के लिहाज से भी काफी अहम है। लिहाजा, इस क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर नीति–निर्माताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। विशेष तौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नीति निर्माताओं का ध्यान इस पर है। विश्व व्यापार संगठन से पहले और बाद के दौर में व्यापार से जुड़ी कई सुविधाओं और कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते इसकी तस्दीक करते हैं। इसके अलावा, कपड़ा और वस्त्र उद्योग को लागत के लिहाज से प्रतिस्पर्धी बनाने के मकसद से राजकोषीय और अन्य नीतियां बनाई गई हैं। इस तरह से पिछले कुछ दशकों में नीतिगत उपायों ने कपड़ा और परिधान विनिर्माण के ठिकाने को काफी हद तक प्रभावित किया है। चीन का कपड़ा और परिधान निर्यात 268 अरब डॉलर (2017) है, जो दुनिया भर के कपड़ा और परिधान व्यापार का 34 प्रतिशत है। दरअसल, कपड़े का कारोबार, निर्यात पर सरकार की नीतियों के प्रभाव की तरफ भी इशारा करता है।

चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम का कपड़ा और परिधान उद्योग संबंधी निर्यात का प्रदर्शन बताता है कि वैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ तैयार उत्पाद के जरिए एकीकरण प्रभावी नहीं है, जहां पूरी कपड़ा मूल्य शृंखला मौजूद है। शोध और विकास की क्षमता, तकनीकी जानकारी, नए डिजाइन तैयार करने की क्षमता आदि कपड़ा और परिधान उद्योग को ताकत प्रदान करते हैं। श्रम–आधारित इस उद्योग में कोरिया के सामने लागत संबंधी चुनौतियां हैं, लेकिन वह अब भी 10 अरब डॉलर के कपड़े का निर्यात कर रहा है। हालांकि, परिधान के मामले में इसका निर्यात 1990 में 8 अरब डॉलर था, जो 2017 में घटकर 2 अरब डॉलर रह गया। कपड़ा और परिधान निर्यात में चीन के कपड़े की हिस्सेदारी साल 2000 में 31 प्रतिशत (2000 में 16 अरब डॉलर) थी, जो 2017 में बढ़कर 41 प्रतिशत (109 डॉलर) हो गई।

इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत आयात शुल्कों में कमी की, पूंजी और सामान की आवाजाही को आसान बनाया और एक देश का दूसरे देशों के साथ बड़े स्तर पर जुड़ाव सुनिश्चित किया, जिससे कपड़ा मूल्य शृंखला से जुड़ा हर खंड उभरकर सामने आया। इस स्थिति में कपड़ा मूल्य शृंखला से जुड़े हर खंड– फाइबर, धागा, परिधानों आदि के लिए वैश्विक–स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना जरूरी हो गया है। दरअसल, वैश्विक मूल्य शृखंलाओं में जानकारी का पहलू काफी अहम हो गया है, लिहाजा किसी उत्पाद के पक्ष में नीतिगत समर्थन और अन्य साधन प्रभावकारी नहीं रह गए हैं।

वैश्विक–स्तर पर खुदरा कारोबारियों की खरीदारी का बदलता पैटर्नः वैश्विक–स्तर पर खुदरा कारोबारियों की खरीदारी के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके तहत बड़ी संख्या में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के बजाय कम संख्या में बड़े आपूर्तिकर्ता वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के लिए फायदेमंद स्थिति पैदा कर रहे हैं। 'नामांकन व्यापार मॉडल' के जरिए ऐसा हो रहा है, जिसके तहत कपड़े कहीं भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन धागे और कपड़े जैसी चीजों को नामांकित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना होगा। ऐसी स्थिति में

अगर कोई देश धागे या कपड़े जैसे प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करने में सक्षम नहीं रहता है, तो वहां की इकाइयों को कपड़े का ऑर्डर मिलने की संभावना कम हो सकती है। ये ऑर्डर उन देशों को मिल सकते हैं, जहां कपड़े तैयार करने की लागत कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अतः, कपड़ा मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण विकास के लिए एकीकृत रवैया अपनाने की जरूरत होगी, ताकि कपड़ा और परिधान के विश्व व्यापार में लाभ उठाया जा सके।

जिन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, उनके बारे में नीचे बताया जा रहा हैः

- पहनावे से जुड़े खंड में कपास अब भी विशिष्ट फाइबर है। वैश्विक–स्तर पर फाइबर खपत में कपास की हिस्सेदारी घट रही है और इसकी जगह कृत्रिम फाइबर ले रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिका में कपड़ा और परिधान–संबंधी उत्पादों के आयात संबंधी पैटर्न से साफ पता चलता है कि आयात में कपास वाले कपड़े की हिस्सेदारी 40–45 प्रतिशत है और यहां तक कि मिश्रित कपड़ों/परिधानों में भी कपास की अच्छी–खासी मौजूदगी होती है। बाकी विकसित देशों और नए औद्योगीकृत देशों का अनुभव भी शायद अमेरिका से अलग नहीं हो। पोशाकों की श्रेणी में कपास पसंदीदा उत्पाद बना रहेगा और आने वाले वर्षों में इसकी मांग कम नहीं होगी। बहरहाल, कपास उत्पादकता व कपास की गुणवत्ता बढ़ाने और यहां तक कि भारतीय कपास की ब्रांडिंग के लिए जोरदार प्रयास करने की जरूरत है। इससे कपास के किसानों की आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हो सकेगी।
- भारत में उद्योग के लिए बिजली की कीमतें 15 से 20 प्रतिशत के क्रास सब्सिडी और अन्य कारणों के साथ, काफी बढ़ जाती हैं। भारत में उद्योग को बिजली चीन के मुकाबले 20 प्रतिशत महंगी पड़ती है (आईईए, 2017) ऊर्जा की लागत काफी बढ़ जाती है। ऊर्जा की लागत कपड़ा उत्पादों के बिक्री मूल्य का तकरीबन 13–15 प्रतिशत होती है, जबकि क्रॉस सब्सिडी कपड़ा उत्पादों के निर्यात मूल्य का 2.5–3 प्रतिशत होता है। ऐसी सभी लागतों की पहचान करने की जरूरत है और इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के जरिए संतुलित करना होगा।
- निर्यात के मोर्चे पर बात की जाए, तो भारतीय निर्यातकों को दुनिया के प्रमुख बाजारों में अपेक्षाकृत ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश, वियतनाम और कुछ ऐसे ही अन्य देशों से भारत को इस मामले में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अगर व्यापार नीतियों के जरिए इस मामले में दखल नहीं दिया गया, तो भारत को इन देशों से और कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ेगा। इस मामले में चुनौती 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में सहूलियत) के लिए राह बनाना और रसद समेत इनपुट से जुड़े पहलुओं के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ विवाद में भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के फैसले (31 दिसंबर, 2019) में अगले 4 महीने के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने वाली सभी योजनाओं को रोकने का आदेश दिया गया। इस आदेश ने जल्द से जल्द विश्व व्यापार संगठन के नियमों के पालन की चुनौती पेश की है।
- दुनिया के प्रमुख बाजारों में परिधान संबंधी उत्पादों के निर्यात में गिरावट देखने को मिल रही है। यह स्थिति विशेष तौर पर उन देशों में है, जिनके साथ भारत का तरजीही व्यापार समझौता है। गिरावट की एक वजह भारत में विश्व–स्तरीय गुणवत्ता मुहैया कराने वाले प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमता की कमी हो सकती है। बाकी वजहों में आयातक देशों द्वारा टैरिफ संबंधी पाबंदियां हैं।
- मानव निर्मित फाइबर उद्योग (एमएमएफ) द्वारा लागत में कमी का लक्ष्य हासिल करने की राह में कई चुनौतियां हैं। हालांकि, विश्व के कपड़ा और परिधान उद्योग में भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एमएमएफ का विस्तार करना जरूरी है। आने वाले वक्त में एमएमएफ उद्योग का विकास पूरे कपड़ा और परिधान उद्योग व इसके निर्यात को काफी हद तक प्रभावित करेगा। इसके लिए उद्योग, निवेश और नीतिगत उपायों के मोर्चे पर पहल की जरूरत है।

आगे की राह

भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अगले 15 साल बदलाव के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकते हैं। बेहतर और मजबूत कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य औद्योगिक गतिविधियों में बेहतर भागीदारी के लिए प्रेरित कर सकता है और इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। भारत को कपड़ा मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के नजरिए से काम करने की जरूरत है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत में कपड़ा और वस्त्र विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए लागत को वैश्विक मानकों के हिसाब से कम करना बेहद जरूरी है। ऊंची लागत के ढांचे को प्राथमिकता के स्तर पर दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इस तरह के ढांचे के कारण पहले भी इस उद्योग का विकास अवरुद्ध हो चुका है और अब भी यह समस्या बनी हुई है। लिहाजा, इस उद्योग के हर खंड में वैश्विक मानकों के मुताबिक लागत कम करने पर फोकस जरूरी है, ताकि एशिया में कपड़ा उद्योग के विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे बदलाव का फायदा उठाया जा सके। कपड़ा और वस्त्र के वैश्विक व्यापार में 10–15 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना, कपास संबंधी पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहतर करना और कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी को दूर कर ऐसे लोगों को औद्योगिक गतिविधियों में शामिल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

(सुधीर कुमार नीति आयोग में सलाहकार (उद्योग) हैं; डॉ. हरीश आनंद कपड़ा मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई–मेल : anandharish1@rediffmail.com, sudhirsirohi@nic.in

कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार

देश के कई भागों में 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना होता है जिससे कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके।

आज़ादी के 73 साल पूरे होने पर देश ने कई मामलों में मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, लंबी छलांग लगाई है। आज देश कृषि–आधारित उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, आसान ऋण, सस्ती व तेज इंटरनेट सेवा की व्यवस्था मज़बूत की जा रही है। साथ ही, क्वालिटी टेस्टिंग लैब और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जा रही है।

कृषि–आधारित उद्योग तुलनात्मक रूप से कम निवेश वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थापित करने और रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं। ये उद्योग कृषि–आधारित कच्चे माल के प्रभावी और कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि–आधारित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में एक औद्योगिक संस्कृति का संचार करते हैं और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और नवाचार लाते है। कृषि–आधारित कुछ उद्योगों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य और खाद्य पदार्थों में जबर्दस्त निर्यात क्षमता है। विकास प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कृषि–आधारित उद्योगों की स्थापना वक्त की जरूरत है।

विश्व में दूध, केला, आम, मसाले, झींगा मछली और दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके अलावा अनाजों, सब्जियों और चाय का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में वर्ष 2017–18 में 30.71 करोड़ टन बागवानी फसलों, 28.5 करोड़ टन खाद्यान्नों, 17.6 करोड़ टन दूध और 1.26 करोड़ टन मछली और समुद्री उत्पादों का उत्पादन हुआ। हमारे देश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण का वर्तमान–स्तर 2 प्रतिशत, पोल्ट्री उत्पादों का 6 प्रतिशत, समुद्री उत्पादों का 8 प्रतिशत और दूध का 35 प्रतिशत है यद्यपि विभिन्न कारणों से 30 से 35 प्रतिशत कृषि उत्पाद हर वर्ष बर्बाद हो जाते हैं।

भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत में कृषि–आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आय में 14.8 प्रतिशत के योगदान के साथ–साथ कृषि देश की 65 प्रतिशत आबादी को रोजगार व आजीविका भी प्रदान करती है। कृषि–आधारित उद्योग–धंधों में कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, फल व सब्जियों–आधारित, आलू–आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन–

आधारित, तिलहन–आधारित, जूट–आधारित व खाद्य संर्वधन–आधारित आदि प्रमुख उद्योग हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे उद्योगों की भांति कृषि–आधारित उद्योगों में भी काफी सुधार हुआ है। हाल ही में कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप आदि प्रमुख हैं। साथ ही, कृषि–आधारित उद्योगों हेतु नई–नई प्रौद्योगिकियां, तकनीकियां एवं उन्नत मशीनें विकसित की गई हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण युवाओं व किसानों को स्वरोजगार के साथ–साथ आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देने में मदद मिली है।

सरकारी योजनाएं

कृषि–आधारित उद्योगों हेतु पूंजी व्यवस्था करने व संसाधन जुटाने में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं द्वारा अलग–अलग तरीके से सहारा दिया जा रहा है। कृषि–आधारित उद्योगों से बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्रति इकाई पूंजी द्वारा अधिक लाभ तो कमाया ही जा सकता है। साथ ही, यह उद्योग रोजगारपरक भी होते हैं। कृषि–आधारित उद्योगों हेतु कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े–लिखे हैं या जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। साथ ही, देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यतानुसार रोज़गार के काबिल बनाना है जिससे युवाओं की तरक्की के लिए कुछ नयापन लाया जा सके। यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य होता है। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40.2 करोड़ युवाओं को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा, इस योजना से अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। इसके अंतर्गत सरकार ने कई टेलीकॉम कंपनियों को इस कार्य के लिए अपने साथ जोड़ रखा है जो मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जिसके तहत योजना से जुड़े लोगों को मैसेज करके एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है जिस पर आवेदक को मिस्ड कॉल देना होता है। मिस्ड कॉल के बाद आवेदक आईबीआर सुविधा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद आवेदक को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होती है। आवेदक के द्वारा भेजी गई जानकारी कौशल विकास योजना सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाती है। यह जानकारी मिलने के बाद आवेदनकर्ता को उसी क्षेत्र में यानी उसके निवास स्थान के आसपास प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 14वें वित आयोग के चक्र 2016–20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए किया है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, प्रसंस्कृत खाद्य–पदार्थो का निर्यात बढ़ाना, डेयरी व मत्स्य आदि कृषि उत्पादों का मूल्य–संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तो एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयंसहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर ज़ोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्‌भुत मिसाल बन गया है। इसके अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है जिसमें आमदनी की पर्याप्त संभावना हो। कुशलता प्राप्त करने के बाद उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। महिला स्वयंसहायता समूहों ने पिछले पांच वर्षो में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के हर ज़िले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा कृषि–आधारित उद्योग–धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय–स्तर पर ही ग्रामीणों की समस्याओं और चुनौतियों का निदान किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत बदलावों के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। आज कृषि, पशुपालन और खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में देशभर में कृषि–आधारित उद्यमों/स्टार्टअप की हर क्षेत्र में भरमार है जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, एक तो यह कि युवा स्वरोजगार की ओर अधिक आकर्षित हैं। दूसरा, वे कुछ नया करने का जुनून रखते हैं। इसके अलावा, सरकार और सरकारी योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वक्त की जरूरत को देखते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरणनार्थ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 'दृष्टि' नामक संस्था ने तीस गांवों की 250 महिला किसानों को कम रसायनों का प्रयोग करके सब्जियां उगाने की तकनीक सिखाई, उसके बाद स्टार्टअप शुरू किया। इसमें 'सखी फार्मर' ने लोगों को ताज़ी हरी सब्जियों का ज़ायका चखाने का बीड़ा उठाया है। मौसमी सब्जियों को खेतों से सीधे किचन तक पहुंचाने के लिए 'सखी फार्मर' के नाम से एक साल पहले शुरू हुआ पॉयलट प्रोजेक्ट अब लोगों के दिल में उतरने लगा है। आज शहर के आधा दर्जन मोहल्लों में तो 'सखी फार्मर' ताजी हरी सब्जियों का नया सिग्नेचर बन गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ कुशल युवाओं को मिलने की उम्मीद है। यह योजना 'मेक इन इंडिया' की मुख्य भागीदार है। समाज के वंचित समुदायों के साथ–साथ दिव्यांग जन और महिलाओं को भी कौशल–विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जिसमें ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस तरह, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत, सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। इसके बाद संबंधित उद्योग में उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज देशभर में ग्यारह सौ से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं जो लगभग 300 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा अब तक 2.70 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत विभिन्न उद्यमों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी)

देशभर में गरीबी दूर करने और ग्रामीणों को रोजगार व प्रशिक्षण देने हेतु ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) खोले जा रहे हैं जिनमें कृषि संबंधी कार्यों के अलावा ग्रामीण उद्यमिता के अन्य व्यवसायों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका संचालन बैंकों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारें इसमें साझेदार हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके बाद ग्रामीण युवा प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा युवाओं की वित्तीय मदद भी की जाती है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का पलायन रोकने में भी यह योजना कारगर और लाभदायक सिद्ध होगी।

एस्पायर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इनोवेशन, ऑन्त्रप्रन्योरशिप (स्वरोजगार) और कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्यमियों को कृषि–आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध के संग्रहण और विपणन जैसे कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

देश के अनेक क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण किसान मछली पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। भूमि के एक छोटे से टुकड़े में तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। मछली उद्योग से जुड़े अन्य कार्यों जैसे कि मछलियों का श्रेणीकरण एवं पैकिंग करना, उन्हें सुखाना एवं उनका पाउडर बनाना तथा बिक्री करने आदि से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। परंतु इसका फायदा केवल मछली उत्पादक तक सीमित न रहे, इसके लिए मत्स्य उद्यम को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य उद्योग से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही, पहले से उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मछली पकड़ने के बाद प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मत्स्य प्रबंधन पर एक पूरी रूपरेखा बना ली गई है ताकि इससे संबंधित मूल्य–श्रृंखला विकसित हो सके।

मेगा फूड पार्क योजना

देश के कई भागों में 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना होता है जिससे कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का

सृजन किया जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं व किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास होगा जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंच सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा, देश और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

एग्रीबिजनेस

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए एग्रीबिजनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी व प्राप्त फसल उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना है। इसके अंतर्गत, ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीकी और मैनेजमेंट तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ–साथ स्वयं का एग्रीबिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके तहत, कृषि स्नात्तकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन इत्यादि कृषि संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने कृषि उद्यम स्थापना के लिए विशेष स्टार्टअप ऋण सहायता योजना आरंभ की है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण और स्थानीय–स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपरोक्त योजनाओं में ग्रामीणों युवाओं, महिलाओं, किसानों व पशुपालकों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी व ऋण सुविधा भी दी जा रही है। किसान भाई अपनी तहसील व ज़िले में स्थित बैंकों और कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

प्रमुख उद्योग

ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण व परिरक्षण से अनेक कृषि–आधारित उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। जैसे मूंगफली से भुने हुए नमकीन दाने, चिक्की, दूध व दही बनाना; सोयाबीन से दूध व दही बनाना; फलों से शर्बत, जैम, जैली व स्क्वॉश बनाना; आलू व केले से चिप्स बनाना; गन्ने व ताड़ से गुड़ बनाना; गुड़ के शीरे व अंगूर से शराब व अल्कोहल बनाना; विभिन्न तिलहनों से तेल निकालना; दलहनी उत्पादों से दालें बनाना; धान से चावल निकालना आदि। इसके अलावा, दूध के परिरक्षण व पैकिंग के साथ–साथ इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसाकि दूध का पाउडर, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर आदि के द्वारा दूध का मूल्य–संवर्धन किया जा सकता है। फूलों से सुगंधित इत्र बनाना; लाख से चूड़ियां तथा खिलौने बनाना; कपास के बीजों से रूई अलग करना तथा दबाव डालकर रूई का गठ्ठर बनाना; जूट व पटसन से रेशे निकालने के अलावा कृषि के विभिन्न उत्पादों से अचार एवं पापड़ बनाना आदि के द्वारा मूल्य–संवर्धन किया जा सकता है और कम पूंजी लगाकर स्वरोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि–आधारित उद्योगों में ताड़, बांस, अरहर तथा कुछ अन्य फसलों एवं घासों के तनों एवं पत्तियों द्वारा डलियां, टोकरियां, चटाईयां, टोप व टोपियां तथा हस्तचालित पंखे बुनना, मूंज या सरपत से बान (चारपाई हेतु रस्सी) व मोढ़े बनाना, बेंत से कुर्सी व मेज बनाना आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा, रुई से रजाई–गद्दे व तकिए बनाने के अलावा सूत बनाकर हथकरघा–निर्मित सूती कपड़ा बनाने; जूट एवं पटसन के रेशे से विभिन्न प्रकार के थैले टाट, निवाड़ व गलीचों की बुनाई करने जैसे उद्योगों को अपनाया जा सकता है। लकड़ी का फर्नीचर बनाना; स्ट्रा बोर्ड, कार्डबोर्ड व साफ्टबोर्ड बनाना तथा साबुन बनाना आदि कुछ अन्य उद्योगों द्वारा स्वरोजगार पाया जा सकता है।

कृषि–आधारित उद्योगों को अपनाते समय निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ऋण व्यवस्था

रोजगार सृजन में कृषि–आधारित उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों द्वारा ग्रामीण युवकों को कम पूंजी से भी रोजगार मिल सकता है। कृषि–आधारित उद्योग–धंधों हेतु संसाधन जुटाने के लिए पूंजी व्यवस्था करने में ग्रामीण बैंकों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कृषि विकास शाखाओं एवं सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन संस्थानों के माध्यम से कृषि–आधारित

उद्योग–धंधों को आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बेरोजगारों को कम ब्याज दर तथा आसान किश्तों पर ऋण दिया जाता है।

कृषि–आधारित उद्योगों का चुनाव

सामान्यतः किसी उद्योग का चुनाव करने से पूर्व हम यह सोचते हैं कि इस उद्योग को करने से हमें कितना लाभ मिलेगा और लाभ मिलने की स्थिति में ही हम उस उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। कृषि–आधारित उद्योग प्रारंभ करते समय भी यही व्यावसायिक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय लेते समय व्यावसायिक पहलुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम अपने संसाधनों के अनुरूप कृषि से संबंधित उद्योग का चुनाव करें ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी व वैकल्पिक उपयोग करके कम लागत से प्रति इकाई अधिक लाभ कमा सकें। इसके अलावा, संबंधित उद्योगों से प्राप्त उत्पादों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय बाजार में इनकी मांग को सुनिश्चित करके ही इन उद्योगों की शुरुआत करनी चाहिए।

ज़मीन व पूंजी की उपलब्धता के अनुसार ही कृषि–आधारित उद्योग लगाएं

कृषि–आधारित उद्योगों के लिए अन्य संसाधनों के साथ–साथ ज़मीन एवं पूंजी महत्वपूर्ण घटक हैं। अतः जिनके पास पर्याप्त ज़मीन एवं पूंजी है, उनके लिए तो कृषि–आधारित उद्योग लगाने हेतु कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। मगर जिनके पास ज़मीन तथा पूंजी कम है या नही है, वह भी कृषि–आधारित उद्योग हेतु ज़मीन को पट्टे पर ले सकते हैं। बंटाईदार या हिस्सेदारी पर कृषि–आधारित ऐसे उद्योग लगा सकते हैं जिनमें जमीन की जरूरत नही के बराबर होती है तथा कम पूंजी में भी काम चल जाता है। कम ज़मीन वाले किसानों का समूह सहकारी या सामूहिक उद्योगों को विकल्प के रूप में अपना सकता है जिसमें समूह के सदस्य अपने–अपने संसाधनों को एकत्र करके उद्योग लगा सकते हैं, और प्राप्त लाभांश को संसाधनों की प्रति इकाई के आधार पर बांट सकते हैं।

लाभः लागत अनुपात का रखें ध्यान

दूसरे उद्योगों की भांति कृषि–आधारित उद्योग में लगाई गई लागत के द्वारा संभावित उत्पादन पर ध्यान देना ही कृषि का असली औद्योगिकीकरण है। कृषि–आधारित उद्योगों के चुनाव के समय पूंजी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम लागत पर अधिक लाभ देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, कृषि–आधारित उद्योगों में लगाई जाने वाली लागत को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए, जब तक लागत की प्रति इकाई पर लाभ होता रहे और अधिकतम लाभ पहुंचने पर लागत को बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। कृषि–आधारित उद्योगों में लगने वाली लागत और आमदनी का ब्यौरा अवश्य रखें ताकि सही लाभ का पता चल सके और प्राप्त लाभ के आधार पर संबंधित उद्योग के विस्तार पर विचार किया जा सके।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं

ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों व बेरोजगार युवाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन–सी सरकारी योजनाएं, सब्सिडी तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं में कृषि–आधारित उद्योगों के लिए कम अवधि के ऋण तथा भारी मशीनों के लिए कम ब्याज दर व आसान किश्तों पर ऋण सहजता से उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि–आधारित उद्योगों की सुविधाओं के विकास के लिए मशीनों की खरीद, प्रशिक्षण, बिजली, पानी, सड़क या शेड के निर्माण आदि के लिए सरकार द्वारा ऋण की सुविधा के साथ–साथ अनुदान भी मिलता है।

तकनीकी प्रशिक्षण

आजकल कई सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाएं व बैंक किसानों, युवाओं व ग्रामीणों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि कृषि–आधारित उद्योगों को छोटे–छोटे समूह बनाकर प्रारंभ किया जाए तो निश्चित ही अधिक लाभदायक रहेगा। इसके अलावा, आजकल हर ज़िले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र अथवा ज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर कार्यरत वैज्ञानिक समय–समय पर कृषि–आधारित उद्योगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा फल व सब्जियों के मूल्य–संवर्धन व परीरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य व पेम्पलेटों के निःशुल्क वितरण के साथ–साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा भी कृषि–आधारित उद्योगों के बारे में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि कई ऐसे कृषि–आधारित उद्योग है, जिनमें थोड़ी–सी मेहनत एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्रामीण–स्तर पर स्वरोजगार आरंभ किया जा सकता है। ग्रामीणों को चाहिए कि किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण की भी अत्यंत आवश्यकता है। उपरोक्त योजनाओं व जानकारी के आधार पर कोई भी ग्रामीण बेरोजगार यह निर्णय कर सकता है कि कृषि–आधारित उद्योगों में से अपनी परिस्थिति के अनुसार वह कौन से उद्योग को अपनाकर अपनी आजीविका चलाने के साथ–साथ लाभ भी कमा सकता है। इसके अलावा, इन उद्योगों की शुरुआत करने से पहले किन–किन बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। सरकार द्वारा कौन–कौन–सी योजनाएं, सुविधाएं व अनुदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आदि जानकारियों का लाभ उठाकर ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति स्वरोजगार की तरफ उन्मुख हो सकता है।

(लेखक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई–मेल : v.kumardhama@gmail.com

डेयरी उद्योग से आय सृजन और पोषण सुरक्षा

–डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत में 1991–92 में केवल 5.56 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था, लेकिन 4.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ 2017–18 में वह 17.63 करोड़ टन तक पहुंच गया। भारत का डेयरी उद्योग एकदम अनूठा है क्योंकि यहां 'बहुत अधिक उत्पादन' (मास प्रोडक्शन) के बजाय 'बहुत अधिक लोगों द्वारा उत्पादन' (प्रोडक्शन बाई मासेज) होता है। डेयरी गतिविधियां पारिवारिक श्रम के लिए लाभकारी या धन प्रदान करने वाला साधन होती हैं, इसलिए किसानों के परिवार खेती के साथ दुग्ध उत्पादन को भी व्यवसाय बना लेते हैं। आय सृजन और आजीविका सुरक्षा के साथ ही दुग्ध उत्पादन कुपोषण से जूझ रहे परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

भारत के डेयरी क्षेत्र में दूध का उत्पादन, संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं विपणन या मार्केटिंग शामिल है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद इसकी दूसरी सबसे अहम भूमिका है। डेयरी गतिविधियां पारिवारिक श्रम के लिए लाभकारी या धन प्रदान करने वाला साधन होती हैं, इसलिए किसानों के परिवार खेती के साथ दुग्ध उत्पादन को भी व्यवसाय बना लेते हैं। आय सृजन और आजीविका सुरक्षा के साथ ही दुग्ध उत्पादन कुपोषण से जूझ रहे परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

कई विकसित देशों के उलट भारत में डेयरी उद्योग एक कारोबारी गतिविधि से कहीं बढ़कर है। इसके व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक आयाम भी हैं। देश के 14.7 करोड़ परिवारों से 7.1 करोड़ से अधिक परिवार अपनी आजीविका के लिए डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं। इन परिवारों में से लगभग 75 प्रतिशत छोटे, सीमांत अथवा भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास औसतन 2 से 8 मवेशी ही हैं। निर्धनतम परिवारों के मामले में ग्रामीण आय में करीब 26 प्रतिशत और कुल ग्रामीण आय में लगभग 12 प्रतिशत योगदान मवेशी क्षेत्र का होता है।

दुग्ध उत्पादन से पारिवारिक श्रम को आय के रूप में लाभ मिलता, इसलिए किसान परिवार खेती के साथ सहायक पेशे के रूप में दुग्ध उत्पादन या डेयरी को अपनाते हैं। आय और आजीविका सुरक्षा के साथ डेयरी कारोबार से परिवार की पोषण–सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है और कुपोषण जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अध्ययनों में पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशु रखने वाले परिवारों में डेयरी कारोबार से दूर रहने वाले परिवारों की तुलना में तीन गुना अधिक दूध की खपत होती है। भारतीय डेयरी क्षेत्र अनूठा है क्योंकि यहां 'मास प्रोडक्शन' यानी बड़े स्तर पर उत्पादन के बजाय 'प्रोडक्शन बाई मासेज' यानी अधिक लोगों के द्वारा उत्पादन होता है। दुनिया के अग्रणी दूध उत्पादक देशों के उलट भारत में 95 प्रतिशत दूध उत्पादकों के परिवार में औसतन एक से पांच दुधारू पशु ही होते हैं।

परिदृश्य

भारत में दुग्ध उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और 1991–92 में जहां केवल 5.56 करोड़ टन दूध हुआ था, वहीं 4.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2017–18 में उत्पादन 17.63 करोड़ टन तक पहुंच गया। लेकिन विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारणों से अलग–अलग राज्यों में दूध के उत्पादन का आंकड़ा बहुत अलग है। भारत में रोज़ाना हरेक व्यक्ति को औसतन 375 ग्राम दूध उपलब्ध होता है, लेकिन असम में प्रति व्यक्ति केवल 71 ग्राम दूध मिलता है, जबकि पंजाब में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1120 ग्राम प्रतिदिन तक है। रिकॉर्ड उत्पादन और 130 करोड़ की आबादी के साथ भारत दूध के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। विश्व का 19 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन यहीं होता है। ज्यादातर दूध 12.5 करोड़ से अधिक दुधारू मवेशियों (गायों और भैंसों) से मिलता है, जिन्हें आमतौर पर वैज्ञानिक जरूरतों से रहित खराब परिस्थितियों में पाला जाता है। इसलिए अचरज की बात नहीं है कि भारत का डेयरी क्षेत्र पशुओं की कम उत्पादकता से जूझ रहा है। यहां प्रति पशु सालाना 1806 किलो दूध होने का अनुमान है, जबकि दुनिया भर में यह औसत 2310 किलो सालाना है। लेकिन पशुओं और भैंसों की व्यापक विविधता वाली आबादी से दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रचुर संभावनाएं खड़ी होती हैं। भारत में जैव–विविधता बहुत अधिक है और देसी मवेशियों की 43 नस्लें तथा भैंसों की 13 नस्लें पाई जाती हैं, जो सैकड़ों वर्षों से यहां बनी हुई हैं। इसलिए चुनिंदा नस्लों की औसत उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक रणनीति पर अमल किया जा रहा है।

उपभोग की बात करें तो भारत में होने वाला 48 प्रतिशत दूध का उपभोग या तो दुग्ध उत्पादक ही कर लेते हैं या पड़ोस के ग्रामीण इलाकों में उन लोगों के पास चला जाता है, जो दुग्घ उत्पादन नहीं करते। बाकी 52 प्रतिशत दूध बेचने के लिए होता है, जिसे शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इस बचे

भारत में दूध की अनुमानित मांग

वर्ष	प्रति व्यक्ति मांग (ग्राम प्रतिदिन)	आबादी (करोड़)	मांग करोड़ टन)
2015–16 (वास्तविक)	333	128.02	15.6
2020–21	409	136.68	20.4
2021–22	417	138.41	21.1
2025–26	456	144.79	24.1
2028–29	502	149.76	27.4
2032–33	571	156.65	32.7
2033–34	590	158.43	34.1

हुए यानी अधिशेष दूध में से लगभग 40 प्रतिशत संगठित क्षेत्र (20 प्रतिशत सहकारी डेरियों और 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र की डेरियों) के पास पहुंच जाता है तथा 60 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के पास रहता है।

हमें ज्यादा से ज्यादा डेयरी किसानों को दुग्ध सहकारी संगठनों के दायरे में लाकर स्थिति सुधारनी होगी। अध्ययनों से संकेत मिला है कि दुग्ध सहकारी संगठनों के हस्तक्षेप से किसानों की आय बढ़ी है, रोजगार के मौके सृजित हुए हैं, गरीब किसानों को कर्ज आसानी से उपलब्ध हुआ है, महिलाएं मजबूत हुई हैं, पोषण सुरक्षा बढ़ी है और नई तकनीक का प्रवाह भी तेज हुआ है। संस्थागत–स्तर पर लगातार प्रयासों से मार्च 2018 तक 1.66 करोड़ किसान ग्राम–स्तर की 1,86,000 से अधिक डेयरी समितियों के अधीन आ चुके हैं। देश में 210 डेयरी सहकारी दुग्ध संगठन और पांच प्रमुख दुग्ध उत्पादक कंपनियां हैं, जो रोजाना लगभग 442 लाख किलो दूध का उत्पादन करती हैं। दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को नेतृत्व वाली भूमिकाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 को देशभर में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या लगभग 49 लाख थी, जो लगभग 33,000 महिला दुग्ध सहकारी संस्थाओं की सदस्य थीं। यह संख्या कुल डेयरी किसानों की 29.5 प्रतिशत है। व्यापक उपयोग और प्रभाव होने के बाद भी राज्य सहकारी कानूनों के कारण दुग्ध सहकारी संस्थाओं के हाथ बंधे हैं और उनके सामने कई चुनौतियां हैं। इसलिए किसानों को लगातार बाजार उपलब्ध कराने में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघों की मदद के मकसद से भारत सरकार ने 2016–17 में एक केंद्रीय योजना आरंभ की। दुग्ध महासंघों को कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपये की निधि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के पास रखी गई है। इसके अलावा, डेयरी क्षेत्र में कृषक उत्पादक कंपनियों के गठन से किसानों को उत्पादकों तथा मार्केटिंग पेशेवरों के रूप में अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए एकजुट होने का मौका भी मिला है। उत्पादक कंपनियां छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को डेयरी उद्योग के जरिए सतत ग्रामीण रोजगार देने में मदद करती हैं।

बुनियादी ढांचे में निवेश

दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए कच्चे दूध को संभालना पूरी डेयरी मूल्य श्रृंखला में सबसे अहम गतिविधि है। यदि उत्पादन के समय कच्चे दूध को ठीक से नहीं रखा गया तो दूध की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ जाएगी और प्रसंस्कृत दूध तथा दुग्ध–उत्पादों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए दुग्ध–संग्रह से लेकर उसके प्रसंस्करण संयंत्र पहुंचने तक कोल्ड चेन बरकरार रखना अनिवार्य है। संगठित क्षेत्र के मामले में अलग–अलग किसानों से कच्चा दूध गांव के स्तर पर दुग्ध

संगठित डेयरीः चुनौतियों के साथ ढेरों अवसर

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही अधिक से अधिक भारतीय शहरी जैविक दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वह सुरक्षित होता है। जैविक दूध में कीटनाशक, खरपतवारनाशक, एंटीबायोटिक और दूध उत्पादन बढ़ाने वाले हॉर्मोन नहीं होते, जो आमतौर पर पारंपरिक दूध में थोड़ी–बहुत मात्रा में होते ही हैं। लेकिन कभी–कभार ऐसे खराब रसायनों का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खतरा खड़ा हो जाता है। इसलिए लोग दूषित दूध से बचने के लिए स्वयं ही ज्यादा कीमत दे रहे हैं। इस कारण खासतौर पर महानगरों में और उसके आसपास ढ़ेर सारी जैविक डेयरी खुल गई हैं, जो अधिक आय वाले लोगों के लिए होती हैं।

जैविक डेयरी आमतौर पर तकनीक के जानकार युवा उद्यमी चलाते हैं, जिन्होंने जैविक दुग्ध उत्पादन, वितरण और मार्केटिंग में अच्छा–खासा निवेश किया है। आज शैशवावस्था के कारण जैविक डेरियों की केवल एक प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, लेकिन विशेषज्ञों को अगले पांच वर्ष में इसमें लगातार और अच्छी वृद्धि नजर आ रही है, जिससे यह तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है। डेयरी किसानों, उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों और कारोबार संचालकों के लिए कारोबार और आजीविका के बेहतर अवसर आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं।

सख्त नियमों और दिशानिर्देशों के कारण ताजे जैविक दूध का उत्पादन सामान्य दूध के मुकाबले महंगा पड़ता है। दुधारू पशुओं को पालते समय जैविक खेती की पद्धतियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और जैविक दूध कहकर बेचने के लिए दूध का प्रमाणन भी कराना पड़ता है। मानकों के मुताबिक दुधारू पशुओं को केवल चारागाह में चरने दिया जा सकता है, उन्हें केवल जैविक प्रमाणित चारा खिलाया जा सकता है और उन्हें किसी प्रकार की रासायनिक दवाएं नहीं दी जा सकतीं। पशुओं को जल्द बड़ा करने वाले और अधिक दूध का उत्पादन कराने वाले हॉर्मोन का प्रयोग भी निषिद्ध है। इसी प्रकार पशुओं को इलाज के लिए एंटीबायोटिक नहीं दिए जा सकते, हालांकि जैविक दर्जा बनाए रखने के लिए पशु को बीमार होने पर भी दवा नहीं देना गैर–कानूनी है। चरने की जरूरत के कारण दूध और भी महंगा हो जाता है क्योंकि इसके लिए कुछ एकड़ में फैले चारागाह की जरूरत होती है, जो मुश्किल से मिलता है। साथ ही, घास चरने वाली गाएं अधिक दूध उत्पादन के लिए तैयार की गई अनाज वाली खुराक खा रही गायों के मुकाबले कम दूध देती हैं। कानूनी तौर पर जैविक प्रमाणन अनिवार्य शर्त है और प्रमाणन किसी मान्यता–प्राप्त प्रमाण संस्था अथवा परीक्षण प्राधिकरण से हर वर्ष कराना पड़ता है।

समूची आपूर्ति श्रृंखला में दूध की गुणवत्ता बनाए रखना एक और चुनौती है। कुछ कंपनियां संग्रह के फौरन बाद दूध को संक्रमण से बचाने के लिए गर्म कर लेती (पाश्चरीकरण) हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां दूध को बिल्कुल ठंडा कर अपने ग्राहकों को देती हैं। नियम के मुताबिक जैविक दूध में प्रिज़रवेटिव नहीं मिलाए जा सकते, इसलिए दूध आठ घंटे में ही खराब हो जाता है। इसलिए डेयरी शुरू करने से पहले तेज और विश्वसनीय वितरण व्यवस्था तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अलावा, जैविक दूध के बाजार के उत्पादन और आपूर्ति के बीच संतुलन बिठाने की भी जरूरत होती है। जब तक उपभोक्ताओं की संख्या अधिक नहीं हो तब तक उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरी ओर, उत्पादकता कम होने के कारण जैविक दूध के अधिक ग्राहक हासिल करना भी मुश्किल है। इसलिए उद्यमियों को इस बाजार में कदम रखने से पहले अच्छा–बुरा सोच लेना चाहिए। इन सब मुश्किलों और चुनौतियों के बाद भी जैविक डेरियां भारत के पारंपरिक दुग्ध क्षेत्र की नई और संभावना भरी शाखा बनकर उभरी हैं।

सहकारी समिति या दुग्ध संग्रह केंद्र पर इकट्ठा किया जाता है, जो या तो टीन के बड़े–बड़े डोल में रखा जाता है या सीधे मिल्क कूलर में डाल दिया जाता है। इकट्ठे हुए ठंडे दूध को उसके बाद इंसुलेटेड टैंकरों में भरकर प्रसंस्करण और वितरण के लिए डेयरी संयंत्र में भेज दिया जाता है। जहां भारी मात्रा में दूध रखने के लिए मिल्क कूलर नहीं होता है, वहां दूध को इंसुलेटेड टैंकरों में भरकर शीत केंद्रों (चिलिंग सेंटर) तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति को बहुत पसंद नहीं किया जाता। इससे ढुलाई के दौरान बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो दूध को खट्टा कर देते हैं और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अधिकतर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पुरानी तकनीक पर चलते हैं। इसीलिए सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर दुग्ध प्रसंस्करण का बुनियादी ढांचा तैयार करने और उसे उन्नत एवं आधुनिक बनाने की त्वरित आवश्यकता है। इस मामले में निजी क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करना होगा। उदार अर्थव्यवस्था के काल में संभावनाएं भांपकर निजी क्षेत्र ने डेयरी क्षेत्र में भारी निवेश किया और इतनी क्षमता उत्पन्न हो गई कि पिछले दो दशक में उसने दुग्ध सहकारी संस्थाओं तथा सरकारी डेरियों की कुल क्षमता को भी पछाड़ दिया। लेकिन विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य के कारण निजी क्षेत्र की कंपनियां अक्सर डेयरी किसानों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं। इसलिए भारत के मामले में सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने और बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ते शहरीकरण और खानपान की बदलती आदतों के कारण अब दुग्ध सहकारी संस्थाओं को अपने उत्पादों की संख्या बढ़ानी

चाहिए और अपने दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों में व्यवस्था कर यूएचटी दूध, चीज, आइसक्रीम जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद भी लाने चाहिए।

दुग्ध प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए 2017–18 से 2028–29 तक के लिए कुल 10,881 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष (दुग्ध प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचा विकास कोष, डीआईडीएफ) तैयार किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम उधारी मांगने वाले अंतिम छोर के निकायों जैसे दुग्ध संघों, राज्य डेयरी महासंघों, कई राज्यों में काम करने वाली दुग्ध सहकारी संस्थाओं, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और अन्य पात्र पक्षों के जरिए इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उधार लेने वाले इन निकायों को 6.5 प्रतिशत सालाना की दर से ऋण दिया जा रहा है, जिसे 10 वर्ष में लौटाना होता है और शुरुआती दो वर्ष कुछ भी नहीं देना होता है। इस कोष से दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के लिए चिलिंग संयंत्रों का बुनियादी ढांचा बनाकर, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर और मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना कर बेहतर दुग्ध खरीद प्रणाली तैयार करने में मदद की जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में 50,000 गांवों के 95 लाख डेयरी किसानों को मदद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना का लक्ष्य रोज़ाना 126 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण, 210 टन दूध को सुखाने, 140 लाख लीटर दूध को ठंडा करने की अतिरिक्त क्षमता तैयार करना, 28,000 बल्क मिल्क कूलर लगाना और रोजाना 59.78 लाख लीटर दूध के बराबर मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की क्षमता तैयार करना है। अनुमान है कि इससे लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मिल सकते हैं। इस कोष के अलावा भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही किसान संपदा योजना के अंतर्गत भी कोल्ड चेन और प्रसंस्करण का अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

संपन्नता की योजना

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने संकल्प के अनुसार केंद्र सरकार ने 2018 में '2022 तक डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना' नाम की सर्वांगीण योजना तैयार और क्रियान्वित की। कार्ययोजना को ऐसी रणनीतियों के साथ तैयार किया गया है, जो भारत में डेयरी क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती हैं:

- भारतीय गायों की कम उत्पादकता;
- पशुओं का असंतुलित भोजन;
- दुग्ध उत्पादकों की संगठित क्षेत्र तक सीमित पहुंच;
- पुरानी तकनीक पर आधारित का बुनियादी ढांचा;
- संगठित ऋण व्यवस्था की कमी;
- मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण संयंत्रों की कमी;
- गांव में चिलिंग यानी ठंडा करने के अच्छे बुनियादी ढांचे की कमी;
- दूध की मार्केटिंग के मामले में छोटे शहरों या कस्बों में पैठ की कमी;
- कुशल कोल्डचेन वितरण नेटवर्क की कमी;

राष्ट्रीय कार्ययोजना में दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर 2021–22 तक 25.45 करोड़ टन करने और 2023–24 तक 30 करोड़ टन करने का विचार है। दुग्ध उत्पादन के ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गोवंश की औसत उत्पादकता 2021–22 तक 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़नी चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो प्रमुख शर्तें हैं–

उद्यमशीलता को बढ़ावा

भविष्य में देश की दूध की मांग पूरी करने और डेयरी किसानों को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए भारतीय डेयरी उद्योग के ढांचे और कामकाज में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है। डेयरी फार्म को 'आर्थिक इकाई' के तौर पर चलाया जा सकता है और डेयरी किसान को 'डेयरी उद्यमी' जैसी सोच के साथ वाणिज्यिक मॉडल अपनाना चाहिए। इस बदलाव या कायाकल्प में मदद के लिए भारत सरकार ने डेयरी उद्योग में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से महत्वाकांक्षी 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' आरंभ की। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के साथ इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक और भरोसेमंद डेयरी परियोजनाओं को दुग्ध उत्पादन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। कुछ मान्यता प्राप्त गतिविधियों में 1 से 10 दुधारू पशुओं वाली छोटी डेयरी इकाई लगाना, बछियों (अधिक से अधिक 20) को पालना, दूध की मशीनरी खरीदना, बल्क मिल्क चिलर (5,000 लीटर क्षमता तक) लगाना, देसी दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए दुग्ध प्रसंस्करण उपकरण खरीदना, मिल्क पार्लर खोलना, कोल्डचेन और प्रसंस्करण संयंत्रों का विकास करना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग करना शामिल है।

इकलौता उद्यमी अथवा डेयरी किसान, किसानों का समूह, स्वयंसहायता समूह, दुग्ध सहकारी समितियां, जिला दुग्ध संघ और पंचायती राज संस्थाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत की 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सहायता विशुद्ध रूप से ऋण से जुड़ी होती है और योग्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर निर्भर करती है। बड़ी संख्या में डेयरी किसानों और युवा उद्यमियों ने इस योजना का लाभ लेकर देशभर में डेयरी तथा संबद्ध इकाईयां लगाई हैं।

नस्लों में आनुवांशिक सुधार तथा गोवंश की सेहत बेहतर रखना। पहली शर्त के तहत कृत्रिम वीर्यरोपण नेटवर्क बढ़ाना होगा और अधिक से अधिक गायों–भैंसों को ऐसी सेवाएं देनी होंगी। साथ ही, कृत्रिम वीर्यरोपण की वर्तमान सेवाओं की प्रभावशीलता भी सुधारनी होगी। हमें 2021–22 तक कुल प्रजनन योग्य गाय–भैंसों में से लगभग 65 प्रतिशत को वीर्यरोपण सेवाओं के दायरे में लाना होगा, जो आंकड़ा अभी केवल 26 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूरे देश को बेहतरीन कृत्रिम वीर्यरोपण सेवाओं के दायरे में लाने के लिए 'राष्ट्रीय कृत्रिम वीर्यरोपण कार्यक्रम' आरंभ किया है। राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण–1) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत नस्लों के विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नर–मादा अनुपात का नियमन करने और बड़ी संख्या में मादा संतानें उत्पन्न करने के लिए वीर्य में शुक्राणु चुनने जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। मादा को जन्म देने के लिए तैयार किया गया वीर्य किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे बेहतर आनुवांशिक गुणों वाली मादा गाय–भैंस अधिक संख्या में तैयार कर सकें। मादा पशु उत्पन्न करने के लिए वीर्य तैयार करने की तकनीक को शुरुआत में साहीवाल, हरियाणा, लाल सिंधी, राठी और गिर जैसी देसी नस्लों के लिए मानक रूप प्रदान किया जाएगा। साथ ही, बेहद सटीक जीन प्रौद्योगिकी के जरिए कीमती देसी पशु–संसाधनों में व्यवस्थित और तेज सुधार लाने का रास्ता साफ करने के लिए नेशनल बोवाइन जीनोमिक्स सेंटर फॉर इंडिजीनस ब्रीड्स (एनबीजीसी–आईबी) भी स्थापित किया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और संग्रह तथा परिवहन के दौरान दूध खराब होने की दर कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक समग्र राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण–1) भी लागू की। यह योजना 2011–12 से 2018–19 तक चली, जिसके लिए 2,242 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने नोडल एजेंसी बनकर यह योजना 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और केरल) में चलाई, जिनका देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत योगदान है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का वायदा करने वाली 360 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और अधिक तापमान के कारण दूध खराब होने की दर कम करने के लिए 5200 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ढेरों बल्क मिल्क कूलर लगाए गए।

एनएडीबी ने योजना का दूसरा चरण आरंभ करने के लिए विश्व बैंक तथा संबंधित सरकारी विभागों से बात शुरू कर दी है। यह चरण कुल 8,000 करोड़ रुपये का होने की संभावना है। दूसरा चरण, मुख्य रूप से दुग्ध प्रसंस्करण ढांचा विकसित करने और खरीद क्षेत्र के प्रमुख बिंदुओं पर दूध की गुणवत्ता जांचने वाले उपकरण लगाने पर केंद्रित होगा। डेयरी विकास के लिहाज से हमारे पास 3.20 लाख संभावनाशील गांव हैं। राष्ट्रीय डेयरी योजना को पहले चरण के करीब दो लाख गांवों तक पहुंचाया गया, इसलिए दूसरे चरण में बाकी 1.25 लाख गांवों के किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना के दूसरे चरण से दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यह भी हो सकता है कि भारत में इतना अधिक दूध होने लगे कि उसका निर्यात करना पड़े।

आगे की राह

अभी मांग बढ़ाने वाले तीन कारक–जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आय में बढ़ोतरी हैं, जिनके कारण दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों और कदमों से दुग्ध उत्पादन में इजाफे का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, लेकिन कुछ समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। हमें अपनी डेरियों को तकनीक से संचालित और संगठित बनाना होगा। जहां तक आधुनिक डेयरी उपकरणों की उपलब्धता का सवाल है, भारत की हालिया प्रगति उल्लेखनीय है, लेकिन हम अब भी आधुनिक मशीनरी के आयात पर निर्भर हैं। मक्खन, चीज, पनीर और अन्य पारंपरिक उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उपकरणों पर ध्यान देने और जरूरी इंतजाम करने की जरूरत है। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मिलने वाले वित्तीय लाभ डेयरी क्षेत्र को भी दिए जाने चाहिए। विशेषज्ञ दुग्ध सहकारी समितियों को भी आयकर में उसी प्रकार की छूट चाहते हैं, जैसी छूट कृषि आय को मिलती है। इसके अलावा, किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि दुग्ध उत्पादन भविष्य में आजीविका का टिकाऊ विकल्प बन सके। दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की भूमिका सुपरिचित है और अच्छी तरह दर्ज की गई है। परिवार में डेयरी गतिविधियों में महिलाओं का 60–70 प्रतिशत योगदान है, लेकिन उसे सहकारी समितियों के स्तर पर समर्थन और मजबूती दिए जाने की जरूरत है। सहकारी समितियों में महिलाओं के शामिल होने से उन्हें आर्थिक और वित्तीय मजबूती मिलेगी। विभिन्न अध्ययनों ने भी यह संकेत दिया है कि संस्थागत–स्तर पर महिलाओं द्वारा संभाली जा रही सहकारी समितियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

फिलहाल वैश्विक डेयरी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है, जिसे तकनीक के इस्तेमाल और गुणवत्ता भरे प्रबंधन के जरिए बढ़ाए जाने की जरूरत है। हमें किसानों के कल्याण का ध्यान रखते हुए भारतीय दुग्ध उत्पादन कारोबार को वैश्विक–स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशेष और समर्पित प्रयासों की जरूरत है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

बांस उद्योग : ग्रामीण आजीविका का स्रोत

–एस.सी. लाहिड़ी

भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी। साथ ही, बांस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए पौधारोपण सामग्री से लेकर बागवानी, संग्रह सुविधा कायम करने, समेकन, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, कौशल विकास और ब्रांड कायम करने जैसी पहल के बारे में क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए संपूर्ण मूल्य–श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे किसानों की आमदनी दुगुनी करने में मदद मिलेगी और कुशल तथा अकुशल कामगारों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

बांस एक ऐसी वनस्पति है जिसके बहुत से उपयोग हैं। इसके करीब 1,500 उपयोग रिकार्ड किए जा चुके हैं जिनमें खाद्य पदार्थ के रूप में लकड़ी के विकल्प के रूप में, निर्माण और भवन सामग्री के रूप में, हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए कच्चे माल की तरह और लुगदी तथा कागज जैसे उपयोग बड़े आम हैं। दुनिया के 80 प्रतिशत बांस के जंगल एशिया में हैं और भारत, चीन तथा म्यांमार में कुल मिलाकर 1.98 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के वन हैं। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध बांस संपदा वाले देशों में से एक है और इसके उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में बांस का वार्षिक उत्पादन करीब 32.3 करोड़ टन है। भारत बांस उगाने में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश के 1.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की 23 जेनेरा की 136 प्रजातियों की पैदावार होती है। फिर भी विश्व में बांस के व्यापार और वाणिज्य में भारत का हिस्सा सिर्फ चार प्रतिशत ही है। वर्ष 2015–16 और 2016–17 में भारत से बांस और बांस से बने उत्पादों का निर्यात क्रमशः 0.11 करोड़ रुपये और 0.32 करोड़ रुपये का था। बांस उत्पादन के क्षेत्र के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार (2011) बांस की 50 प्रतिशत से अधिक प्रजातियां पूर्वी भारत में पाई जाती हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में बांस के बने बर्तन, मछली पकड़ने के जाल, मर्तबान, गुलदस्ते और टोकरियां बनाने की उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्परा रही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना करें तो मिज़ोरम में बांस के सबसे बड़े जंगल हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक में बांस के जंगल हैं।

बांस हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों, कला और संगीत में भी किया जाता है। यह एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो हमारे दैनिक जीवन में समाया हुआ है। जनजातीय लोगों और वनवासियों का तो अब भी यही आदर्श वाक्य है : रोज़ी–रोटी के लिए बांस और जिंदगी के लिए बांस!' रोजगार के अवसर बढ़ाने, आमदनी में वृद्धि और ग्रामीण लोगों के भोजन की पौष्टिकता के स्तर में सुधार के लिए बांस बुनियादी आवश्यकता है। यह छोटे और मझोले उद्यमों के क्षेत्र

के विस्तार का भी आधार बन सकता है। यह ग्रामीण गरीबी को कम करने और आजीविका सुरक्षा में कारगर भूमिका निभा सकता है। बांस का पेड़ 4–5 साल में परिपक्व हो जाता है जबकि ठोस लकड़ी वाले किसी पेड़ को परिपक्व होने में करीब 60 साल लगते हैं। लेकिन इमारती लकड़ी वाले पेड़ों से अलग हटकर बांस की पर्यावरण पर बुरा असर डाले बगैर कटाई की जा सकती है। बांस का पेड़ भारी वर्षा या कम वर्षा, दोनों ही तरह की जलवायु में पनप सकता है। हर साल इसके एक पेड़ से 8–10 शाखाएं निकलती हैं। अन्य पेड़ों की तुलना में बांस का पेड़ 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है और 20 प्रतिशत कार्बन–डाई–ऑक्साइड अवशोषित करता है। बांस की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन–डाई–ऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाकर वायुमंडल की गुणवत्ता में नाटकीय सुधार लाया जा सकता है।

हमारे देश में तेजी से हो रहे सामाजिक–आर्थिक बदलाव से कच्चे माल के रूप में बांस का महत्व न केवल कुटीर उद्योगों में बढ़ा है, बल्कि बड़े उद्योगों में भी इसके महत्व में वृद्धि हुई है। बांस पर आधारित करीब 25,000 उद्योग 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं जबकि 20 लाख लोग बांस पर आधारित दस्तकारी में लगे हैं। बांस के पेड़ के आकर्षक आकार और मजबूती के कारण निर्माण और ढांचे बनाने वाली सामग्री के रूप में इसके उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। बांस की दस्तकारी और बांस पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने वालों में लुगदी और कागज उद्योग अग्रणी हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बांस की खपत से संकेत मिलता है कि 24 प्रतिशत बांस का उपयोग ढांचा खड़ा करने वाली सामग्री के रूप में होता है। 20 प्रतिशत का उपयोग लुगदी और कागज उद्योग में, 19 प्रतिशत हस्तशिल्प बनाने में और 15 प्रतिशत अन्य विविध रूपों में इस्तेमाल किया जाता है।

बांस की रोजगार क्षमता का सारांश

बांस के उपयोग का तरीका	अनुमानित क्षमता / मात्रा	मात्रा / दिहाड़ियां (लाख वार्षिक)
वन संवर्धन विज्ञान	25,000 हेक्टेयर	75.00
बांस के बागान लगाना	60 लाख टन	40.00
फसल कटाई	60 लाख टन	100.00
परिवहन / भंडारण / लदान व उतारना	60 लाख टन	30.00
उत्पादों का निर्माण	30 लाख टन	240.00
औद्योगिक मजदूर	33 लाख टन	7.33
कुटीर उद्योग	40,000 टन	24.00
	कुल	**516.33**

स्रोत : किसानों की आमदनी दुगुनी करने के बारे में कमेटी की रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार 2018

लेकिन अनेक मूल्य–सवंर्धित उत्पादों का विनिर्माण जैसे लैमिनेटेड ब्रांड, बांस के रेशे के उत्पादन, बांस के रेशे के फाइबर सीमेंट बोर्ड बनाने, बांस की फर्श बनाने, दवाएं, खाद्य पदार्थ, लकड़ी के विकल्प, रोजगार के अवसर पैदा करने, आमदनी बढ़ाने के साथ–साथ उपलब्ध संसाधनों का चिरस्थायी उपयोग सुनिश्चित करने में किया जाता है। बांस पर आधारित टेक्नोलॉजी ने बहुत से उद्यमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और देश में बांस–आधारित कुछ उद्योग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

बांस का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है इसलिए यह मूल्य–संवर्धन गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। इससे मूल्य–सवंर्धित वस्तुएं बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में इसकी भूमिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बांस लगाने में ही हर साल प्रति हेक्टेयर करीब 160 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा होता है। एक टन बांस की कटाई में औसतन 8–10 दिहाड़ियों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी तरह, इसके परिवहन और लादने–उतारने में 5 दिहाड़ियों का रोजगार मिलता है। बांस से उपयोगी सामान बनाने में, इस्तेमाल से पहले इसका प्रसंस्करण करने में 80 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा होता है। कुटीर उद्योगों में एक टन बांस के प्रसंस्करण में प्रति टन 600 दिहाड़ियों का रोजगार मिलता है। अध्ययनों पर आधारित निम्नलिखित आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि बांस–आधारित अर्थव्यवस्था की रोजगार क्षमता हर साल 516.33 दिहाड़ियों का रोजगार पैदा करने की है।

बांस की क्षमताओं की बड़ी उपेक्षा हुई है जिसकी वजह से यह क्षेत्र संगठित रूप से विकसित नहीं हो पाया है और इसके लिए बाजार संपर्क की सुविधा भी दयनीय है। उद्योग और हस्तशिल्पियों के स्तर पर इससे मूल्य–सवंर्धित पदार्थ बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग उपयुक्त–स्तर पर नहीं हो पाता। बांस की क्षमताओं की पहचान करते हुए राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन 2003 की रिपोर्ट में बांस–आधारित अर्थव्यवस्था के उन्नयन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसके लिए बांस के विकास को ग्रामीण आर्थिक विकास, गरीबी उपशमन, बांस–आधारित हस्तशिल्पों और औद्योगिक विकास के कार्य में नीतिगत भूमिका सौंपी गई है।

बांस की वाणिज्यिक खेती और इससे जुड़ी अन्य मूल्य–संवर्धन गतिविधियों में ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाने वाले आर्थिक संसाधन के रूप में बांस की क्षमता का नहीं के बराबर उपयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि इस बारे में उपयुक्त नीति, बागानों के संस्थागत नेटवर्क, टेक्नोलॉजी उन्नयन, उत्पाद और बाजार–स्तर की कमी है। हमारे देश में बांस की उपयोग में नहीं की जा रही ऐसी व्यापक क्षमता है जिससे अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाया जा सकता है। बांस को वन से बाहर के क्षेत्रों में उगाने की भी जबर्दस्त संभावनाएं हैं क्योंकि : क) प्राकृतिक वनों की तुलना में ऐसे इलाकों में बास के बागानों का प्रबंधन

करना आसान होता है और ख) उपयोग करने वाली एजेंसियों से नजदीकी होने के कारण बांस की कटाई किफायती लागात पर की जा सकती है। आज भारत के सामने ज़मीन के खराब होने की समस्या सबसे गंभीर है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायर्नमेंट 2017 (भारत के पर्यावरण की स्थिति) नाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की 30 प्रतिशत ज़मीन खराब हो चुकी है। इसे जोड़ने और ठीक करने की अपनी अनोखी क्षमता की वजह से बांस ऐसी जमीन को सुधारने के लिए सर्वोत्तम उपाय है।

अक्तूबर 2006 में शुरू किए गए राष्ट्रीय बांस मिशन (एन.एम.बी.) बांस की जबर्दस्त क्षमता का फायदा उठाने के कार्य में नया जोश पैदा करने और इसे नई दिशा देने की भारत सरकार की एक पहल है। यह बहु–विषयक और बहु–आयामी दृष्टिकोण है। इसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों की योजना बनाई गई है, वे अनुसंधान और विकास, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों या ग्राम विकास समितियों के माध्यम से वन भूमि और गैर–वन भूमि पर बांस उगाने, किसान/महिला पौधशालाओं के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली पादप सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने, बांस के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, इसके विपणन व निर्यात को बढ़ावा देने और बांस के थोक और खुदरा बाजारों की स्थापना पर केंद्रित हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन को केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 2006–07 में शुरू किया गया और तब से 3,61,791 हेक्टेयर भूमि पर बांस के बागान लगाए जा चुके हैं जिनमें से 2,36,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र में और 1,25,091 हेक्टेयर गैर–वन भूमि में हैं। 91,715 हेक्टेयर पर मौजूदा बांस बागानों की उत्पादकता में सुधार किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 1,466 पौधशालाएं बनाई गई हैं। इस तरह की पौधशालाओं के प्रबंधन और बांस के बागान लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में 61,126 किसानों और 12,710 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, गांवों के पास बांस के 39 थोक और खुदरा बाजार बनाए गए हैं और 29 और फुटकर केंद्र तथा 40 बांस मंडियां भी स्थापित की गई हैं। (लिंक – https://agricoop.nic.in/sites/Agenda_Note_Khariff2018)। लेकिन राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत 2006–17 की अवधि के दौरान 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (जिसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर गैर–वन क्षेत्र था) बांस की बागवानी के अंतर्गत लाया गया, जबकि लक्ष्य दसवीं योजना में 20 लाख हेक्टयर की वृद्धि करना और कुछ क्षेत्र को दसवीं और ग्यारहवीं योजना में 60 लाख टन करने का था। यह बात गौर करने की है कि गैर–वन क्षेत्र में उपलब्धियां क्षमता से काफी कम रही हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बांस को 'वृक्ष' की श्रेणी में रखा गया था, जो कानून के अनुसार एक विरोधाभास है। इससे बांस के बागानों का विकास, खासतौर पर गैर–वन क्षेत्रों में अवरुद्ध हुआ। वर्ष 2017 के अंत तक वनों से बाहर के इलाकों में उगाया जाने वाला बांस, पेड़ों को काटने और उसके परिवहन के विनियामक नियमों के अंतर्गत आता था। ऐसा महसूस किया गया कि राष्ट्रीय बांस मिशन का जोर, कुल मिलाकर बांस की बागवानी और उपज को बढ़ावा देने पर था और इसके प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन के बहुत सीमित प्रयास किए गए। इससे बांस उगाने वालों और उद्योगों के बीच कमज़ोर संपर्क कायम हो सका।

अन्य पेड़ों की तुलना में बांस का पेड़ 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है और 20 प्रतिशत कार्बन–डाई–ऑक्साइड अवशोषित करता है। बांस की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन–डाई–ऑक्साइड का अवशोषण बढ़ाकर वायुमंडल की गुणवत्ता में नाटकीय सुधार लाया जा सकता है।

आज देश में बांस उद्योग के समन्वित विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति प्रदान की जिसके अंतर्गत अगले दो वर्षों में 1,290 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया। इसमें बांस क्षेत्र के लिए पौधारोपण सामग्री से लेकर बागवानी, संग्रह सुविधा कायम करने, समेकन, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों, कौशल विकास और ब्रांड कायम करने जैसी पहल के बारे में कलस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए संपूर्ण मूल्य–शृंखला विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे किसानों की आमदनी दुगुनी करने में मदद मिलेगी और कुशल और अकुशल कामगारों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

किसानों को इन उपायों का फायदा मिले, इसके लिए वन क्षेत्र के बाहर बांस के स्टॉक को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 (7) में भारत सरकार ने नवंबर 2017 में संशोधन किया। इसके अलावा स्फूर्ति (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनेरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) नाम की योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है ताकि परंपरागत उद्योगों और बांस की दस्तकारी करने वाले हस्तशिल्पियों को बढ़ावा मिले। बांस संस्कृति की समुचित समझ और तकनीकी सहायता से एक ऐसी बांस क्रांति आ सकती है जिसमें बांस–आधारित उद्योगों के उत्थान की क्षमता है।

नई पहल

- बांस उत्पादन को वाणिज्यिक–स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य–स्तरीय बांस विकास एजेंसी गठित करने का फैसला किया है और उद्योग की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए बांस आर्थिक क्षेत्र भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां बांस उगाने की जबर्दस्त संभावनाएं हैं जिसकी उद्योगों में बड़ी मांग है। ऐसे में बोर्ड के गठन से किसानों को उद्योगों में बांस

ज़ोर राज्य की बांस संपदा के मूल्य–संवर्धन के लिए एक उद्योग लगाने पर रहेगा। राज्य में किसी ऐसे बड़े उद्योग की कमी है जो उसके संसाधनों की क्षमता का फायदा उठा सके।

आगे की राह

देश में ज़मीन के बंजर होने की रफ्तार में कमी लाने के लिए बांस उगाने के सघन कार्यक्रम को 2019–20 के बाद भी जारी रखने की आवश्यकता है और इसमें सभी संबद्ध पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। चीन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह बंजर भूमि और ढलान वाली ज़मीन में बांस के बागान लगाने में ग्रामीण किसानों को मदद दे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी भवन सामग्री के रूप में बांस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वजन उठाने मे सक्षम संरचनात्मक घटक के रूप में बांस के विकास से ऊंची लागत वाले निर्माण कार्यों में इसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जिससे बांस की बागवानी को हमारे देश के विशाल बंजर क्षेत्र को हरा–भरा करने के आर्थिक रूप से व्यावहारिक तरीके के रूप में अपनाया जा सकेगा (स्मिता चुघ, बैम्बू–ए ग्रीन ऑप्शन फॉर हाउसिंग)। खाने योग्य बांस की पूर्वी एशियाई व्यंजनों को बनाने और दवा के रूप में भारी मांग रहती है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में उगाए जाने वाला बांस (जो भारत में उगाए जाने वाले बांस की मात्रा का 66 प्रतिशत है) सरकार की मदद से ताइवान और जापान जैसे पूर्वी एशिया के देशों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात किया जा सकता है। अगरबत्ती उद्योग का भारत में बड़ा विस्तृत बाजार है। भारत वियतनाम और चीन से 35,000 टन गोल सींकें आयात करता है। इससे पहले उत्तर–पूर्वी राज्यों की हाथ की बांस की बनी चौकोर सींकों का अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बदली और मशीनों का उपयोग होने लगा तो गोल सींकों को प्राथमिकता दी जाने लगी। भारत इस तरह की 3,000 टन सींकों का उत्पादन करता है। इस उद्योग को जिस किस्म की सींकों की जरूरत होती है, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली बांस की खास प्रजाति का स्थानीय उत्पादन बढ़ाकर आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यह भी देखा गया है कि करीब 13 प्रतिशत बांस बंगलादेश और म्यांमार में अवैध रूप से भेजा जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका हैं, देश में बांस की कमी को देखते हुए इसे काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात करना पड़ता है। इस तरह के अवैध व्यापार पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है।

की जबर्दस्त मांग को पूरा करने के लिए इसकी बागवानी को अपनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

- तेलंगाना सरकार ने किसानों को आमदनी का चिरस्थाई स्रोत उपलब्ध कराने के लिए जून, 2018 में 506 हेक्टेयर में (1,250 एकड़) भूमि पर बांस के बागान लगाने की परियोजना शुरू करने का फैसला किया।
- महाराष्ट्र सरकार किसानों की आमदनी के स्रोत के रूप में बांस की बागवानी को बढ़ावा देने को बड़ी उत्सुक है। इसके लिए उसने अगस्त 2018 में महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड का गठन किया। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वन विभाग की बजाय ग्रामीण समुदायों का बांस की बिक्री पर पूरा नियंत्रण रहे। यहां तक कि राज्य सरकार ने बांस अनुसंधान केंद्र भी गठित किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था आटा समूह द्वारा की जाती है।
- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष संगठन ट्राइफेड जनजातीय लोगों को बांस को ज़रा भी बर्बाद किए बिना उसका अनुकूलतम तरीके से इस्तेमाल करने और इससे अगरबत्ती, माचिस की डिब्बियां, कपड़ा आदि बनाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए संस्था खोलेगा। इससे जनजातीय लोगों की आमदनी बढ़ाने और हमारे बाजारों को मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
- एक रिपोर्ट के अनुसार जापान सरकार बांस उद्योग के विकास और सड़कों के निर्माण के लिए मिज़ोरम सरकार को मदद दे सकती है। इतना ही नहीं, जापान सरकार प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकती है। उसका

(लेखक को कृषि संबद्ध क्षेत्रों और पर्यावरण मुद्दों पर व्यापक अनुभव है। इससे पहले, योजना आयोग में उद्योग और खनिज, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों आदि में विभिन्न पदों पर 25 साल से अधिक समय तक कार्य किया और हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी के पूर्व मुख्य कार्यकारी भी रह चुके हैं।)

ई–मेल : sclahiry@gmail.com

भारतीय संस्कृति में रचा-बसा चाय उद्योग

–सन्नी कुमार

भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी इसका सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है क्योंकि इसकी घरेलू खपत अत्यधिक है। आने वाले समय में ऑर्गेनिक चाय तथा हरी व सफेद पत्ती वाली चाय की मांग बढ़ेगी। भारतीय चाय उद्योग भी निश्चित ही इस अवसर को तेजी से भुनाएगा। इसके अलावा, ऊर्जा के नजरिए से देखें तो भारत के पास यह अवसर है कि यह चाय उद्योग के आसपास उपलब्ध विशाल बायोमास का उपयोग करे। इस प्रकार प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन लागत भी कम होगी और यह अधिक धारणीय भी होगा।

कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देश की आर्थिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होते बल्कि इसके आगे वो वहां की संस्कृति में रच–बस जाते हैं। भारत में 'चाय उद्योग' ऐसा ही एक उदाहरण है। यह बात सच है कि पिछले लगभग पौने दो सौ वर्षों से संचालित भारतीय चाय उद्योग अपनी आर्थिक संपन्नता के संदर्भ में वैश्विक रूप से अग्रणी रहा है। किन्तु साथ ही, यह भी उतना ही सच है कि इसी दौरान किसी भी अन्य उत्पाद की तुलना में चाय, भारतीय खानपान की शैली में सबसे अविच्छिन्नता के साथ शामिल रही है। आइए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं।

अवसर का अनंत क्षेत्र

सबसे पहले अगर चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें तो इसे 150 से 250 सेमी. की बारिश, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, एक ऐसी सतह जिस पर पानी टिकता न हो, जैसी विशिष्टताएं चाहिए। भारतीय परिवेश इन भौगोलिक दशाओं के एकदम अनुकूल है यही वजह है कि भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहां सुदूर उत्तर–पूर्व के राज्यों से लेकर सुदूर दक्षिण के राज्यों में चाय की खेती होती है। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी होगा कि चाय भारत के लिए एक 'देशज पौधा' है तथा यहां पारंपरिक काली चाय के साथ–साथ, सीटीसी चाय तथा नीलगिरी चाय जैसी विविधतापूर्ण श्रेणियां उपलब्ध हैं।

साथ ही जैसाकि विदित है चाय एक श्रम–गहनीकरण वाली उत्पादन इकाई है तथा इसलिए भारत जैसे श्रमिक–बाहुल्य देश में इसके विकास की अनंत संभावनाएं हैं। आंकड़ों के हवाले से देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे चाय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है। भारत में 13 हजार से अधिक चाय बागान हैं, इन बागानों से कुल 20 लाख से ज्यादा श्रमबल जुड़ा है। साथ ही, लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर के साथ यह विकास की अपार संभावनाओं को समेटे हुए है।

चाय उद्योग भारतीय संदर्भ में विशेष महत्व इस रूप में रखता है कि यह अपने व्यापार के लिए वैश्विक बाजार पर काफी कम निर्भर है। भारत में चाय की घरेलू खपत ही इतनी अधिक है कि कीनिया और श्रीलंका जैसे देशों की तरह इसे निर्यात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसी बात को आंकड़ों के माध्यम से देखें तो भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद

भी इसका सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है क्योंकि इसकी घरेलू खपत अत्यधिक है। अर्थात् कुल वैश्विक उत्पादन में 27 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने के बावजूद कुल वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 13 प्रतिशत के करीब ही है। वस्तुतः चाय भारतीय घरों का प्रमुख पेय है तथा 85 प्रतिशत घरों में इसका उपभोग किया जाता है। पेय पदार्थ पर भारतीयों के खर्च का विश्लेषण करें तो शहरी भारत जहां अपने कुल खाद्य खर्च का 15 प्रतिशत इस पर खर्च करता है वहीं ग्रामीण भारत में इसका अनुपात 10 प्रतिशत से कुछ कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाय भारत के दृष्टिकोण से एक उपभोग की इकाई से बढ़कर खानपान की विरासत का एक अहम हिस्सा है। साथ ही, यहां यह भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि भारत प्रति व्यक्ति चाय की खपत के मामले में अभी भी काफी नीचे है। अतः स्वाभाविक रूप से भविष्य में चाय का उपभोग बढ़ेगा तथा उद्योग को गति मिलेगी।

आने वाले समय में ऑर्गेनिक चाय तथा हरी व सफेद पत्ती वाली चाय की मांग बढ़ेगी। भारतीय चाय उद्योग भी निश्चित ही इस अवसर को तेजी से भुनाएगा। ग्रीन टी की तो अभी ही ऐसी कई इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिसे छोटे उत्पादकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आने वाले समय में यह और विस्तार प्राप्त करेगा। इसके अलावा, ऊर्जा के नजरिए से देखें तो भारत के पास यह अवसर है कि यह चाय उद्योग के आसपास उपलब्ध विशाल बायोमास का उपयोग करे। इस प्रकार प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन लागत भी कम होगी और यह अधिक धारणीय भी होगा।

इसके अलावा, चाय के बागान पर्यटन की दृष्टि से भी एक संभावनाशील जगह है। खासकर दार्जिलिंग का इलाका, ऊपरी असम का हिस्सा तथा नीलगिरी के क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक–स्थल हैं। इसे तथा इस जैसे अन्य चाय बागानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है जिससे नए रोजगार के क्षेत्र भी सृजित होंगे तथा चाय से जुड़े कार्यबल की आय में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चाय उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं भारत में मौजूद हैं। अभी जिस आकार का यह उद्योग है, उससे कहीं अधिक विशाल होने की इसकी क्षमता है किंतु कुछ अंतर्निहित चुनौतियों के कारण यह विस्तार संभव नहीं हो पा रहा है।

बहुआयामी चुनौतियां

यद्यपि भारत अभी भी चाय उत्पादन और उसके वैश्विक व्यापार के परिप्रेक्ष्य में बेहतर स्थिति में है किंतु हाल के वर्षों में इस उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह चुनौती आधारभूत संरचना निर्माण से लेकर मांग–आपूर्ति संतुलन तक विस्तृत है। एक–एक करके इन चुनौतियों पर विचार करना होगा ताकि हम पुनः इसके समाधान के उपायों की ओर बढ़ सकें।

सबसे पहले अगर एक ऐसे नवीन कारक की चर्चा करें जो हाल के वर्षों में अधिक उभरकर सामने आया है, तो वो है चाय के उपभोग में कमी। हम सब इस तथ्य से परिचित हैं कि भारतीय चाय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसके घरेलू बाजार में ही खपता है इसलिए घरेलू बाजार की मांग इस उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षों में इस घरेलू मांग में कमी आई है जिस कारण आपूर्ति और मांग का असंतुलन स्थापित हुआ तथा इस प्रकार घाटे की स्थिति बनती रही। इस मांग में कमी के दो अवयव हैं। एक तो यह कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले कुल पेय पदार्थों में चाय की हिस्सेदारी कम हुई है। और इसी दौरान कॉफी तथा अन्य गर्म पेय पदार्थों की खपत बढ़ी है। दूसरी वजह यह कि सस्ती चाय की मांग बढ़ रही है तथा प्रीमियम चाय की मांग कम हुई है। इस प्रकार भले ही चाय उद्योग लगभग 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है किंतु कुल मांग में प्रभावी गिरावट आई है तथा प्रीमियम मांग में कमी के कारण आर्थिक उपार्जन प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, घरेलू बाजार के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन देखा गया है। अगर वर्ष 2018 का ही उदाहरण लें तो वैश्विक–स्तर पर काली चाय की तुलना में ग्रीन टी दो गुनी तथा हर्बल टी ने तिगुनी दर से वृद्धि दर्ज की। ये आंकड़े अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन से उत्पन्न मांग की कमी किस प्रकार चाय उद्योग के समक्ष एक चुनौती के रूप में उपस्थित है।

दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती चाय उद्योग के समक्ष है, वो है उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के बीच असंतुलन स्थापित होना। 'इंडियन टी एसोसिएशन' ने वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2018–19 के बीच के औसत बिक्री मूल्य और औसत लागत की तुलना पेश करते हुए बताया है कि कैसे यह असंतुलन धीरे–धीरे विकराल होता जा रहा है। यह तुलना बताती है कि वर्ष 2013–14 में जहां चाय की औसत लागत 140 रुपये प्रति किलो थी तथा उसी दौरान उसका बिक्री मूल्य 160 रुपये प्रति किलो के करीब था, वहीं वर्ष 2018–19 में औसत लागत तो बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो हो गई किंतु बिक्री मूल्य 160 रुपये पर ही स्थिर रहा। जाहिर–सी बात है कि इससे चाय उद्योग को व्यापक–स्तर पर घाटा हुआ। इस असंतुलन की एक वजह तो यही रही कि मांग में कमी के कारण इसकी कीमत में वृद्धि नहीं हो सकी तो दूसरी तरफ उत्पादन कारकों तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत लगातार बढ़ती रही।

निर्यात में अपेक्षित वृद्धि का न हो पाना चाय उद्योग में सुस्ती के तीसरे कारण के रूप में गिना जा सकता है। वस्तुतः भारत का अपने उत्पादन की तुलना में निर्यात का अनुपात बहुत ही कम है। आंकड़ों के हवाले से देखें तो जहां भारत चाय के कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है वहीं विश्व व्यापार में इसका हिस्सा मात्र 13 प्रतिशत है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कीनिया व श्रीलंका जैसे देश कुल उत्पादन में क्रमशः 8 तथा 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हुए भी वैश्विक व्यापार में क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं। यह बात ठीक

है कि भारत के घरेलू बाजार में खपत अधिक है किंतु उत्पादन वृद्धि के साथ निर्यात का न बढ़ना एक चिंताजनक बात है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2010 में जब भारत कुल 966 मिलियन किलो चाय का उत्पादन करता था तो उस समय भारत कुल 222 मिलियन किलो चाय का निर्यात करता था, उसी भारत का वर्ष 2018 में उत्पादन बढ़कर 1339 मिलियन किलो हो गया किंतु निर्यात की मात्रा 256 मिलियन किलो तक ही सीमित रही। इसके कारणों के रूप में कहा जा रहा है कि छोटे–छोटे अनेक असंगठित चाय उत्पादकों के उदय तथा भारत द्वारा अपने सबसे बड़े बाजार पूर्व सोवियत संघ को खोने से यह स्थिति अधिक जटिल हुई। साथ ही, भारत को कीनिया और श्रीलंका से भी चुनौती मिल रही है क्योंकि वहां की उत्पादन लागत भारत की तुलना में कम है, इस वजह से भारतीय चाय पिछड़ रही है।

चाय उद्योग से संबंधित विधायन से उत्पन्न समस्या को हम इस उद्योग के समक्ष चौथी चुनौती के रूप में देख सकते हैं। दरअसल, चाय उद्योग से जुड़े हुए श्रमिकों की सुरक्षा हेतु द प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 पारित किया गया था। इसके तहत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को आवास, स्कूल, भोजन तथा स्वास्थ्य इत्यादि जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और यह खर्च चाय बागान के मालिकों को वहन करना पड़ता है। इस संदर्भ में चाय उद्योग से जुड़े इस्टेट का कहना है कि 70 साल पुराना यह कानून अब प्रासंगिक नहीं रहा। इसके पक्ष में तर्क देते हुए वो कहते हैं कि आवास, स्वास्थ्य एवं अन्य इस तरह के खर्चे अत्यधिक होने के कारण उत्पादक नकदी मजदूरी में वृद्धि नहीं कर पाता तथा साथ ही उन्हें उन पर भी खर्च करना होता है जो उनके कार्यबल में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है और उन्हें कुशल श्रमिक भी नहीं मिल पाते। अतः आवश्यक है कि इस कानून को समय की मांग के अनुरूप परिवर्तित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन भी एक मसला है जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के लिए असम में बेमौसम बरसात ने चाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा, सामुदायिक विकास का उन्नत न होना, चाय के उत्पादन से लेकर व्यापार तक के चक्र हेतु आवश्यक अवसंरचना का अभाव तथा वैश्विक गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप उत्पाद का न होना जैसे भी अनेक कारण हैं जिससे चाय उद्योग को निपटना होगा।

समाधान की राह

भारतीय चाय उद्योग को उसकी संभावनाओं के अनुकूल विकसित करने के लिए दो प्रकार की रणनीतियों पर काम करना होगा। एक तो वैसे त्वरित निर्णय लेने होंगे जिससे तात्कालिक सुस्ती को दूर किया जा सके तथा दूसरे उन ठोस उपायों को अपनाना होगा जिससे दीर्घकालिक सुधार संभव हो सके। वर्तमान चुनौतियों की बात करें तो 'इंडियन टी एसोसिएशन' ने भारत सरकार से निम्नलिखित चार उपायों को अपनाने का आग्रह किया है :

1. कम से कम तीन वर्षों के लिए सरकार श्रमिकों के भविष्य निधि में योगदान करे;
2. पांच वर्षों के लिए चाय उत्पादन के क्षेत्र के विस्तार को रोक दिया जाए ताकि आपूर्ति आधिक्य को संतुलित किया जा सके;
3. अपेक्षित कोष उपलब्ध कराया जाए, तथा
4. उत्पादन लागत के हिसाब से न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाए।

यद्यपि ऐसे सभी कदमों को उठा पाना सरकार के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है किंतु सरकार कुछ तात्कालिक राहत की घोषणा जरूर कर सकती है ताकि मौजूदा संकट दूर हो जाए। सरकार ने ऐसे प्रयास किए भी हैं, उदाहरण के लिए वर्ष 2019–20 में चाय बोर्ड को पौधरोपण विकास से लेकर बाजार प्रमोशन तथा स्थापना लागत के वहन हेतु कुल 625 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, असम राज्य ने 'मिशन असम क्वालिटी' शुरू किया जिसके तहत छोटे चाय उत्पादकों को नकदी प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही, असम सरकार बेहतर गुणवत्ता वाले चाय उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। इसके अलावा, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत 'टी बोर्ड भारत' चाय उत्पादन के कृषिगत कारकों से लेकर इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से संबंधित विभिन्न पहलों को संचालित करता है।

इसके बाद अगर दीर्घकालिक उपायों की बात करें तो उत्पादन लागत और कीमत के असंतुलन को ठीक करना होगा। इसके लिए 'पीएलए–1951' जैसे कानूनों में भी अपेक्षित संशोधन लाना होगा। जहां तक निर्यात में पिछड़ने की बात है तो इसे तभी दूर किया जा सकता है जब उत्पादन लागत में कमी लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत को श्रीलंका के 'दिलमाह' की तरह अपना एक ब्रांड विकसित करना होगा ताकि वैश्विक मांग को बरकरार रखा जा सके। फिर गुणवत्ता जैसे मानकों का भी ध्यान रखना होगा।

एक अन्य पहलू की बात करें तो न केवल प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित चाय की मात्रा को बढ़ाना होगा बल्कि उत्पादन की क्षेत्रीय विषमता को भी समाप्त करना होगा। अभी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में तो वृद्धि दर 15 प्रतिशत के करीब है किंतु यह असम जैसे राज्य के लिए मात्र 10 प्रतिशत के करीब है जबकि असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। अतः आवश्यक है कि असम जैसे बड़े चाय उत्पादक राज्यों के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाए। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर, उन्नत एवं नवाचारी तरीको को अपनाकर, मानव–संसाधन का विकास कर, कीटनाशक व उर्वरक के वैकल्पिक प्रयोग को अमल में लाकर तथा चाय उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों– सरकार, बागान मालिक तथा श्रमिकों के बीच उचित समन्वय स्थापित कर उद्योग के विकास को अपेक्षित गति दी जा सकती है।

(लेखक 'दृष्टि' करेंट अफेयर्स टुडे के संपादक–मंडल में शामिल हैं और विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन वेबसाइट्स हेतु नियमित लेखन करते हैं।)

ई–मेल : sunnyand65@gmail.com

'कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रजेंट' के असमिया संस्करण का विमोचन

10 नवंबर, 2019 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 'कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रजेंट' के असमिया संस्करण का गुवाहाटी में विमोचन किया। यह पुस्तक भारत की अदालतों और न्यायिक संस्थाओं के समृद्ध और जटिल इतिहास की अनेक छवियों का संकलन है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन करते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इसे 'न्याय का वास्तुशिल्प' करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय न्याय प्रणाली की शानदार व्याख्या दी गई है।

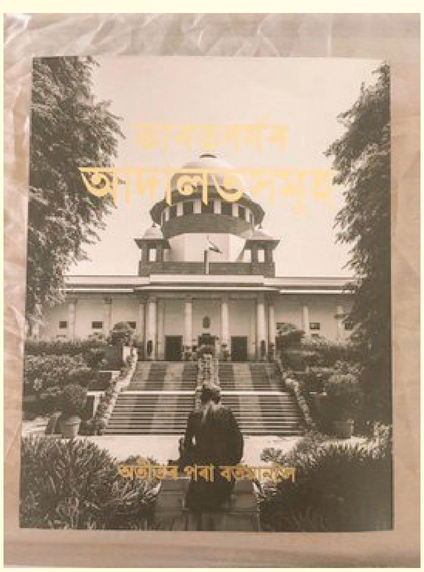

श्री गोगोई ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। विमोचन समारोह में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोब्डे (वर्तमान प्रधान न्यायाधीश) तथा अनेक अन्य गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक की प्रतियां असम के सभी सरकारी पुस्तकालयों को उपलब्ध करायी जाएंगी। अपने भाषण में न्यायमूर्ति बोब्डे ने इस पुस्तक को बेहतरीन संकलन बताया। न्यायमूर्ति बोब्डे ने कहा कि वे इस पुस्तक के अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित होने की प्रतीक्षा में हैं।

समारोह में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी भी उपस्थित थीं। इससे पहले, अंग्रेजी में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में देश की न्यायपालिका के ऐतिहासिक घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है।

स्रोत : आकाशवाणी, 10 नवंबर, 2019 की रिपोर्ट

BYJU'S The Learning App | IAS

INDIA's #1 INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION

आईएएस 2018 मे श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 मे 11 चयन | टॉप 100 में 28 चयन | संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है

वीडियो पाठ्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान

छात्र पोर्टल
साप्ताहिक वेबिनार, चर्चित मुद्दे, समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकार्डेड सत्र उपलब्ध

नियमित टेस्ट
आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है

समसामयिकी वेबिनार
पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस

विस्तृत पाठ्य सामग्री
भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें

नियमित मूल्यांकन
परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन

मेंटर सपोर्ट
हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास
- मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सतर्क लिए संपर्क करें

9880031619

BYJU'S The Learning App

ANDROID APP ON Google play | Download on the App Store

उपलब्ध कार्यक्रम: Class 4-12 | JEE | NEET | IAS | CAT

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 दिसंबर, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

जानकारी के लिये कॉल करें–
9319290700
9319290701
9319290702
या सिर्फ मिस्ड कॉल करें–
8010600300

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

प्रिय पाठकों,

हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से जुड़े हज़ारों व्यूअर्स ने हमसे निवेदन किया था कि वे दृष्टि की कक्षाओं की गुणवत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं किंतु दिल्ली में दो वर्ष रहने का लाखों रुपए का खर्च नहीं उठा सकते। उन्हीं के निवेदन को ध्यान में रखते हुए हम दृष्टि के 20वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2019) पर अपना पहला पेन ड्राइव कोर्स जारी कर रहे हैं जो IAS प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

आरंभ : 1 नवंबर, 2019 से

पहले 500 विद्यार्थियों को 20% की विशेष छूट

मोड : पेनड्राइव

* कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें
* ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQ पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में आते हैं तो आपकी ऑनलाइन फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

प्रकाशक और मुद्रक: के. श्यामा प्रसाद, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना